खण्ड-105, अंक-1
सोमवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1874
(21 जुलाई, 1952 ई0)

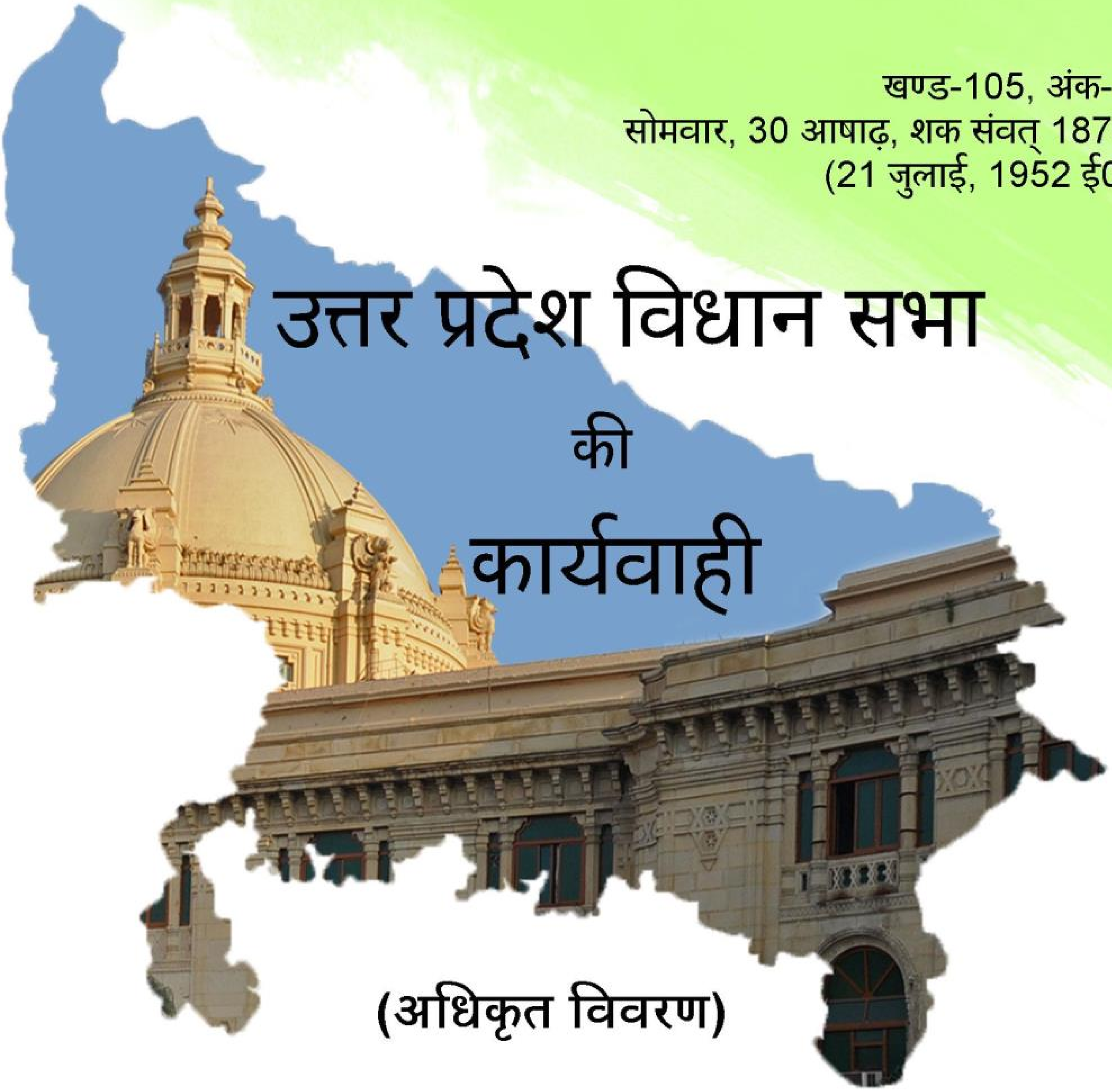

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 105 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A.
724

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलसिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दु शाह, महराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री

बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री

यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सुर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर दयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ठ १८ पर]

वेतन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार कलक्टरी कचेहरियों के कर्मचारियों का वेतन

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युक्त प्रान्त वेतन कमेटी की सन् १९४७ ई० की रिपोर्ट के अनुसार प्रान्त के प्रतापगढ़ बांदा, झांसी और बहराइच जिलों के कलेक्टरी कचेहरी में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया था ?

*४--क्या माल मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रतापगढ़, बांदा, झांसी और बहराइच जिलों के सीनियर कर्मचारियों का भी वेतन तत्पश्चात् बढ़ाया गया ?

*५--यदि हां, तो प्रांत के और जिलों में काम करने वाले कलेक्टरी कचेहरी के कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--प्रश्न साफ नहीं है। युक्त प्रान्त वेतन कमेटी की सन् १९४७ की रिपोर्ट के अनुसार प्रान्त के सब कलेक्टरी कचेहरी के कर्मचारियों का वेतन फिर से इस प्रकार नियत किया गया कि किसी का वेतन कम नहीं हुआ बल्कि बहुतों का बढ़ाया गया न कि सिर्फ प्रतापगढ़, बांदा, झांसी और बहराइच के कलेक्टरी कर्मचारियों का।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलायेगी कि रेवेन्यू (बी) डिपार्टमेंट डी० ओ० नं० ६८१५,ए० बी० ४७० बी० १९४९ अक्टूबर १८, १९४९ के अनुसार प्रतापगढ़ बांदा, झांसी और बहराइच जिलों में जूनियर कर्मचारियों के मुताबिक़ सीनियर कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जूनियर कर्मचारियों से कहीं भी सीनियर कर्मचारियों का वेतन कम नहीं किया गया है और सीनियर कर्मचारियों का वेतन कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जब और जिलों के सीनियर कर्मचारियों ने दरख्वास्त दी तो डी० ओ० नं० ३६१७१ बी ४७०बी०१९४९, दिनांक २६ जून, सन् ५१ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार आदेश दिया गया कि यह आमतौर पर लागू नहीं होंगे। क्या यह सही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार ने इस बात पर ध्यान रखा है कि कहीं भी अपने कर्मचारियों का वेतन जूनियर कर्मचारियों से कम न हो और जहां भी ऐसा प्रश्न उठता है सरकार उस पर विचार करती है। यदि कोई ऐसा केस हो तो माननीय सदस्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--६०० रुपये तक वेतन पाने वाले जूनियर कर्मचारियों के बच्चों को हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा देने के संबंध में जो वेतन कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश थी उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह प्रश्न इसमें से नहीं निकलता।

श्री हर दयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलावेंगे कि प्रतापगढ़, बांदा, झांसी और बहराइच की कलक्टरी में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों की संख्या क्या थी और उन में से कितनों का अबतक क्या क्या वेतन बढ़ाया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नोटिस चाहिये।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् माल न्यायालयों में परिवर्तन

*६--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश के माल-न्यायालयों के ढांचे में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् क्या आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माल न्यायालयों में सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि जुडिशियल रिफ़ार्म्स कमेटी की रिपोर्ट में हमारे न्यायालयों के ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता को ज़रूरी बतलाया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय सदस्य ने जमींदारी अबालीशन ऐक्ट देखा होगा। हमारे न्यायालयों के संबंध में जो भी उन के अधिकारों में परिवर्तन हुआ है वह ऐक्ट में दिया हुआ है।

*७--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कुमाऊं-गढ़वाल डिवीजन में काश्त कानून कब तक बनाया जा सकेगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--विषय सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजनों में अब तक कोई टैनेंसी कानून क्यों नहीं बनाया गया ? क्या सरकार इस पर कुछ प्रकाश डाल सकती है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अगर कुमाऊं में यह कानून नहीं बना तो इसलिये कि कुछ और कार्य किया जा रहा था जो इससे अधिक आवश्यक था। यह बात ठीक है कि वहां यह कानून होना चाहिये और यह प्रश्न विचाराधीन है। यह मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूं।

*८-१०--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)

[देखिये आगे पृष्ठ १८ पर]

तारांकित प्रश्न

रहीमाबाद जंगल का कृषि-योग्य भूमि में परिवर्तन

*१--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रहीमाबाद में ढांक के जंगल साफ़ होने के बाद कितने एकड़ जमीन पर खेती होती है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—सन् १९५१-५२ के कृषि वर्ष में नीचे लिखे क्षेत्र पर खेती हुई :

खरीफ	..	३,२४७ एकड़
रबी	..	२५३ ,,

श्री राम नारायण त्रिपाठी—जंगल प्राप्त करने से जो लकड़ी निकली उसका क्या इस्तेमाल हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो लेबर वहां लगाया गया था उसमें इस बात का ख़याल रखा गया था कि वह लकड़ी उसे मिल जाय जिससे कि उन्हें पैसा कुछ कम दिया गया था और लकड़ी उन्हीं को दी गयी थी।

*२—**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—उपर्युक्त जंगल को साफ कराने में कितना खर्च पड़ा था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुल ४,७३,३१६ रुपया खर्च पड़ा था।

*३—**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—इस साल कितना गल्ला उपर्युक्त कृषि-योग्य भूमि से पैदा हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुल ९,७८७ मन गल्ला (८,३२३ मन खरीफ तथा १,४६४ मन रबी) इसके अतिरिक्त ८,१६३ मन गन्ना और हरा चारा भी उपर्युक्त खेती योग्य भूमि से पैदा हुआ।

जिला देवरिया में अकाल को रोकने के लिये उपाय

*४—**श्री राम सुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—क्या सरकार को यह पता है कि पिछले २६ अप्रैल को देवरिया के जिला मैजिस्ट्रेट के यहां सभी असेम्बली तथा पार्लियामेंट के सदस्यों ने बैठक में यह निर्णय किया था कि जिला अकाल की अवस्था में है और उसके सुधार के लिये कुछ सुझाव भी रक्खे गये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस समय क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—सरकार यह ख़याल करती है कि देवरिया में अकाल नहीं है बल्कि कमी है और कमी का मुकाबला करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक इस बात का संबंध है कि सरकार टेस्ट वर्क्स खोले तो इस सिलसिले में २० जून को जो मीटिंग हुई थी उसमें इस सदन के सदस्य और कुछ अफ़सरान भी थे। उनकी राय यह थी कि टेस्ट वर्क्स न खोले जावें लेकिन विरोधी पक्ष के जो सज्जन बैठे हैं उनकी राय थी कि खोले जावें। लिहाजा जिलाधीश को आज्ञा दे दी गई है कि जहां मुमकिन हो वहां टेस्ट वर्क्स खोले जावें। कल उन्होंने मीटिंग इस सिलसिले में की होगी अगर्चे जिलाधीश का मत अब भी यही है कि ये अनावश्यक हैं। जहां तक यह सिफारिश है कि ५०,००० रुपये दिये जायं तो इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि २५,००० रुपये दिये जा चुके हैं जिसमें से केवल १५,००० रुपया अभी तक खर्च हुआ है। जिलाधीश को आदेश दे दिया गया है कि जरा ज्यादा मुक्तहस्त के साथ रुपया इस मद में से खर्च किया जाय।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आपके आदेशानुसार वहां कार्य शुरू हो गया है ?

श्री चरण सिंह—मैंने कहा कि कल वहां मीटिंग हुई होगी और मैं उम्मीद करता था कि देवरिया का हर सदस्य मौजूद होगा।

*५—**श्री राम सुभग वर्मा**—क्या जिला मैजिस्ट्रेट ने उस बैठक के विवरण को सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां। जिला मैजिस्ट्रेट ने उस बैठक के विवरण को सरकार के पास भेज दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट का पत्र एक गोपनीय राजकीय पत्र है जिसकी प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना वांछनीय नहीं है। परन्तु सदस्यों ने जो सुझाव रक्खे थे, वे इस प्रकार हैं—

क—सरकार देवरिया को अकाल क्षेत्र घोषित करे, क्योंकि जिले में अकाल की स्थिति है।

ख—सरकार जिले में टैस्ट वर्क्स खोलने के लिये प्रति तहसील १० लाख रुपये के हिसाब से ४० लाख रुपये की व्यवस्था करे।

ग—अन्धों, अपाहिजों तथा इस प्रकार के अन्य निराश्रित व्यक्तियों की अहेतुक सहायता करने के लिये ५०,००० रुपया दिया जाय जिसका वितरण प्रत्येक तहसील में बराबर बराबर स्थानीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाय।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि देवरिया जिले में तकावी बटना शुरू हो गयी है ?

श्री चरण सिंह—६ लाख ३६ हजार रुपया खरीफ में बंट चुका है और साढ़े सात लाख इस फसल में तकसीम हो चुका है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलायेगी कि टैस्ट वर्क्स योजना के अन्तर्गत कितने मजदूर काम करने के लिये आये ?

श्री चरण सिंह—अब तक जिलाधीश और सरकार में मतभेद था लेकिन अब यह निश्चय किया गया है कि टैस्ट वर्क्स आवश्यक है, खोल दिये जायं लेकिन यह विचार करने के लिये कि किस जगह काम आरम्भ किया जाय २० जुलाई को मीटिंग होना निश्चित पाया था। कल वहां मीटिंग हुई होगी जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी स्केरसिटी भी गये हुये थे। तय यह हुआ कि इस सदन के माननीय सदस्य जो देवरिया के हैं वे भी वहां मौजूद होंगे और उनके मशविरे से यह तय होना था कि कौन सी जगह टैस्ट वर्क्स आरम्भ किये जांय।

*६—**श्री राम सुन्दर पांडेय**—[४ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किये गये।]

बहराइच जिले की पयागपुर रियासत का कोर्ट आफ़ वार्ड्स के नियन्त्रण से हटना

*९—**श्री राज नारायण** (जिला बनारस)—क्या यह सच है कि बहराइच जिले के पयागपुर की रियासत १९५० ई० में सरकारी वसूलयाबी का भुगतान न होने के कारण कोर्ट आफ वार्ड्स में ले ली गयी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं। पयागपुर रियासत मालगुजारी तथा कृषि आयकर के बकाया के सिलसिले में धारा १५०, लैंड रेवेन्य ऐक्ट के अन्तर्गत १ फरवरी सन् १९५१ को कुर्क की गई थी और वसूली का काम स्थानीय कोर्ट आफ वार्ड्स को दिया गया था।

श्री राज नारायण--क्या यह सही है कि इस कुर्की की अवधि के बीच में बहराइच के श्री शिवकुमार सिंह बिसेन को २५० एकड़ जमीन बांट दी गयी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है?

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि रेवेन्यू वसूल न होने के कारण जो स्टेट ली जाती है उनमें क्या सरकार को स्टेट का इन्तजाम करने का भी अधिकार है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह कानूनी बात है। माननीय सदस्य इसका मशविरा कानूनदां लोगों से लें।

*१०--**श्री राज नारायण**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोर्ट आफ वार्डस का नियंत्रण उक्त रियासत पर से कब और किन कारणों से हटा लिया गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--२४ जुलाई, सन् १९५१ को मालगुजारी का पूरा बकाया तथा कृषि आयकर का अधिकांश बकाया वसूल हो जाने पर यह रियासत धारा १५०, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की कुर्की से छोड़ दी गई और फलतः स्थानीय कोर्ट आफ वार्ड्स का नियंत्रण भी हट गया।

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का विलीन रामपुर राज्य में लागू किया जाना

*११--**श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)**--क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में जमींदारी उन्मूलन प्रसारित करने के लिए सरकार उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में उसकी धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ख) तथा (ङ) (२) के अनुसार वहां पर प्रचलित तत्सम्बन्धी क़ानूनों में आवश्यक अपवाद या परिष्कार कब तक करेगी और अनुमानतः किस दिनांक स यह अधिनियम रामपुर जिले के प्रदेशीय शासन स्वामित्व वाले तथा जमींदारी वाले क्षेत्रों में प्रसारित हो सकेगा?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अनुमानतया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम आवश्यक रूपान्तर के पश्चात् विलीन रामपुर रियासत के क्षत्र में साल भर के अन्दर ही लागू कर दिया जायगा।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि रामपुर जिले में लागू करने के लिये इस अधिनियम में क्या रूपान्तर होगा जिसमें एक वर्ष का समय लगने वाला है?

श्री चरण सिंह--यही तो निश्चय करना है कि क्या रूपान्तर हो।

श्री कृष्ण शरण आर्य--यह एक वर्ष का समय प्रदेशीय शासन क्षेत्र वालों के लिये लगेगा या जमींदार क्षेत्रों के लिए?

श्री चरण सिंह--जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून की कौन सी दफा लागू की जाय और कौन सी न लगायी जाय और जो दफायें लागू की जायं उनमें क्या संशोधन होंगे या न होंगे, यह तय होना है और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि क़ानून काफी लम्बा चौड़ा है तो वह इतना आसान नहीं है। यदि केवल यही काम हो और सारे काम छोड़ दिये जायं तो शायद दो ढाई महीने में लागू किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसके साथ ही और काम भी करना है इसलिये इसके लागू करने में इतना समय लगेगा। सबसे पहले हम कसबार राज्य में लागू करना चाहते हैं और जो विलीन राज्य हैं उनमें भी यह व्यवस्था बाद में लागू की जायगी।

श्री कृष्ण शरण आर्य--जो क्षेत्र रामपुर जिले में गवर्नमेंट प्रापर्टी है वहां के लिये और प्रदेशीय शासित क्षेत्रों के लिये क्या वही कानून लागू होगा ?

श्री चरण सिंह--राज्य के उन सब क्षेत्रों में जहां जमींदारी एबालिशन कानून लागू नहीं है वहां साल भर में सब जगह लागू कर दिया जायगा। अगर कहीं वह कानून लागू न हो सकेगा तो उसके लिये अलाहदा से बिल पास किया जायगा।

*१२--**श्री कृष्ण शरण आर्य**--[४ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किया गया।]

*१३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[४ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में परती भूमि को खेती के लिये उठाना

*१४--**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)--क्या माननीय माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में कितनी परती जमीन खेती के लिए सरकार द्वारा उठाया गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--२,९०९ एकड़ परती भूमि खेती के लिए उठाई गई।

*१५--**श्री रामलाल**--क्या माननीय माल मंत्री कृपया यह भी बतलायगें कि उपरोक्त उठायी गयी परती जमीन में कितनी जमीन भूमिहीन हरिजनों तथा मजदूरों को दी गयी तथा कितनी कितनी जमीन अन्य लोगों को दी गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो परती भूमि उठाई गई उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

५२९ एकड़ राजनीतिक पीड़ितों को,
१,६९६ एकड़ हरिजनों को जिनमें विशेषतः भूमिहीन हरिजन हैं।
१३५ एकड़ गांव के चौकीदारों को,
५४९ एकड़ अन्य लोगों को।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो जमीन राजनीतिक पीड़ितों और हरिजनों को दी गयी थी उसमें से कितनी जोती गयी है और कितनी पड़ी हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जो जमीन हरिजनों तथा राजनीतिक पीड़ितों को दी गयी थी वह हर एक को कितने एकड़ दी गयी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अलहदा अलहदा एक एक को कितनी कितनी ज़मीन दी गयी थी इसका तो विवरण इस समय नहीं है, लेकिन जितनी जमीन दी गयी थी उसका जवाब में स्पष्ट विवरण दिया हुआ है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि अनइकनामिक होल्डिंग (अलाभकर जोत) न हो जैसा कि कानून में दिया हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पहली जुलाई, सन् ५२ से लागू हुआ है। जब माननीय सदस्य जानते हैं कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत लैंडलेस लेबरर (भूमिहीन श्रमिक) के लिये कायदा बना हुआ है और अनइकनामिक होल्डिंग के लिये कायदा बना हुआ है तो जब ग्राम पंचायतों द्वारा उन जमीनों का वितरण होगा तब इन धाराओं का ध्यान रखा जायगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--क्या इस समय सरकार इस सिद्धान्त को मानती है कि होल्डिंग्ज़ अन एकोनामिक नहीं होनी चाहिये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार इस सिद्धान्त को अवश्य मानती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि किसी राजनीतिक पीड़ित को तीस एकड़ से बेशी जमीन भी दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील फरीदाबाद के अन्दर जो वहां हरिजन और पोलिटिकल सफरर (राजनीतिक पीड़ित) हैं उनके नाम से जमीन अलाट की गयी लेकिन उनको उस पर अभी तक अधिकार नहीं मिला है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अगर ऐसा कहीं हुआ हो तो माननीय सदस्य सरकार की नोटिस मे इस बात को ला सकते हैं।

अध्यक्ष--माननीय सचिव जवाब दें। न मालूम हो तो नोटिस ले लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार को यह मालूम नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ित से किन लोगों का मतलब है या राजनीतिक पीड़ित की क्या परिभाषा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिन लोगों ने छः महीने की सज़ा सन् १९४२ में पायी है और जिनको राजनीतिक कार्यों के लिए सजा हुई है, वे राजनीतिक पीड़ित की परिभाषा में आते हैं।

*१६--**श्री रामलाल**--क्या माननीय माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास खेती के लिये जमीन नहीं है और ऐसे भूमिहीन लोगों के कष्ट निवारणार्थ सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बस्ती जिले में लगभग ४९,७४९ भूमिहीन परिवार हैं। उनकी सहायता के लिये उपज योग्य परती पड़ी हुई कुछ भूमि यू० पी० लैंड यूटीलाइज़ेशन ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई है। जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५०, की धारा १९८ के अन्तर्गत भूमिहीन मजदूरों को जमीन दी जा सकती है और धारा ३१२ के अन्तर्गत वे सहकारी फार्म के सदस्य हो सकते हैं। भूमिहीन

मजदूरों को भूमि देने का एक प्रश्न बहुत बड़ा है जो किसी जिले विशेष के लिये ही नहीं परन्तु समस्त राज्य के लिये हल करने का है।

अदलपुरा में छोड़ी हुई भूमि पर किसानों का अधिकार

*१७—श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि सरकार ने अदलपुरा के किसानों के पक्ष में समझौता करके जो जमीन छोड़ी उस पर खड़े पेड़ों के सम्बन्ध में पादरी साहब ठेकेदार किसानों से झगड़ा करते हैं और इस साल एक स्थानीय अफसर को मिला कर उक्त ठेकेदार सब आम तुड़वा ले गये?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पादरी साहब अब अदलपुरा के ठेकेदार नहीं हैं। छोड़ी हुई जमीन के ऊपर खड़े हुये पेड़ों से आम पादरी साहब ने नहीं, किन्तु दूसरे आदमियों ने तुड़वा लिये थे। स्थानीय पुलिस इसकी जांच कर रही है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अदलपुरा के किसानों से जो जमीन छुड़ाई गयी उसका मुआविजा दिया गया?

श्री चरण सिंह—मुआविजे के कागज चल रहे थे। उसके पेश्तर हर किसान के हक में जमींन छोड़ दी गयी थी। इसलिये वह मुआविजा अभी दिया नहीं गया।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी ने जो बताया उसका यह भी अर्थ होता है कि तीन वर्ष तक जो जमींन सरकार के कब्जे में थी उसका मुआविजा दिया जायगा?

श्री चरण सिंह—यह सारा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो यह बताया गया कि अदलपुरा का वह ठेकेदार ठेकेदार नहीं है, तो अदलपुरा के बाजार का ठेका अब भी पादरी ने लिया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि ठेकेदार ने ही तमाम पेड़ों का ठेका भी वहां के कुछ किसानों को ९ सौ रुपये पर दिया था?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—दरख्त तो किसानों को दे दिये गये। ठेका दिया था या नहीं यह सरकार को मालूम नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी के कहने का मैं यह अर्थ लगाऊं कि अब वहां पेड़ों पर किसानों का कब्जा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—किसानों का पेड़ों पर अवश्य कब्जा होगा।

*१८—श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास चुनार (मिर्जापुर) थाने के नायब दरोगा की कार्यवाही के सम्बन्ध में अदलपुरा के किसानों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया था?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, पुलिस सर्किल चुनार के द्वितीय आफिसर के खिलाफ एक शिकायत की गई थी।

*१९—श्री राजनारायण—यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र पर विचार करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—शिकायत की जांच हुई, पर वह निर्मूल सिद्ध हुई।

बिजनौर ज़िले में पैरेला पेस्ट से गेहूं की फ़सल को हानि

*२०—श्री शिव कुमार शर्मा (ज़िला बिजनौर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस वर्ष बिजनौर जिले में पैरेला पेस्ट (Pyrella Pest) द्वारा लगभग ५० प्रतिशत गेहूं की फ़सल नष्ट हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में गेहूं की फ़सल को पैरेला पेस्ट से बचाने के लिए क्या-क्या उपाय काम में लाये गये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

पैरेला वास्तव में गन्ने का कीड़ा है और इसकी फसल कटने पर अक्सर गेहूं और जौ की फसलों पर भी धावा मार देता है। अतः पैरेला से गेहूं की फसल को बचाने का कार्य गन्ने को इस कीड़े के प्रकोप से बचाने के कार्य से सम्बद्ध है। परन्तु जब गेहूं अथवा जौ की बालें पकने लगती हैं तो जहां तक हो सकता है उनको द्रव आदि के छिड़काव से दूर रखना ही अच्छा होता है। फिर भी जिला बिजनौर के प्लान्ट प्रोटेक्शन सब-सेन्टर पर किसानों द्वारा रिपोर्ट मिलने पर नगीना तहसील के मुहम्मदपुर गांव में तथा बिजनौर तहसील के भरेरू गांव में गत मार्च के महीने में एक-एक एकड़ गेहूं की फसलों को पैरेला से बचाने को छिड़काव (Dusting) किया था।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या भरेरा और मुहम्मदपुर गांवों में पैरेला पेस्ट को दूर करने का कार्य प्रदर्शनार्थ किया गया था या क्राप प्लानिंग के अन्तर्गत ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रदर्शनार्थ भी किया गया, और जहां तक उससे बचाने की आवश्यकता थी उसको भी किया गया।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भरेरा और मुहम्मदपुर गांवों में सिर्फ एक-एक एकड़ भूमि पर यह टैस्ट किया गया?

श्री जगन प्रसाद रावत—वह मैंने आप से पहले कहा कि यह देखा जाता है कि जब खेत पकने लगते हैं तो कहीं उससे नुकसान तो नहीं होता है। जहां यह देखा जाता है कि नुकसान होने की संभावना कम है तब और आगे बढ़ा जाता है। अगर नुकसान होता दिखाई देता है, तो उसको और आगे नहीं बढ़ाते।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष भी पैरेला पेस्ट की शिकायत बिजनौर में रही थी?

श्री जगन प्रसाद रावत—पिछले वर्ष के मुताल्लिक सरकार के पास इस समय कोई सूचना नहीं है।

श्री केशव गुप्त (ज़िला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार के पास बिजनौर जिले को छोड़कर प्रान्त के और दूसरे जिलों से यह सूचना आयी है कि गन्ने के कारण पैरेला से गेहूं, की फसल को प्रायः बहुत नुकसान पहुंचा है?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह सूचना बहुत से स्थानों से आयी है और सभी स्थानों पर क़रीब क़रीब प्रबन्ध किया गया।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पैरेला पेस्ट से बचने के लिये कोई दवा तैयार की गयी है?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने कहा कि पैरेला से बचने के लिये कुछ द्रव हैं जिनका प्रयोग किया जाता है।

श्री केशव गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विशेषज्ञों ने या स्टैटीशियन्स (अंकशास्त्रियों) ने सरकार को यह बताया है कि पैरेला पेस्ट के कारण कितने प्रतिशत गेहूं की फसल में इस वर्ष कमी हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके ठीक-ठीक आंकड़े तो अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस बात की कोशिश की जा रही है कि इसका पता लगाया जाय कि इससे कितना नुक़सान होता है।

भूमि की उर्वरा-शक्ति को बढ़ाने के लिये योजना

*२१—**श्री शिवकुमार शर्मा**—क्या सरकार को अपने विशेषज्ञों द्वारा यह मालूम हुआ है कि हमारे प्रान्त में कृषि के अन्तर्गत जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति प्रति वर्ष नीचे गिरती जा रही है ? यदि हां , तो सरकार कृषि के अन्तर्गत भूमि की उर्वरा-शक्ति को ह्रास से बचाने के लिए अब तक क्या-क्या उपाय काम में लायी है या भविष्य में लाने को सोच रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जहां तक सरकार को मालूम है वह यह है कि हमारे राज्य की कृषि के अन्तर्गत भूमि की उर्वरा-शक्ति कहीं-कहीं पर अच्छी और पर्याप्त खाद आदि के न मिलने से कम हुई है।

*२२—**श्री शिव कुमार शर्मा**—क्या सरकार को मालूम है कि हमारे प्रान्त में फ़स्लों सम्बन्धी योजना (Crop Planning) के अभाव में फ़सलों का उत्पादन अनियंत्रित ढंग से चल रहा है, जिसका कुप्रभाव हमारे प्रान्त की इकोनोमिक परिस्थिति पर पड़ रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार प्लानिंग की व्यवस्था को अपने प्रान्त में एक समान रूप से चालू करने के लिये कोई निश्चयात्मक योजना बनाने का विचार रखती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—भूमि की उर्वरा-शक्ति को ह्रास से बचाने के लिये तथा उसको कायम रखने के लिये सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद बनाना तथा उसको भली-भांति प्रयोग में लाने की योजनाओं का प्रचार और प्रबन्ध कर रही है, विशेष कर फलीदार फसलों का हरी खाद के रूप में प्रयोग (Use of leguminous Crops as Green manure) का प्रचार बहुत जोरों से गत कई वर्षों से हो रहा है। हमारे प्रदेश में किसानों के छोटे-छोटे खेत हैं। जो तितर-बितर फैले हुये हैं। ऐसी परिस्थिति में फ़सल सम्बन्धी योजना (Crop Planning) का चालू करना अभी संभव नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनकी उर्वरा-शक्ति बढ़ गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। प्रान्त में ऐसे भी हिस्से हैं जहां भूमि की उर्वरा-शक्ति कम भी हो गयी है और जहां उर्वरा-शक्ति कम हुई है वहां उसको दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अलीगढ़ जिले में चर्म-सुधार योजना

*२३—**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५० ई० में अलीगढ़ जिले में जो फ्लेइंग स्कीम (खाल उतारने की योजना) चालू की गयी थी, उस पर कितना खर्च किया गया और जनता को उस योजना से क्या-क्या लाभ हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अलीगढ़ की चर्म-सुधार की योजना पर कुल ५,८१० रुपये ८ आने खर्च हुए। २०० ग्रामीण हरिजनों को खाल उतारने व बनाने की व्यवहारिक शिक्षा

दी और उनमें से ४० आदमियों को खाल उतारने के आधुनिक ढंग के अच्छे औजार बिना मूल्य दिये जिसके कारण उनकी आमदनी बढ़ गई। इससे जानवरों का जो चमड़ा बेकार जाता था उसका उचित उपयोग होने से राष्ट्रीय धन की रक्षा हुई है।

*२४--श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार को विदित है कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत जो फ्लेइंग सुपरवाइजर रक्खा था वह अपनी सर्विस के दौरान में ही कालिज में ला क्लास पढ़ता रहा था और सरकार से टी० ए० (यात्रिक भत्ता) व डी० ए० (दैनिक भत्ता) और अपना वेतन पाता रहा था?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं?

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुपरवाइजर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है।

श्री जगन प्रसाद रावत---मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसकी हमारे पास कोई इत्तिला नहीं है। तो जब इत्तिला नहीं है फिर कैसे उत्तर दिया जा सकता है।

श्री राम प्रसाद देशमुख---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सुपरवाइजर कालेज में पढ़ता रहा था उसकी कोई इत्तिला मिली?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि हमारे पास कोई इत्तिला नहीं है कि वह कालेज में पढ़ता रहा।

*२५---श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के सम्बन्ध में वितरण करने के लिये जो औजार बनाये गये थे वह कितनी क़ीमत के थे और किस किस को कहां कहां वितरित किये गये?

श्री जगन प्रसाद रावत---औजारों का दाम फी सेट १३ रुपये १२ आने था। जिन व्यक्तियों को औजार मुफ्त दिये गये उनका नाम और पता संलग्न सूची में दिया हुआ है?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ . .६८ पर)

श्री राम प्रसाद देशमुख---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो सेट १३ रुपये १२ आने में बनाया गया था उसका क्या नाम था?

श्री जगन प्रसाद रावत---जो सेट १३ रुपये १२ आने में बना था उसमें एक टेढ़ी छुरी, एक सीधी छुरी व एक-एक लोहे की छड़ चाकू तेज करने के लिये दी गई थी।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या यह जांच करा ली गयी थी कि यह सेट १३ रुपये १२ आने का ही था?

श्री जगन प्रसाद रावत---दाम तो जांच करने के बा दही दिये गये थे।

*२६-२८---श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)---[वापस लिये गये।]

जौनपुर जिले की कचहरियों में हरिजनों की नियुक्तियां

*२९--श्री बाबूनन्द (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के न्यायालयों (सिविल कोर्ट और कलेक्टरी) में अप्रैल, सन्

१९४७ ई० से मार्च, सन् १९५२ ई० तक सुरक्षित सीटों के आधार पर कितने हरिजन प्रत्येक विभाग में रक्खे गये हैं? यदि नहीं रखे गये तो क्यों?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर के सिविल कोर्ट में अप्रैल, सन् १९४७ से मार्च, सन् १९५२ तक २४ चपरासियों में से २ हरिजन चपरासी रक्खे गये। हरिजनों की संख्या लगभग ८ प्रतिशत पड़ी। २ से अधिक हरिजन नहीं रखे जा सके, क्योंकि इनके अलावा अन्य किसी ने बावजूद विज्ञापन के दरख्वास्त नहीं दी।

सिविल कोर्ट में क्लर्कों की जगह के लिये सन् १९४७ में किसी भी हरिजन ने दरख्वास्त नहीं दी, पर यह कमी सन् १९४८ में पूरी कर दी गई जब कि एक हरिजन क्लर्क की जगह पर लिया गया। सन् १९४९, १९५१ और १९५२ में क्लर्कों की कोई नियुक्ति नहीं हुई। सन् १९५० में नियुक्ति हुई पर किसी हरिजन ने दरख्वास्त नहीं दी।

जौनपुर कलेक्टरी में उपरोक्त समय में केवल २ हरिजन चपरासी रक्खे गये, एक सन् १९४८-४९ में और एक १९५१-५२ में। इन २ हरिजनों के अलावा और किसी हरिजन ने नौकरी के लिये दरख्वास्त नहीं दी।

क्लर्कों की जगह पर सिर्फ एक हरिजन सन् १९४८-४९ में रक्खा गया क्योंकि किसी और हरिजन ने किसी साल दरख्वास्त नहीं दी। जुलाई, सन् १९५१ से कलेक्टरी में बन्दोबस्त, बटवारा और आनरेरी मैजिस्ट्रेट के इजलासों के कर्मचारियों को खपाने के लिये पेड अप्रेन्टिसों की भर्ती पांच साल के लिये बन्द कर दी गई। अतः जुलाई सन् १९५१ से किसी हरिजन को क्लर्कों की जगह मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि हरिजनों की सुरक्षित सीटों के सम्बन्ध में कौन सा विज्ञापन का तरीका अख्तियार किया गया था?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नौकरियों के सम्बन्ध में जिस प्रकार से विज्ञापन होता है उसी प्रकार हो जाता है।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि स्थानीय तथा दैनिक अखबारों में विज्ञापन कराया गया या नहीं। अगर नहीं तो क्यों।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--दैनिक अथवा और किसी इस प्रकार के अखबारों में विज्ञापन करने का कोई नियम नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भर्ती होती है उनके लिये वह कायदे हैं, लेकिन चपरासियों के लिये इस तरह से नहीं किया जाता है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि भविष्य में समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने का प्रबन्ध किया जायगा?

श्री चरण सिंह--सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नौकरियों के सम्बन्ध में चपरासियों की भर्ती के सिलसिले में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को सूचना दी गई थी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो नहीं कहा जा सकता है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--चपरासियों की नौकरियों के विज्ञापन का आज-कल क्या तरीका है?

श्री चरण सिंह--विज्ञापन का अर्थ यह नहीं है कि तहरीरी विज्ञापन हो।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

१३५८ फ़सली में मालगुजारी और लगान में छूट

*१—†श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)†—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १३५८ फ़सली में मालगुजारी और लगान में किनकिन जिलों में कितनी छूट किन तारीखों को दी गयी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मांगी गई सूचना सम्बद्ध सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७० पर)

*२—श्री गेंदा सिंह—किन-किन जिलों से कितनी छूट की रक़म सरकार ने स्वीकार करके फिर वापस ले ली ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—केवल देवरिया और बनारस जिलों में स्वीकृत की गई छूट बाद में वापस ले ली गई थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी ?

श्री चरण सिंह—इसका कारण यह है कि बनारस के कमिश्नर ने जब छूट की सिफारिश की तो उन्होंने वसूलयाबी की रकम को मुल्तवी नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि जब तक गवर्नमेंट ने फैसला किया तब तक जमींदारों ने काश्तकारों से लगान वसूल कर लिया। तब जमींदारों को छूट देना कोई बेजा बात नहीं थी। इसलिये रकम वापस ले ली गई।

पूर्वी ज़िलों में बाढ़ के पानी के उपयोग के लिए कमेटी का निर्माण

*८—†श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि पूर्वी जिले में बाढ़ के कारण बहुत सी फसल बरबाद हो जाती है और बहुत सी फसल पानी की कमी के कारण सूख कर बरबाद हो जाती है ? यदि हां, तो बाढ़ के पानी का सदुपयोग करके फसलों को बाढ़ व सूखा से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कमेटी बनाई गई है ?

*९—अगर बनाई गई है तो उसके कौन-कौन सज्जन सदस्य हैं और उस कमेटी ने अपना कार्य आरम्भ किया है या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, यह सच है कि पूर्वी जिलों में प्रायः बाढ़ से और कभी-कभी सूखा से भी फसलें बरबाद हो जाती हैं। बाढ़ के पानी का सदुपयोग करके फसल को बाढ़ और सूखा से बचाने के लिये तो कोई कमेटी नहीं बनाई गई है परन्तु बाढ़ तथा बाढ़ से होने वाली विपत्ति को दूर करने के उपायों पर विचार करने के लिये सरकार ने एक बाढ़ कमेटी (Flood committee) बनाई है जिसके सदस्यों की सूची संलग्न है। कमेटी ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है परन्तु समस्या के जटिल तथा विस्तृत होने के कारण कमेटी अपना कार्य अभी समाप्त नहीं कर सकी है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ट ७३ पर)

*१०—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—(अनुपस्थित) अगर किया है तो बस्ती जिले के उस क्षेत्र के लिये क्या कार्य हुआ जहां कि बाढ़ का प्रकोप है ?

---

†नोट—(१) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १—२ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।
(२) अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ८—१० श्री राजाराम शर्मा ने पूछे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बस्ती तथा अन्य बाढ़-ग्रस्त जिलों में बाढ़ से बचाव के उपायों का प्रश्न बाढ़ कमेटी की "टेक्निकल सब-कमेटी" के विचाराधीन है जिसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि वे कौन कौन से जिले हैं जो पूर्वी जिलों के नाम से विख्यात हैं और जहां बाढ़ आ जाया करती है।?

श्री चरण सिंह—बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर में भी कभी-कभी थोड़े बहुत हिस्से में बाढ़ आ जाती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार बतलायेगी कि इस बात का क्या बेसिस है कि सरकार किसी जिले को बाढ़ ग्रस्त जिला मान लेती है और बाकी को छोड़ देती है।

श्री चरण सिंह—कामन सेंस से, अर्थात् जहां बाढ़ बहुधा आती है उनको बाढ़ ग्रस्त कहा जा सकता है और जहां ५० बरस में एक बार आये उसको बाढ़ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि क्या उनको पश्चिमी जिलों में भी इस तरह की किसी समस्या की सूचना प्राप्त हुई है?

श्री चरण सिंह—पश्चिमी जिलों में सन् १९२४ में बाढ़ आई थी और उसके बाद से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई बाढ़ वहां आई। सिर्फ थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा एक दो बार जरूर हुई कि जिससे पानी एक दो मील बढ़ गया हो, लेकिन उधर बाढ़ समस्या कहीं नहीं हुई।

अतारांकित प्रश्न

१—४—श्री शिवकुमार शर्मा—[ये प्रश्न सदस्य की प्रार्थना पर तारांकित किये गये प्रश्न संख्या १—३ आज के प्रश्न संख्या २०—२२ के स्थान पर हैं। प्रश्न संख्या ४ जुलाई २८, १९५२ के लिये स्थगित किया गया]

५—७—श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—[४ अगस्त, १९५२ के लिए स्थगित किये गये,]

मुरादाबाद जिले में खुदकाश्त और सीर के संबंध में झगड़े

८—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जमींदारों की खुदकाश्त व सीर के शिकमियों में कबजे के सिलसिले में कुछ झगड़े जिला मुरादाबाद में चल रहे हैं और उनमें से कुछ झगड़े ऐसे हैं जो लगातार कई वर्षों के हैं? यदि हां, तो भविष्य में कबजे के सिलसिले में होने वाले झगड़े को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी हां, इस प्रकार के वाकआती या कानूनी झगड़े अदालत के जरिये ही तय हो सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि जहां शांति-भंग होने की आशंका हो वहां जाब्ता फौजदारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

९—श्री महीलाल—ऐसे झगड़ों के निर्णयार्थ क्या सरकार कोई अवधि निश्चित करेगी ?

श्री चरण सिंह—जो झगड़े चल रहे हैं उनके निर्णय की कोई अवधि नियत नहीं की जा सकती।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह समय के बटवारे के संबंध में मुझे कुछ सुझाव दें।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—मेरा सुझाव यह है कि आज का तो समस्त बाकी दिन पुलिस विभाग पर दिया जाय और कल के लिये जेल और श्रम रखा जाय। चूंकि जेल और श्रम भी काफी जरूरी हैं इसलिये कल का कुल समय उन पर दिया जाय और परसों का दिन सहकारिता और वाहन के लिये रखा जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं श्री केशव गुप्त के सुझाव से सहमत हूं।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—समय चाहे जितना रखा जाय मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन चूंकि जो सूची बनी थी उसके अनुसार जेल का नाम पहले था इसलिये यदि जेल ही पहले लिया जाय तो मुझे जरा सुविधा होगी और उसके बाद आज और कल जितना समय आप पुलिस में लेना चाहें आप रख सकते हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी। क्रम ठीक रहे तो मुझे सुविधा रहेगी।

अध्यक्ष—यह उचित होगा कि जेल आज पहले ले लिया जाय। ३ दिन का समय है। अगर आज का समय पुलिस के लिये कम रह जाय तो कल का भी कुछ समय पुलिस के लिये लिया जा सकता है। अब श्री केशव गुप्त कुछ सुधार कर के सुझाव पेश कर सकते हैं।

श्री केशव गुप्त—तो आज जेल और लेबर (श्रम) ले लिया जाय। पुलिस उस के बाद शुरू कर दिया जाय।

अध्यक्ष—जेल और श्रम से आप संबंध रखना चाहते हैं क्या ? अगर नहीं रखना चाहते हैं तो पहला पहले लिया जाय और उसके बाद कल पुलिस को जारी रख सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—जेल के लिये ३ घंटे काफी हैं जेल में काफी रह चुके हैं, वह ३ घंटे में हो जायगा। बाकी पुलिस के लिये आज का बाकी दिन और कल २ घंटे और उसके बाद लेबर (श्रम)।

अध्यक्ष—तो यह रहा कि २ घंटे आज जेल के ऊपर विवाद होगा, उसके बाद पुलिस। कल २ घंटे पुलिस पर विवाद होने के बाद बाकी कल का समय करीब ३ या २ १/२ घंटे रहा जो श्रम के लिये रहेगा। जितने अनुदान बाकी रह जावेंगे वे परसों ले लिये जावेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५२—५३ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १५—जेल, लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां।

गृहमंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५, लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियों, के अन्तर्गत १,१३,०८,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस मांग को पेश करते हुये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं उन पर जब मैंने दृष्टि डाली तो बहुतों में यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को सुझाव देना है। जो माननीय सदस्य मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हों जो अवश्य ही अनुभव के आधार पर होंगे, तो यह मेरा धर्म है कि उन्हें सुनूं और उन पर अमल करने की कोशिश करूं। केवल कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं जो नये कामों के संबंध में हैं जो हम करने जा रहे हैं। जेल में जो कैदी रहता है उसका जीवन मूलतया सुखमय नहीं होता। यह संभव नहीं है। परन्तु दो एक बातें हैं जिनके ऊपर हम सब लोगों को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। कम से कम मैं तो उन बातों को बराबर सोचता रहता हूं। निश्चय ही जेल में जो आदमी जाता है वह समाज के किसी बनाये हुये कानून के मातहत जाता है परन्तु समाज को भी इस बात को सोचना चाहिये कि उस आदमी को जेल भेजने में हमारी कहां तक जिम्मेदारी है। जब मैं इसे सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य ही बहुत से लोगों को जेल में भेजने की जिम्मेदारी समाज के ऊपर है। तो दो बातें इस संबंध में हमारे सामने आती हैं, अर्थ और काम अंग्रेजी शब्दों में कहेंगे (Preservation of wealth and Preservation of species) (धन रक्षण व प्राण रक्षण) मैं समझता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को इस बात का हक हासिल है कि वह समाज में उचित स्थान ग्रहण करते हुये अपना जीवनयापन करे परन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि वह दूसरे के कार्य में बाधक न बने। यह जरूरी चीज है। परन्तु आज समाज की व्यवस्था ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता। अनेक कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य आज अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों का जिक्र करता हूं जिनमें काम करने की योग्यता है अर्थात् जो तन्दुरुस्त हैं और काम कर सकते हैं, परन्तु समाज की व्यवस्था तो ऐसी है कि उनको काम नहीं मिल सकता। अब ऐसे में आदमी क्या करे ? समाज की व्यवस्था ऐसी है कि एक आदमी जो भूखों मर रहा हो, उसके बच्चे भूखे मर रहे हों, ऐसी अवस्था में जिसके पास करोड़ों रुपया भरा हुआ है और उसके पास से यदि हजार या दो हजार रुपया यों ही निकल जाय तो उसे कोई नुकसान या तकलीफ नहीं पहुंचेगी, लेकिन ऐसे आदमी के घर से भूखा मनुष्य यदि चार पैसे की चीज भी उठा लेता है, तो फिर जो एक कानून है उसके अनुसार पुलिस भी मजबूर है और मैजिस्ट्रेट भी मजबूर है और उस आदमी को जेल भेजना ही होगा। अब जेल तो उसे भेज दिया गया लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि जिन बच्चों के लिये वह ऐसा करता है वह क्या करेंगे। उनकी क्या हालत होगी, इसे कोई नहीं पूछता। एक किसी आदमी के थोड़े से पैसे बचाने की जिम्मेदारी तो समाज अपने ऊपर लेता है लेकिन बहुत से आदमियों के यानी उसके बच्चों के प्राण बचाने की जिम्मेदारी समाज अपने ऊपर नहीं लेता। इस तरह रुपये का मूल्य लोगों के प्राणों की अपेक्षा अधिक हो गया है। इस व्यवस्था को, समाज को बदलना ही होगा। और परिस्थिति को आगे रखना ही होगा। जो मनुष्य भूख की अवस्था में भी ऐसा काम यानी चोरी या और कोई अपराध करने पर उतारू नहीं होता है वह धन्य है।

जब समाज की ऐसी व्यवस्था है तो एक ही बात कर सकते हैं। अगर समाज की गलत व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था की वजह से किसी को जेल जाना भी पड़ता है तो जेल में जाकर अगर उसको हम आराम से न भी रख सकें तो कम से कम जितना सुधार हो सकता उतना सुधार तो किया ही जाना चाहिये और जब वह जेल से निकले तो अपने में कुछ सुधार लिये हुये निकले।

जब हम सुधार की बात सोचते हैं तो हमारे सामने लाजिकली (तार्किक रूप से) कई बातें आती हैं, उन बातों में जेल में किन बातों का सुधार किया जा रहा है उन बातों को विस्तार के साथ तो मैं कहना नहीं चाहता जो जेल रिफार्म्स कमेटी के सुझावों के अनुसार वहां की जा रही हैं। दो चार बातों का अवश्य जिक्र करूंगा। कैदियों के कपड़ों में सुधार हुआ है। खाने में सुधार हुआ है। मसलन यह सुझाव दिया गया था कि त्यौहारों पर विशेष

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रकार का भोजन देने की व्यवस्था हो। उसे किये जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त रोजाना भी तरकारी वगैरा बदल कर दी जाती है। एक फ़जूल का काम भी वहां लिया जाता था। लोगों से चक्की पिसाई जाती थी अब उसकी जगह आटा पीसने की चक्की लगाई जा रही है। इसके अलावा खास खास हालतों में उनको छुट्टी भी दी जाती है जिसमें वे अपने-अपने घरों को जा सकते हैं।

अभी एक प्रश्न के जवाब में मैंने बतलाया था कि कैदियों को मजदूरी देने का प्रयोग भी किये जाने की कोशिश की जा रही है। माननीय सदस्यों को हमारी रिपोर्टों से यह बातें मालूम होंगी।

इसके अतिरिक्त ३ बातें जो अहमियत की हैं वे की जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि उनके लिये सब माननीय सदस्यों का अनुमोदन और आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जो लोग कि जेलों में कैदियों की हैसियत से रह चुके हैं या विजिटर (दर्शक) की हैसियत से जेलों में गये हैं उन लोगों ने यह दृश्य देखा होगा कि जब मुलाकात करने के लिये जेलों में लोग जाते हैं तो १००–१०० आदमियों की मुलाकात एक ही साथ होती है। वहां प्राइवेसी (एकान्त) तो कुछ रहती ही नहीं बल्कि बहुत जोर-जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाय तो सुनना ही मुश्किल है। इसलिये आपस में बातचीत करने के लिये वहां चीखना पड़ता है। मुलाकात क्या एक मुसीबत हो जाती है। जब आदमी मुलाकात करने के लिये जाता है तो सोचता है यह कहेंगे वह कहेंगे, जो कैदी होता है वह भी बहुत सी बातें अपने मन में सोच कर वहां आता है। लेकिन दोनो अपने मन की बातें मन में लेकर ही चले जाते हैं। इस मामले में सुधार करने के लिये हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। इसलिये हमने बजट में अलग से रुपया नहीं रक्खा है जो चीज हम करने जा रहे हैं उसको पहले हम सेंट्रल प्रिजन में करना चाहते हैं। पहले हम उसको सेंट्रल प्रिजन में करेंगे और फिर आशा करते हैं कि शीघ्र ही और जेलों में भी कर देंगे। उसके लिये हमने यह सोचा है कि मुलाकात रोज हुआ करेगी। उसका परिणाम यह होगा कि जेलों में जितने कैदी होंगे वे ७ भागों में बंट जायंगे। थोड़े-थोड़े कैदियों की मुलाकात होने से प्राइवेसी भी रहेगी और आपस में बातचीत भी आराम से हो सकेगी तथा चीखना चिल्लाना भी न पड़ेगा, अलहदा अलहदा वे बैठ सकेंगे जिससे एक घर की बात दूसरे को मालूम न हो सकेगी। मैं समझता हूं कि यह एक आवश्यक सुधार है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। अगर यह प्रयोग सेंट्रल प्रिजन में सफल हुआ, सफल न होने का कोई कारण मालूम भी नहीं होता, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेलों में भी शुरू किया जायगा। इसके लिये हमने इस बजट में रुपये पैसे का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया है। यानी बगैर रुपये पैसे के खर्चे के यह सुधार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त हम एक दूसरी चीज करने जा रहे हैं जिसके लिये इस बजट में ९० हजार रुपये का प्राविजन है जिसकी ओर मैं सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो जेलों में रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि वहां के पाखाने कैसे हुआ करते हैं। सन् १९२१ के जमाने में जो लोग जेल गये हैं उस समय जो पाखाने की व्यवस्था थी, वह उन लोगों को मालम है, यद्यपि वह व्यवस्था अब देखने को नहीं मिलती। पाखाने के बाहर अलकतरे से रंगा हुआ चबूतरा होता था और सब कैदियों के लिये हुक्म था कि शौच के लिये आने पर सब को एक साथ सब के सामने ही बैठना पड़ेगा। सन् १९३१–३२ में राजनीतिक कैदियों ने इस प्रथा का विरोध किया और उनके साथ यह नियम तो नहीं बरता गया लेकिन और कैदियों के लिये यही नियम लागू था। दूसरी बात कि उन पाखानों में दरवाजे नहीं होते जिसके कारण जो आदमी हयादार है, भला आदमी है, अगर जेल के अन्दर जाय तो वहां जाकर बेहया, बेशरम बन जायगा। तो उसके लिये हमने प्रबन्ध किया है कि जितने जेल के अन्दर पाखाने हैं उन सब में दरवाजे लगा दिये जायं और उसके लिये हमने ९० हजार रुपये का प्राविजन किया है। अगर सदन मंजूर करेगा तो यह सुधार भी हो जायगा और मैं समझता हूं कि इसे सब लोग पसन्द करेंगे।

तीसरी चीज एक बिल्कुल नयी चीज है जो उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुई है और जहां तक मैं जानता हूं इस देश में कहीं उस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है और उसके लिये हमने इस बजट में दो लाख का प्रोविजन रखा है। बजट में इसकी विशेष व्याख्या तो नहीं की गयी है लेकिन जो नया प्रयोग हम करने जा रहे हैं उसका स्वरूप थोड़े में मैं बतला देना चाहता हूं कि जेल में जो हमारे कैदी हैं वे कोई ऐसा काम तो करते नहीं हैं जिसके जरिये वे बाहर जाने पर अपनी रोजी के लिये कुछ कर सकें। बाहरी दुनिया से उनका बिल्कुल सम्पर्क नहीं रहता है जिससे जब वे जेल से लौट कर अपने घर जाते हैं तो बाहरी दुनिया से अपने को बिल्कुल अलग ही पाते हैं। इसके लिये हमने सोचा है कि कैदियों को बाहर रहना चाहिये जिससे दुनिया की जो हवा है उससे वे अपने को अलग न देखें। साथ ही जब कि आज देश में बहुतेरे ऐसे काम हैं जिनसे हम समझते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, बहुत से ऐसे रचनात्मक काम हैं, जिनसे हमारे देश की सुव्यवस्था हो सकती है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवनस्तर ऊंचा हो सकता है, तो फिर हम इन कैदियों से ऐसे काम क्यों न लें? इन कैदियों में यह भावना होनी चाहिये कि हम भी यहां के नागरिक हैं और हमें भी कोई न कोई काम ऐसा करना चाहिये जिससे हम इस प्रदेश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। इस संबंध में हमने इरीगेशन (सिंचाई) विभाग से बात कर ली है कि वे इरीगेशन डिपार्टमेंट की कोई स्कीम हमें दे दें चाहे वह स्कीम मिर्जापुर में हो या चुनार में हो या कहीं भी हो। उस स्कीम के मातहत उन कैदियों को वहां ले जायेंगे जहां पर उनको अकेले कैम्प के अन्दर रहना होगा। वे हथकड़ी बेड़ी से खुले रहेंगे। वहां जेल के भी कुछ अधिकारी रहेंगे। वहां पर कैदियों के लिये रिक्रीएशन (मनोविनोद) का भी प्रबन्ध रहेगा, उनके लिये सिनेमा वगैरह का भी प्रबन्ध रहेगा, शिक्षा का भी प्रबन्ध रहेगा जैसे कि औरों के लिये रहता है। उनको हम मजदूरी देने की बात भी सोच रहे हैं। उसका ब्योरा तैयार हो रहा है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द, अक्टूबर से इस काम को शुरू कर देंगे। हम चाहते हैं कि मजदूरी उनको इतनी दी जाय कि जो उनके खाने पीने का खर्चा है उसको काटने के बाद भी ८ आने १० आने रोज जरूर बच जाय। उसमें से एक चौथाई तो उनको वहीं खर्च करना है। वहां दूकानें रहेंगी जहां से वे अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेंगे और बाकी रुपया उनका जमा रहेगा जो उनको छूटने के बाद मिल जायगा। रूस में इसके ऊपर एक किताब लिखी गयी है जिसमें लिखा है कि हम कैदियों से ऐसा काम लें कि जेल से बाहर जाने पर वे वाकई एक भले आदमी बन कर अपने घर जायं। है हमारे दिमाग में जो बात थी वह यह है कि जिन कैदियों का व्यवहार अच्छा होगा, जो ठिकाने से काम करेंगे हम चाहते हैं कि उन कैदियों को हम जो शिक्षा देंगे उसके बाद वे अच्छे नागरिक हो जायं और उसके बाद हम उनको घर जाने दें। यह पहला मौका है इसलिये चुने हुये कैदियों को लेना होगा ताकि श्रीगणेश में ही पहला ही एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) बिगड़ न जाय। लेकिन हम आशा करते हैं कि बहुत से कैदियों को इस प्रकार रचनात्मक कामों में लगायेंगे जिससे उनकी बुद्धि का विकास होगा। एक गौण बात यह है कि इससे हमारी जेलों की आबादी बहुत कम हो जायगी और खर्चा भी बहुत कम हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि अक्तूबर में यह काम शुरू हो जायगा। इस साल के बजट में हमने अक्तूबर से मार्च तक के लिये रखा है। अगर सदन ने इसको मंजूर किया तो अगले साल पूरे साल भर का होगा। संभव है कि इससे दूसरे प्रदेश भी सोचें कि यह प्रयोग अच्छा है और वे अपने यहां भी इसे शुरू करें। जब यह प्रयोग शुरू हो जायगा तो मैं खुद सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे चल कर देखें कि किस तरह से काम चल रहा है, हमारे कैदी किस तरह से काम कर रहे हैं और कहां तक सचमुच हम उन्हें अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं। इस काम में मैं सब का सहयोग और आशीर्वाद चाहता हूं।

और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं तो उन सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिनको कट मोशन्स के द्वारा आशा दिलायी गयी है।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो जेल विभाग पर अनुदान पेश किया है उस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ने अभी हम लोगों के सामने समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। उन्होंने यह बतलाया कि जो अपराधी अपराध करता है वह सामाजिक अवस्था के कारण ऐसा करता है। आज कल हमारे समाज में कुछ ऐसी विषमता पायी जाती है जिसके कारण मजबूर हो कर मनुष्य को अपराध करना पड़ता है। लिहाजा इन अपराधियों को सजा तो देनी ही पड़ती है। लेकिन उनको जेल में रख कर उनका सुधार करना चाहिये। इस भावना का उन्होंने प्रदर्शन किया। जहां तक उनकी इस भावना का संबंध है हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब मैं उनके पिछले छः साल के कार्य-काल की तरफ देखता हूं तो जो चित्र हमारे सामने आता है उसमें यह पाता हूं कि उनके समाजवादी विचारधारा रखने वाले यह विचार केवल स्वप्न ही दिखलायी देते हैं।

मुझे कई बार जेल जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में भी कई बार जेल जाने का मौका मिला और कई वर्ष जेल में रहा। साथ साथ ही इस हुकूमत के जमाने में भी तीन बार मुझे जेल जाने का मौका मिला और कई महीने रहा। लेकिन मैंने उस जमाने में जैसी जेल थी वैसी ही पायी। अगर कोई अन्तर मिला तो केवल यह कि वहां अखबार मिल जाता है या कैदियों को बीड़ी और सिगरेट अपने घर से मंगाने की आज्ञा मिल जाती है। इसके अलावा मुझे कोई भी परिवर्तन अंग्रेजी जमाने से नहीं मिला। खाने की समस्या वैसी ही है जैसी अंग्रेजी जमाने में थी। बल्कि उससे भी कुछ बदतर है। रोटियां कच्ची मिलती हैं। कम वजन में मिलती हैं। जहां तक दाल का संबंध है दाल के लिये तेल या मसाला जो कुछ मिलता है जेल अधिकारी ले लेते हैं या कौन जाने कौन ले लेता है। कैदियों तक नहीं पहुंचता। साग जितना होता है वह भी कैदियों तक नहीं पहुंचता और अगर पहुंचता है तो सड़ा हुआ, जो गोदाम में पड़ा-पड़ा सड़ जाता है या ऐसा साग पहुंचता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं।

जहां तक कपड़े का ताल्लुक है अगर कटा मिला तो कम्बल नहीं है। अगर कमीज मिल गयी तो पायजामा नहीं है। जाड़े के दिनों में सिर्फ दो कम्बल ही मिलते हैं, एक बिछाने के लिये और एक ओढ़ने के लिये। इसके साथ ही साथ जहां तक बैरकों का ताल्लुक है, जितनी कैपेसिटी (समावेशन) बैरकों की है उससे कहीं ज्यादा आदमी भरे जाते हैं। इससे बड़ी परेशानी कैदियों को होती है। जहां तक काम का ताल्लुक है, हवालाती कैदियों से भी काम लिया जाता है। जहां तक सफाई का संबंध है अंग्रेजों के जमाने में जेल में बहुत ज्यादा सफाई रहती थी लेकिन अब उन्हीं दिनों में सफाई रहती है जब सुप्रिंटेंडेंट साहब विजिट करने (देखने) आते हैं, या कोई अधिकारी विजिट करने आता है या नानआफिशल विजिटर्स विजिट करने आते हैं जिनका समय नियत होता है। इसके अलावा और कोई विशेष सफाई नहीं होती है। जहां तक पाखानों का ताल्लुक है, जेल के पाखाने बिल्कुल नर्क के समान मालूम होते हैं। हफ्ते में कहीं एक या दो दिन फिनायल डाल दिया जाता है। वहां टट्टियों में तो इतनी बदबू आती है, कि उनके अन्दर जाने में बड़ी परेशानी होती है।

जहां तक दवाइयों का संबंध है, पानी मिली हुई दवाइयां मिलती हैं। मैं नहीं कह सकता कि सरकार की ओर से ऐसी दवाइयां दी जाती हैं या जो वहां के डाक्टर और कम्पाउंडर लोग हैं वे उन दवाइयों को खा जाते हैं। कैदी जिन्दा रहे तो अपने भाग्य से और मर जाय तो अपने भाग्य से इसकी उनको चिन्ता नहीं है।

जहां तक कैदियों के सामान का ताल्लुक है, जो कुछ कैदियों का सामान जमा होता है, उसमें से आधा उनको मिल जाता है और आधा जेल के अधिकारी खा जाते हैं। इसके साथ ही साथ

मैं यह कहूंगा कि जेल में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जेलों में खुले आम दिन में जुआ होता है, चोरियां होती हैं। मैं नहीं कह सकता कि जेलों में वे चीजें कहां तक हो रही हैं, जिनकी कल्पना हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे हैं।

अब मैं माननीय मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं जिनकी रोशनी में वे जेलों में सुधार करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें जेलों में छोटे छोटे उद्योग धंधों का प्रचार करना चाहिये। यह न हो कि आप एक या दो आदर्श जेलें बना दें और उसके बाद यह प्रचार करें कि हम जेलों को आदर्श बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक जेल में सुधार के काम के लिये जांच और छोटे छोटे उद्योग धन्धे चलाये जायं। जेलों में पावर दे करके प्लाईवुड, रेजिन, प्लास्टिक और मध्यम क्लास के उद्योग धन्धों के कारखाने खोले जायं। उनमें कैदी जितना माल तैयार करें उसकी आधी कीमत जेल को दे देनी चाहिये और आधी बचत फंड में जमा रखनी चाहिये। जब कोई कैदी छूटे उसका बचत फंड का रुपया उसको दे देना चाहिये ताकि वह जेल से बाहर जाने पर अपने को पुनः आबाद कर सके, उसके पास जो पैसा हो उससे वह कुछ कर सके और उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ न जाय।

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि जो लम्बी सज़ा वाले कैदी हों उनकी बाकायदा शिक्षा होनी चाहिये। उनके लिये हाई स्कूल और कालेज के इम्तहानों में बैठने के लिये आज्ञा होनी चाहिये ताकि जेल से निकलने के बाद वे देश के अच्छे नागरिक बन सकें और अपना ध्यान अच्छाई की तरफ अग्रसर कर सकें।

जो जेलों में राशन दिया जाता है उसको जेल के अधिकारी खा जाते हैं। उसके लिये हम यह चाहेंगे कि जेल में एक ऐसी पंचायत बने जिसमें कैदियों के प्रतिनिधि रहें और जेल के अधिकारी रहें। जेल के अधिकारियों का अधिकतर काम निरीक्षण करने का होना चाहिये और बाकी प्रबन्ध कैदियों की तरफ से होना चाहिये। खाने की व्यवस्था का जहां तक संबंध है अभी तक जेलों में एक मेस चलता है। एक मेस के चलने में इस बात की गुंजाइश रहती है कि जेल के अधिकारी और चलते हुये कैदी सामान चुरा लेते हैं। जो चलते हुये कैदी होते हैं वे तेल, मसाला वगैरा चुरा लेते हैं और बीड़ी और दूसरी अपनी शौक की चीजें मंगा लेते हैं। इसलिये एक मेस नहीं चलना चाहिये बल्कि १५ या २० आदमियों के लिये एक मेस बना देना चाहिये और उनको कच्चा राशन दे देना चाहिये। इस तरह से उनको पूरा राशन मिल जायगा और वे अच्छा खाना खा सकेंगे और एक अच्छे नागरिक की हैसियत से जेलों में रह सकेंगे।

जहां तक जेलों के विजिट करने [निरीक्षण] का ताल्लुक़ है, नानआफिशल विज़िटर्स जो जाते हैं उनका रोस्टर (पांजिका) बन जाता है, और उस रोस्टर के मुताबिक़ उनको जाना पड़ता है। यह सिस्टम ठीक नहीं है। इसमें अधिकतर देखा यह जाता है कि जिस दिन कोई नानआफिशल विजिटर जाना चाहता है उस दिन काफी सफाई कर दी जाती है, पाखानों में फिनायल डाल दिया जाता है, अच्छी किस्म की रोटी बनाई जाती है, और ज्यादातर कैदियों के पास उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाता है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं भी खुद विजिटर रहा हूं और मेरे साथ ऐसा ही किया गया। तो मैं चाहता हूं कि सरप्राइज़ विज़िट्स (आकस्मिक निरीक्षण) होनी चाहिये जिससे हम देख सकें कि जेल अधिकारियों का सलूक क़ैदियों के साथ कैसा है और उनके खाने आदि का प्रबन्ध कैसा है। तो एक सुझाव मेरा यह भी है कि रोस्टर का जो क़ायदा है वह नहीं होना चाहिये और सरप्राइज़ विज़िट्स होनी चाहियें। इसके साथ ही साथ जितने भी एम० एल० ऐज़० या एम० एल० सीज़० हैं उन सब की नानआफ़िशल विज़िटर्स में गणना होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि विरोधी दल के लोग जो हैं उनको भी नानआफ़िशल विज़िटर्स बनाया जाय क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि सरकार अपनी ही पार्टी के लोगों को नानआफिशल विज़िटर्स बनाती है।

मैं यह भी सुझाव रखना चाहता हूं कि बहुत से जेल के अधिकारी अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं और उनकी मनोवृत्ति शासक की मनोवृत्ति है, उनकी मनोवृत्ति वेलफ़ेयर स्टेट

[श्री गजेन्द्र सिंह]

(कल्याणकारी राज्य) के कर्मचारियों की तरह नहीं है। वे यह सोचते हैं कि हम इन कैदियों के शासक हैं और यह नहीं सोचते कि इन्होंने आर्थिक व्यवस्था की वजह से अपराध किया है। उनका यह लक्ष्य होना चाहिये कि वे इस बात को समझें। जब उनका यह लक्ष्य होगा तो हम समझते हैं कि वे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ताकि वे जल्द से जल्द देश के उपयोगी नागरिक बनें। मनोविज्ञान के ज्ञाता लोगों को जेल का अधिकारी बनाना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह (ज़िला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने इस विषय पर बोलने के लिये मुझे अवसर प्रदान किया। जहां तक जेल के कैदियों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट और अपने विचार आज इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं वे बड़े ही सुन्दर और उपयोगी हैं। यदि उन विचारों पर हम लोग चलते रहें तो हमारे देश की और हमारे प्रान्त के इस विभाग की बड़ी अच्छी प्रगति होगी। मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हैं वे भी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से उनके सामने रखना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि जेल के क़ैदियों का वर्गीकरण अत्यन्त आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल के लिये हैबिचुअल (अभ्यस्त) हैं, यानी जेलबर्ड हो जाते हैं या जिनकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि जिनका अकसर जेल जाना दिन प्रतिदिन का काम हो जाता है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से अलग करना अत्यन्त आवश्यक है कि जो लोग कभी कभी या किसी आवेश में आकर कोई जुर्म कर डालते हैं और उस जुर्म के लिये उनको जेल जाने की सजा मिल जाती है। जिस समय कोई कैदी जेल में जाय तो उसके सम्बन्ध में पहली हिस्ट्री जेल के कर्मचारियों के पास अदालत से फैसले में जानी चाहिये जिससे उनका वर्गीकरण कर दिया जाय। जो लोग हैबिचुअल्स हैं उन लोगों के लिये अलाहिदा ट्रीटमेंट (व्यवहार) रखा जाय और उनके साथ का व्यवहार कुछ ऐसा होना चाहिये जो कुछ सख्त हो जिससे उनकी जुर्म करने की आदत छूट सके। जो लोग कभी कभी जेल में जाते हैं उनके विषय में अदालतों को भी जहां से कि उनको सजा मिलती है ऐसी हिदायत की जाय कि जिस जुर्म में उनको सजा हुई वह किसी आवेश में आकर कर दिया गया था या और कोई ऐसी बात हो गई जिससे जुर्म हो गया। ऐसा होने से जेल के अधिकारियों को उन कैदियों के साथ में व्यवहार करने में भी कुछ सहूलियत होगी। यदि यह देखा जाय कि किसी कैदी ने आवेश में आकर कोई जुर्म किया है तो उसके साथ और तरह का व्यवहार होना चाहिये। जैसे किसी भी स्कूल के अन्दर ऐसे टीचर्स को न रखा जाय जिसने पहले ट्रेनिंग न पाई हो, उसी तरह जेल के अन्दर भी किसी आदमी को सरकारी नौकरी पर न रखा जाय जिन्होंने पहले से मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग न पाई हो। ऐसे पुराने जेल अधिकारियों को जिनके अन्दर यह भावना भरी हुई है कि वह इंसान को इंसान न समझते हों और दूसरों को सताना या तकलीफ देना ही अपना कर्तव्य समझते हों, जेल में न रखा जाय। पुराने जेलरों तथा जेल अधिकारियों की बाबत तो मशहूर है ही कि अगर किसी क़ैदी ने चाहा कि मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि इसकी दाढ़ी कटवा दो और अगर किसी कैदी ने कहा कि साहब मैं दाढ़ी कटवाना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि नहीं यह तो जरूर रखी जायगी। कहने का मतलब यह है कि पहले के जो जेलर्स या कर्मचारी हुआ करते थे उनका काम था कि जैसा कैदी चाहे उसके विपरीत वह करना चाहते थे। उनका मुख्य मतलब यह था और वह चाहते थे कि किसी न किसी तरह से कैदी को तकलीफ दी जाय और उसको नुकसान पहुंचाया जाय।

आज कल जेल के संबंध में जो पहले हम लोगों के विचार थे वह अब बदलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जेल एक तरह की रिफारमेट्री (सुधारालय) हो, एक प्रकार का स्कूल हो। जहां पर उन भाइयों को जो किसी जुर्म में सजा पायें

उनका सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो लोग जिस पेशे के हों उनको उसी प्रकार के पेशे का काम जेल में दिया जाय। इससे यह होगा कि जेल से निकलने के बाद उन्हें वह लोग पुनर्वासित होने में सहूलियत मिल सके।

एक मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह भी है कि जो जेल के कर्मचारी हैं उनको इस प्रकार से रखा जाय कि उनको यह ख़याल न हो और दूसरे लोगों को भी यह ख़याल न हो कि ये लोग जेल के कर्मचारी हैं। जो चाबी का निशान उनके कंधे पर लगाया जाता है वह न लगाया जाकर वही निशान हो जो कि पुलिस के कर्मचारियों का होता है जिससे जेल में काम करने वालों के प्रति बाहर के लोगों को घृणा न हो और जेल के कर्मचारियों को भी इस बात का ख़याल न हो कि तुम ऐसी जगह के हो कि जिसे दुनिया के लोग अच्छी जगह नहीं समझते हैं।

जेल के विजिटर्स के सम्बन्ध में अभी जो एक सोशलिस्ट भाई ने अपने विचार रखे हैं वे मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं एक दफा जेल विजिटर था। मैं नहीं चाहता था कि जेल वालों को समय बतलाकर जाऊं क्योंकि अगर समय बतलाकर जाता हूं तो सफाई वग़ैरा सब ठीक ठीक कर दी जायगी। ऐसा किया जाय कि सुबह ६ बजे से शाम के ६ बजे तक कभी भी विजीटर जेल को देख सकें जिससे उन लोगों को यह बात मालूम न हो और वे उसे विजिटर को दिखाने के लिये ठीक या दुरुस्त न कर सकें। अगर बतलाकर जायं तो फिर विजिट क्या हुई? वह तो एक तरह की मेहमानदारी हुई। यह तो हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। हम लोग जिस समय जेल में थे तो जब कोई बाहर से आनेवाला होता था तो जेल की अच्छी प्रकार से सफाई होती थी, कैदियों को भी ठीक तरह से रखा जाता था, उनके कपड़े भी धुला करते थे। इसलिये इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिये बल्कि ऐसा होना चाहिये क्योंकि विजिटर्स बहरहाल ऐसे आदमी तो रखे नहीं जाते हैं जिनका काम यही होगा कि जेल की बुराई करना हो बल्कि उनका तो सुझाव देने का काम होगा। ऐसे लोगों को कम से कम बिला निश्चित समय के जेल को विजिट करने का पूरा पूरा मौका दिया जाय जिससे जेल विभाग में वह अच्छे प्रकार के सुझाव दे सकें।

श्री बलवीर सिंह (ज़िला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह-मंत्री ने जो प्रस्ताव अपने इस अनुदान के लिये, पेश किया है जो जेल के कार्य के लिये है उस पर मैंने भी कटौती दी है लेकिन मेरे कटौती देने का उद्देश्य यह नहीं था कि उस बजट में कमी कर दी जाय, बल्कि यह था कि मैं अपने कुछ सुझाव रखूं। मैं अपने माननीय सदस्य, जो विरोधी पक्ष की तरफ से बोले हैं, उनके सुझाव के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे मित्र ने जो बतलाया है कि वहां पर खाने का, सब्जी का और दवा वग़ैरह का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है, उसके बारे में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जेल कोई बरात का जनवासा नहीं है जहां ऐश आराम की चीजें हों। जेल ऐसी जगह है जहां पर उन लोगों को रखा जाता है जिनको या तो कैद का टर्म (अवधि) पूरा करना होता है, जिनको बहैसियत कैदी के कारावास का दंड दिया गया हो और दूसरे वे जिनके मुकदमे जेरेतजवीज हों और उनकी जमानत न होती हो। जहां तक दूसरी किस्म के कैदियों का सवाल है उनको जेल में रखने का उद्देश्य यह होता है कि जिनके मुकदमे जेरे तजवीज हैं, वे किन्हीं संगीन जुर्मों में पकड़े जाते हैं और जिनकी जमानत नहीं हो सकती। लिहाजा वे जेल में रखे जाते हैं जब तक कि उनका मुकदमा फैसल न हो जाय ताकि वे कहीं भाग न जायं। जिन लोगों को कारावास का टर्म पूरा करने के लिये जेल में रखा जाता है उसका भी उद्देश्य यही होता है कि वे उस वायुमंडल से अलग कर दिये जायं जिस

[श्री बलवीर सिंह]

वायुमंडल में रह कर वे जुर्म करते हैं । दूसरा उद्देश्य यह होता है कि वे ऐसे वायु-मंडल में रखे जायं जिसमें रह कर वे अपना सुधार कर सकें । इन उद्देश्यों को सामने रख कर जेल में उसी के अनुसार कार्यक्रम रखा जाता है । जहां तक खाने पीने और दवाइयों का सवाल है, मैं अपने माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय के द्वारा बतलाना चाहता हूं कि वह यह देखेंगे कि यह ठीक है कि वह कई बार जेल गये लेकिन वह इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जहां तक डेथ रेट (मृत्यु देर) का ताल्लुक है मेरे खयाल से डेथ रेट जेल के अन्दर बाहर के मुकाबले में कम है । जहां तक स्वास्थ्य का ताल्लुक है जेल में अस्पताल के अन्दर कम तादाद में कैदी मिलेंगे । उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है । जो खाना उनको दिया जाता है वह डाक्टरी उसूल से दिया जाता है, अच्छी तरह से देखभाल करके दिया जाता है, विटामिन्स का लिहाज रख कर दिया जाता है । जो परिश्रम लिया जाता है वह इस तरह का लिया जाता है जो उनको हेल्दी यानी स्वस्थ रख सके । जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है जो जरूरी दवाइयां हैं वे उनको दी जाती हैं। लेकिन वहां पर मेरा खयाल यह है कि खाना इतना अच्छा होता है व परिश्रम भी इस ढंग का होता है कि उनको ज्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे बहुत कम संख्या में बीमार पड़ते हैं।

इसके अलावा मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं और पहला सुझाव यह है कि जो लोग मुलाकात करने के लिये जाते हैं उनके बाहर ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं है जहां पर वे ठहर सकें । स्त्रियां, बच्चे सभी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, लेकिन किसी जेल में, जहां तक मेरा खयाल है, बाहर ठहरने का कोई प्रबन्ध नहीं है, कोई शेड या साया नहीं है जहां पर थोड़े अर्से तक जब तक उनकी मुलाकात का समय हो वे ठहर सकें और आराम कर सकें । अतएव जेल के बाहर ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये जिससे जिन लोगों को बाहर ठहरना पड़े वे धूप में न पड़े रहें और पानी का भी प्रबन्ध वहां पर होना चाहिये ।

मेरा दूसरा सुझाव भी मुलाकात के सिलसिले में है और वह यह है कि जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री ने भी अपनी ओपनिंग स्पीच यानी अनुदान को प्रस्तुत करने में कहा है वह यह है मुलाकात करने के तरीके के बारे में। मैंने खुद भी देखा है कि लोग मुलाकात करने जिस मतलब से आते हैं वह पूरा नहीं हो पाता है । एक नाली के इधर और एक उधर बैठाये जाते हैं और आपस में वे लोग बात नहीं कर पाते हैं । इसके लिये जल्द से जल्द ऐसा इन्तजाम होना चाहिये ताकि वे अच्छी तरह से मुलाकात कर सकें ।

एक तीसरा सुझाव मैं और देना चाहता हूं और वह यह है कि जिस तरह से और महकमों के बारे में कहा जाता है उसी तरह से किसी हद तक भ्रष्टाचार की शिकायत जेल के मुताल्लिक भी है । उसको दूर करने का उपाय करना चाहिये । वहां दो मद ऐसी हैं जिनके सिलसिले में जेल कर्मचारी रिश्वत ले सकते हैं । एक तो मुलाकात के सिलसिले में और दूसरे जमानत पर छूटने के सम्बन्ध में। वहां अदालतों से रिहाई के रोबकार जाते हैं लेकिन जेल से लोग फिर भी समय पर नहीं छूट पाते हैं। जमानत पर रिहाई के रोबकार में यह हुक्म होना चाहिये कि जल्द से जल्द छोड़ा जाय और अगर उसमें देर की जाती है तो जवाब तलब करना चाहिये क्योंकि वह किसी न किसी बहाने से देर लगाते हैं और जब तक उनको कुछ मिल नहीं जाता तब तक नहीं छोड़ते। इसलिये अगर इस तरह की हिदायतें दी जायंगी तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार दूर हो सकता है ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल) — माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल के सम्बन्ध में जो पैम्फ़लेट (पुस्तिका) निकला है उसको मैंने पढ़ा। मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण भी सुना और उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जेलों को अब जेल नहीं रखा जा रहा है बल्कि वे एक ऐशोआराम की जगह बनाई जा रही हैं और लोग वहां जाने के लिये उत्सुक हो सकते हैं बजाय इसके कि लोग उनसे डरें। इस तरह से लोगों में जुर्म करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। लेकिन जो बातें कही जाती हैं और जो लिखा जाता है उसमें और करने में बहुत अन्तर है। जो कहा जाता है वह व्यावहारिक रूप में नहीं किया जाता है। जो कुछ कहा जा रहा है और जो आदर्श जेल के बनाये जा रहे हैं वैसा नहीं होता है। जेल में जो सुविधायें अब तक होती हैं अगर उससे अधिक सुविधायें वहां दी जायंगी तो स्वाभाविक है कि लोग ख्वाहिशगार होंगे और उनको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और वहां एडमिशन (प्रवेश) कराने के लिये जुर्म करेंगे। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये। ग़नीमत यह है कि जो बात कही जा रही है वह व्यावहारिक रूप में नहीं है और जेल के अन्दर कैदियों के साथ जो व्यवहार पहले होता था वही अब भी हो रहा है और जेल कर्मचारियों के बर्ताव में कोई अन्तर नहीं हुआ है।

मैं तो कभी जेल नहीं गया हूं लेकिन मेरे साथी और सम्बन्धी कुछ जेल गये हैं। उनसे मुझे कुछ बातें मालूम हुई हैं जैसे कि कैदियों से जबरदस्ती काम लिया जाता है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि वहां पर ऐसा कोई अन्तर उनके बीच नहीं है जो अन्डर ट्रायल हैं या जो जुर्म करके गया है और सजा पा चुका है। वहां सब के साथ एक-सा व्यवहार किया जाता है। जो लोग अन्डरट्रायल हैं और पुलिस के जाल में बेक़सूर फंस गये हैं और जिनको फैसला न होने की वजह से वहां रखा जा रहा है उनमें और सजा पाये हुये लोगों में कुछ अन्तर तो होना ही चाहिये। राजनीतिक कैदियों और अन्डरट्रायल्स के साथ वही व्यवहार करना जो कि किसी जुर्मदार कैदी के साथ किया जाता है यह बात न्यायसंगत नहीं है। कम से कम सरकार को अपनी नीति इस बारे में स्पष्ट कर देनी चाहिये। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि राजनीतिक कैदी को भी कोई न कोई पीनल कोड की धारा उसके ऊपर लगा कर मामूली कैदियों में ले आया जाता है। ऐसे कैदियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिये। सरकार की ओर से चाहे यह आदेश हों कि कैदियों को अच्छा राशन दिया जाय लेकिन वहां इसके प्रतिकूल ही होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि किचिन (भोजनालय) का प्रबन्ध कैदियों के हाथ में ही हो। राशन उन्हें दे दिया जाय और वे स्वयं पका लें ताकि यह शिकायत पैदा न हो कि जेल के कर्मचारियों ने आटे में मिट्टी वग़ैरह मिला कर पूरा ५ छटांक कर दिया है। जैसा माननीय मंत्री ने कहा, जेल की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप (विकसित) करने के लिये कैदियों से काम लेना चाहिये। लेकिन यह काम जबरदस्ती नहीं लिया जाना चाहिये और जो पैसा उनको दिया जाय उसमें से कुछ जेबखर्च देकर बाक़ी उनके छूटने पर मिलना चाहिये।

जहां तक सम्बन्धियों के मिलने का ताल्लुक़ है मैं कहता हूं कि इसमें बड़ी कठिनाई है। ऐसी आम शिकायत है कि जब तक वे १५—२० रुपया जेल वालों को नहीं दे देते तब तक उन्हें ठीक से नहीं मिलने दिया जाता। मेरा सुझाव यह भी है कि जो लोग बराबर कसूर करते हैं उनको एकदम जेल से नहीं छोड़ना चाहिये बल्कि उन्हें किसी रोज़गार में वहीं से लगाया जाय ताकि वे बाहर आकर भी उसे करें और अपनी बुरी आदत छोड़ दें। कैदियों के आमोद-प्रमोद और शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए। आदर्श जेलों में सरकार कुछ ऐसा इन्तजाम कर रही है परन्तु मैं चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो प्रत्येक जिलों के जेलों में भी इसका पूरा प्रयत्न करना चाहिए हर जिले में इसकी सुविधायें होनी आवश्यक हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो साधारण सुविधायें आप इस तरह की देंगे उनसे जुर्म बढ़ेगा।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर) ---माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल विभाग के सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री जी ने सुधारों की बाबत जो बतलाया है वह सभी को मान्य है, किन्तु मेरा विचार तो दूसरा है जो कि सम्भवतः किसी को भी प्रिय नहीं होगा। जेल की सजा सुधार के लिये देते हैं। तीन प्रकार का दंड होता है धिक् दण्ड, अर्थ दंड और शारीरिक दंड। जो मामूली अपराध करते हैं उन्हें धिक् दंड या आर्थिक दंड दे देते हैं लेकिन जो ऐसे अपराध करते हैं जिनसे समाज की शान्ति व्यवस्था के उलटने का डर हो तो ऐसी अवस्था में आप उन्हें जेलखाने की सजा देते हैं। उसमें हमारा यही एक उद्देश्य होता है कि ऐसे लोग लौट कर समाज को न बिगाड़ सकें और सभ्य मनुष्यों की तरह से रहें। जिससे वे लोग हमारे समाज के लिये कुछ उपयोगी भी सिद्ध हों। कुछ शैतान क़ैदी ऐसे भी होते हैं जो यह समझते हैं कि जेल जाना तो उनका साधारण काम है और जेल से बाहर आकर समाज को परेशान करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे लोगों के लिये तो वही सजा काम कर सकती है जिसे आप कहेंगे कि यह तो अमानुषिक सजा है और जो पहले ज़माने में दी जाती थी।

एक समय था जब कि यह कहा जाता था कि भारतवर्ष में मकानों में ताले नहीं डाले जाते थे। लेकिन आज ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाती है और मनोवैज्ञानिक काम बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों भ्रष्टाचार की परिभाषा बड़ी लम्बी चौड़ी होती जाती है और घर घर भ्रष्टाचार की बात बढ़ती जाती है। जब से बजट पर विवाद शुरू हुआ है ऐसा कोई विभाग नहीं आया जिस पर यह कहा गया हो कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। चाहे एजूकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग का या और कोई महकमा हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में भ्रष्टाचार की बात बढ़ती चली जाती है। तो यह बात क्या है? ज्यों-ज्यों हम विद्या में निपुण होते जाते हैं हमारे यहां चोरी के नये नये ढंग आते जा रहे हैं। उसका ख़ास कारण यही है कि हमारे यहां दंड का प्रबन्ध और उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। आज जितने ब्लैक मार्केट (चोर बाजार) वाले पकड़े गये उनके लिये क्या दंड हुआ? कुछ दे ले कर छोड़ दिये गये। इसी प्रकार से जेलों में अक्सर ऐसा होता है कि वहां जो बड़े-बड़े बदमाश भेजे जाते हैं जब आईडेंटीफिकेशन (शिनाख्त) की बात आती है तो किसी प्रकार से वे ऐसे छिपा दिये जाते हैं जो पहचान में नहीं आते। परिणाम यह होता है कि वे छूट जाते हैं और फिर लोगों को परेशान करते हैं। कहा जाता है कि दंड ही राजा होता है और यदि वह ठीक ठीक न दिया गया तो राज्य शासन उचित ढंग से नहीं चल सकता। पुराने ज़माने की दंड व्यवस्था ही जुर्मों को मिटा सकती है परन्तु उसे तो आप अमानुषिक कहते हैं। प्राण दण्ड तो आप उठाने ही जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय मनोविज्ञान के विद्वान ज्ञाता हैं। मैं कहता हूं कि मासूम बच्चे की भांति जिनके हृदय साफ हैं उनके लिये धिक् दण्ड है लेकिन दूसरों को आपकी मौजूदा व्यवस्था जुर्म करने से नहीं रोक सकती चाहे आप कितने ही रैफ़ार्मेट्री स्कूल खोलें और शिक्षा दें। आप उनके लिये हारमोनियम बजायें, उनको सिनेमा दिखायें और और भी कोई अच्छे से अच्छा काम करें, मैं समझता हूं उनके ऊपर कोई अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। हां जो मासूम बच्चे हैं, जो आपकी तिरछी निगाह से भी डर जाते हैं, वे आपकी शिक्षाओं से लाभ उठा सकेंगे और आपके सिद्धान्तों से अच्छे बन सकेंगे। इसके अलावा मैं तो कहूंगा कि जो शातिर बदमाश हैं उनको प्राणदंड दे देना चाहिये। आप तो इस प्राणदंड को भी उठाने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री मनोविज्ञान के पारंगत हैं लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी दंड व्यवस्था को अच्छी तरह से सुधारने का प्रयत्न करें। अगर आपकी दंड व्यवस्था अच्छी होगी तो आपके देश से बदमाशी और भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। जेलों में आसायशें देने से बदमाश लोग यही समझेंगे कि यह तो हमारा घर ही है। इतनी सख्ती होने पर भी बदमाश लोग तो यही समझते हैं कि वह तो हमारी ससुराल

है तो फिर उन्हें आसायशें देकर आप क्या यह समझते हैं कि वे जेल से बाहर निकल कर सभ्य बन जायेंगे। आपको यह देखना होगा कि जेल से बाहर निकल कर क्या वह व्यक्ति अपना काम कर रहा है और उसको जो आप चार पैसे देते हैं उससे वह क्या काम लेता है।

श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि मनुष्यों को जेल में जाने की सजा देना दो भावनाओं से ही हुआ करता है। उनमें से एक तो यह कि बुरी संगति से काफी वक्त के लिये उन्हें अलग कर दिया जाय। यह चीज तो अवश्य संभव है कि अगर एक मनुष्य एक अर्से तक किसी कार्य को नहीं करता है तो उसकी वह आदत छूट जाती है। दूसरी चीज यह है कि उसका वातावरण तब्दील कर दिया जाता है। अगर एक आदमी को बुरी संगति से हटा कर किसी अच्छे वातावरण में, किसी अच्छी सोहबत में रख दिया जाय तो वह अपनी बुरी आदत को छोड़ देगा। तीसरी चीज उसकी सजा की भावना है। सजा भी दो प्रकार की होती है। एक तो जिस्मानी और दूसरी मानसिक। जो अच्छे मनुष्य जेलों में चले जाते हैं, जो ऐसे आदमी होते हैं जो घरेलू झगड़ों की वजह से जेलों में चले जाते हैं, या जो पोलीटिकल आफेन्स (राजनीतिक अपराध) करके जेलों में जाते हैं या वे हैबीचुयेटेड क्रिमिनल (अभ्यस्त अपराधी) नहीं हैं, उन मनुष्यों के लिये जेलों में जाना ही काफी सजा हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूं वह यह है कि किसी भी आदमी को जिसको जेल में भेजा जाय उस पर जेल के वातावरण का असर ऐसा न हो कि वह मनुष्यता से ही गिर जाय। यानी वह ऐसी हालत में न रखा जाय, ऐसी कड़ी सजा उसको न दी जाय, या ऐसा अपमानजनक या नीचता का व्यवहार उसके साथ न किया जाय कि वह मनुष्यता को ही खो बैठे, और जेलों से बाहर आकर किसी सोसाइटी के योग्य ही न रहे। इन्हीं बातों को सामने रख कर मैं अपने जेल मंत्री की तवज्जह इन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

एक तो यह है कि जो कैदी जेल में रहें वे जब बाहर लाये जायं तो उनको लाजिमी तौर पर बेड़ी लगा कर बाहर न लाया जाय जब तक कि कोई खसूसन ऐसी रिपोर्ट या उसके कैरेक्टर (चरित्र) में ऐसी बातें न पायी जायं कि उसको बेड़ी लगाना लाजिम है। दूसरी चीज यह कि जब कोई शख्स जो कभी जेल में हो, ख्वाह ट्रायल के दौरान में या किसी और मौके पर, अगर कोर्ट में लाया जाय तो उसको वहां बैठने की सुविधा होनी चाहिये। मैंने देखा है कि जो वहां पर कोठरी बनी हुई हैं जिनमें प्रिजनर्स (कैदी) रखे जाते हैं वहां बैठने की जगह नहीं होती है, यहां तक कि उनको जमीन पर बैठना पड़ता है या खड़े रहते हैं। इसी तरीके से जब वे इजलास में आते हैं तो उनको बैठने की कोई सुविधा नहीं होती। इस बात के लिये मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि उनके बैठने के लिये कोई न कोई जगह होनी चाहिये, कोई स्टूल हो, कोई बेंच हो या कोई लकड़ी हो, चाहे पत्थर की ही बेंच हो, किसी किस्म की बेंच हो लेकिन उनके बैठने का तरीका कोई न कोई होना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि जेलों में जो खाना दिया जाता है उसके बारे में तो बहुत कुछ मित्रों ने कहा कि वह तो अच्छा होना ही चाहिये लेकिन जो तरीका उनको खाना देने का है वह बहुत ही खराब है। उनको उकुड़ूं बैठना पड़ता है और लाइन लगा कर उनको खाना लेना पड़ता है तो उसके लिये ऐसी जगह होनी चाहिये जहां वे बैठ कर भली भांति खा सकें।

लेबर (श्रम) के बारे में यों तो मंत्री जी ने कहा है कि उनसे अच्छे तरीके से ऐसी मजदूरी का काम लिया जायगा जिसमें उनको कुछ थोड़ी आमदनी भी हो और वे बेड़ी लगाये नहीं होंगे। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जो लेबर कैदी को दिया जाय वह उसके स्टेटस (हैसियत) के अनुसार हो। माना कि एक आदमी जेल में चला जाता है, माना कि एक आदमी सजा पा कर जेल में चला जाता है लेकिन फिर भी उसका एक स्टेटस होता है, उसकी तालीम होती है, उसका एक पिछला कैरेक्टर होता है, उसी के अनुसार एक आदमी को लेबर देना

[श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल]

चाहिये। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है और वह हैबिचुअल आफेंडर (अभ्यस्त दोषी) नहीं है उसका बाहरी स्टेटस था तो फिर उसे किसी ऐसे काम में, जैसे ईंट की जुड़ाई या चुनाई का काम, ऐसे किस्म की मेहनत जिस्मानी जिसके लिये वह अनफिट (अनुपयुक्त) भी हो, उससे कराना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। इस तरीके में चेंज होना चाहिये जिससे जो जिस स्टेटस का हो उसी के हिसाब से उससे काम लेना चाहिये।

यह भी आप चाहते हैं और शायद हैं भी कि कैदी कुछ थोड़ी सी अखबारी दुनिया की भी सैर करें। उनको अखबार मुहय्या होने चाहिये और अखबार हर जबान में मिलना चाहिये। उर्दू में भी होना चाहिये और हिन्दी में भी होना चाहिये। अगर दोनों जबानों के अखबार मिलेंगे तो उनको बाहरी दुनिया के हालात भी मालूम होते रहेंगे। जेल के अन्दर सबसे ज्यादा गौरतलब चीज होती है सेग्रीगेशन (एकान्तवास) आज भी उनको अखबार वगैरह मिलता है लेकिन उनको दैनिक अखबार मिलना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुलिस मंत्री जी ने इसी सदन के सामने एक रोज यह फरमाया था कि चूंकि देवरिया का सत्याग्रह बन्द हो गया नहीं तो आपको भी हमारी जेलों के देखने का मौका मिलता। मैं आपसे बतला देना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपकी जेलों को भी देखा है और देवरिया तथा कसेयां की उन हवालातों को देखा है जिनमें मुश्किल से दस आदमियों के रहने की जगह है। वहां उसमें बीस बीस आदमी भरे जा रहे हैं और भरे जाते हैं। यह भी हमने देखा है कि उनमें न कोई खिड़की है न हवा जाने का कोई प्रबन्ध है और जो वहां पाखाने वगैरह का इन्तजाम है वह भी बहुत गन्दा है। पाखाना होने के लिये कोठरी के किनारे एक परई पड़ी रहती है। जिसमें बीस आदमी बन्द हैं उनमें किसी आदमी को पाखाने जाने की जरूरत हो जाय किसी को पेशाब करने की जरूरत हो तो उसे कितनी निर्लज्जता करनी पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में निवेदन करूंगा कि वह अपने जिलों के सुधार में जिन कोठरियों में खिड़की का प्रबन्ध नहीं है या पाखाने का प्रबन्ध नहीं है ध्यान दें गर्मियों के दिनों में, जब कि २०-२० कैदी १० के स्थान में वहाँ पर बन्द किये जाते हैं उनकी क्या हालत होगी यह माननीय मंत्री जी से छिपा नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वयं जेलखाने काटे हैं।

जेलों में अखबार मिलता है, माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है। लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जेल में अखबार मिलता तो है पर जो अखबार या पुस्तक लोग पढ़ना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल पातीं। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि जब वे ब्रिटिश हुकूमत के अन्दर जेलों में रहा करते थे और अखबार नहीं मिलते थे तो उनके लिये तिकड़म किया करते थे। तो अब क्यों नहीं इजाजत देते हैं कि जिस किस्म की किताबें जो चाहें या जिस किस्म के अखबार चाहें पढ़ें। उसकी इजाजत होनी चाहिये और उसके लिये तिकड़म करने की कैदियों को जरूरत न पड़े। यह सभी लोग जानते हैं और मैं समझता हूं कि ९० फीसदी इस सदन के सदस्य जेलों में रह चुके हैं। ऐसी उचित चीजों के लिये उनको जरूर इजाजत मिलनी चाहिये जिसको हासिल करने के लिये उन्हें तिकड़म करनी पड़ती है।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि रात में, कैदियों में जो नम्बरदार होते हैं उनको चिल्लाना पड़ता है कि "जंगला लालटेन सब ठीक है हुजूर" यह चिल्लाने से कैदियों के सोने में विघ्न पड़ता है। इस तरह का चिल्लाना बन्द किया जाना चाहिये।

जब हम लोग जेलखाने में थे तो हमेशा इस बात के लिये लड़ा करते थे कि हमें बाहर सोने की इजाजत मिलना चाहिये। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कैदियों को बाहर सोने की इजाजत नहीं है। कुछ ऐसे कैदी हों जो बहुत खतरनाक किस्म के समझे जाते हों उन को आप भले

R.A. 724

ही इजाजत न दें लेकिन आमतौर पर हर एक कैदी को बाहर सोने की इजाजत होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को इसके लिये बहुत तकलीफें उठानी पड़ीं हैं और बाहर सोने के लिये लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसलिये अपनी उन तकलीफों के ध्यान में रखते हुये वही सब सुविधायें प्रदान करनी चाहिये।

चक्की की मशक्कत के बारे में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वह उसको हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा न हो कि पिछले पांच वर्षों में आप न हटा सके और यह पांच वर्ष भी निकल जायं और आप कहते जायं कि हटा रहे हैं। यह अच्छा नहीं मालूम होता। छोटे छोटे उद्योग कैदियों से करवाये जायं जिससे वह कुछ सीख सकें ताकि वह बाहर आ कर उन उद्योग धंधों में लगें और अपनी जीविका का उसे साधन बना सकें। नैनीताल में आपने जो बड़े बड़े फार्म खोल रखे हैं उनमें आप कैदियों को लगायें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो माननीय मंत्री जी समझते है कि सोशलिस्ट पार्टी बहुत नीचे गिरी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम जो सुझाव देते हैं उन पर जरा ध्यान दें और समझने की कोशिश करें।

यह भी मैं आपको बता दूं कि आप हमको नीचा गिरा हुआ समझते हैं लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के जितने भी माननीय सदस्य यहां आये हुये हैं वे इतना नीचे गिरे हुये कभी नहीं हैं कि वे किसी पद के लिये, मिनिस्ट्री के लिये या किसी और चीज के लिये अपने सिद्धांत को छोड़ दें।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—अभी अभी जेलों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उसके बारे में मेरे भी कुछ सुझाव हैं। मनुष्य किन परिस्थितियों में वारदात करता है, हरकत करता है, या जुर्म करता है, हमें उसके बारे में मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिये। आज जिस तरह से देश में जुर्म बढ़ रहे हैं उसके कई कारण हैं। यह सरकार का फर्ज है कि वह इन कारणों के संबंध में पता लगावे। इस सदन के अन्दर बहुत से ऐसी भाई बैठे हुये हैं, जिनको जेलखाने में जाने का मौका मिला है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि जेलों में कुछ सुधार हुआ है लेकिन जो तर्ज तरीका और व्यवहार कैदियों के साथ अंग्रेजी राज्य में था, उसमें बहुत कम सुधार हुआ है मसलन आज भी कैदियों को खाने के लिये जो गेहूं और चना दिया जाता है उसका जो अच्छा हिस्सा होता है वह अधिकारियों के यहां चला जाता है। जेलखाने में जो अच्छी सब्जियां और तरकारियां होती हैं वे भी जेल के उच्च सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके यहां भेज दी जाती है। यह तरीका ठीक नहीं है। मैं जेल के माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कैदी जो सब्जी मेहनत के साथ पैदा करते हैं वह उन्हीं को खाने को मिलनी चाहिये न कि जेल की हायर अथारिटीज (उच्चतर प्राधिकारियों) को खाने के लिये दी जानी चाहिये।

कैदी जिस तरीके से ब्रिटिश राज्य में तनहाई में रखे जाते थे उसी तरीके से आज भी रखे जाते हैं। जब उनको तनहाई की सजा दी जाती है तो वे एक कमरे में रख दिये जाते हैं। उसी में रात में वे पाखाना पेशाब करते हैं और उसी में खाने पीने का सामान रख दिया जाता है, और बड़े २ मच्छड़ उनको अलग से काटते हैं। आज की परिस्थितियों में भी, जब कि अपना राज्य है, एक मनुष्य के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाय, तो क्या यह तरीका ठीक हो सकता है। इसलिये माननीय मंत्री का ध्यान मैं इन दुर्व्यवस्थाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां सफाई का ठीक इन्तजाम नहीं है। पाखानों की ठीक सफाई नहीं होती है। ऐसा मालूम होता है कि वहां का जीवन नर्क का जीवन है।

जेल के जो कर्मचारी हैं उनकी हालत क्या है? जो बेचारे बन्दी जेलों में भेजे जाते हैं उनके साथ जेल के अधिकारियों का जो व्यवहार ब्रिटिश राज्य में था, वही आज भी है। थोड़ी-थोड़ी बात में सजा देना, थोड़ी-थोड़ी बात में गाली देना, थोड़ी-थोड़ी बात में परेशान करना ही

[श्री राजदेव उपाध्याय]

जेल के अधिकारियों का मुख्य काम है। इसलिये माननीय मंत्री का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अपने राज्य में जब कि दुनिया बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, इन सारी हरकतों को जितनी जल्दी हो बन्द किया जाना ही अच्छा है। सरकार को यह पता लगाना है कि मनुष्य किन परिस्थितियों में ऐसी हरकतें करता है जिनके कारण उसको जेलखाने जाना पड़ता है।

मैं समझता हूं कि सरकार को जेलों में छोटे-छोटे उद्योगधन्धों को खोलना चाहिये, बंदियों को पढ़ने-लिखने की पूरी सुविधा देनी चाहिये और उनको ऐसी बातों की ट्रेनिंग देनी चाहिये जिससे वे बाहर जाकर कुछ कर सकें।

कैदी को साल के अन्दर दो तीन महीने खेती का काम देना चाहिये। मान लीजिये किसी को दो साल की सजा होती है तो उस बीच में तीन चार महीने का समय ऐसा निकालना चाहिये जिसमें वह खेती का काम सीख सके ताकि जब वह छूट कर देहात में जाय तो खेती का काम कर सके। इसके अलावा जेलों में ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे वह अपने गलत तरीके को छोड़ दे और बाहर जा कर वह ऐसी परिस्थितियों में पले ताकि ठीक तरीके से जीवन व्यतीत कर सके। इसलिये मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया और मैं आशा करता हूं कि माननीय डाक्टर संपूर्णानन्द जी जो एक बहुत ही गम्भीर शासक हैं वे उन बातों की तरफ ध्यान देंगे कि जो आये दिन छोटी छोटी बातों पर कैदियों पर डांट पड़ती है, और गाली दी जाती है, ये चीजें खत्म हों। अब युग बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, यह समय की पुकार है और जो तरीका अंग्रेजों के जमाने में बर्ता जाता था वही आज भी बर्ता जाय, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैंने गृह मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुना और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो योजनायें जेल सुधार के लिये आपने रखी हैं यदि उनको पूर्णतया कार्यान्वित किया जाय तो हमारे देश में एक स्वर्ग जेलों में भी बन जायगा। मैं जेलों के बारे में प्रायः यह सुना करता था कि वह एक दूसरी दुनिया है। मुझे आश्चर्य होता था कि "दूसरी दुनिया" का प्रयोग जेलों के लिये क्यों किया जाता है। मैंने सोचा कि जेलों के बाहर जितने भी लोग रहते हैं वे जेलों को जो "दूसरी दुनिया" कहते हैं यह भाव उनमें क्यों उत्पन्न हुआ। हम तो समझते हैं कि जो मनुष्य जेलों में रहते हैं वे इस बात के बड़े इच्छुक रहते हैं कि यहां से निकल कर कब अपने विचारों को दूसरे मनुष्य पर प्रकट करें। हमारी जेलों का जो सिस्टम बनाया गया है वह इसलिये कि कोई अपराध जो यहां पर हो वह रोका जाय। दो प्रकार के मनुष्य जेलों में रहते हैं। एक वर्ग वह है जो अखलाकी जुर्म करते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपना राजनीतिक कार्य सम्पन्न करना चाहते हैं परन्तु उस समय की सरकार उनको रोकना चाहती है। अब उनके लिये हमको क्या करना है, किस तरह उनका सुधार किया जा सकता है। राजनीतिक विषय ऐसा है कि वे इस बात को भली प्रकार से समझते हैं; अपने राजनीतिक विचारों से वे गिरे हुये नहीं रहते बल्कि उनके विचार उच्च होते हैं। इस ओर हमें केवल यह कहना है कि वे राजनीति में कुछ गड़बड़ उस समय की सरकार के विरुद्ध न करें।

दूसरे प्रकार के जो अखलाक़ी क़ैदी हैं उनके लिये एक बड़ी आवश्यकता है कि उनका सुधार किया जाय। मैं समझता हूं कि जेल में जितने अखलाक़ी क़ैदी हैं उनका जब तक मानसिक तथा राजनीतिक सुधार नहीं होगा, किसी प्रकार से हमारे देश में शान्ति नहीं हो सकती। इसके लिए कई उपाय हो सकते हैं। पहला तो यह कि जो जेल में पहुंचे उनके लिये वहां अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो और उचित प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाय। जब कोई क़ैदी जेल में पहुंचे तो यह देखा जाय कि किस जुर्म में यह कैदी आया है और उसका रुझान और उनके विचार किस तरफ़ हैं और फिर उसके विचारों को उसी तरफ़ ले जा कर उनमें सुधार किया

जाय। मैं उदाहरण देता हूं कि मान लिजिये कि कोई मनुष्य ऐसा है कि जिसने घड़ी की चोरी की है। अब इससे यह पता लगता है कि उसको घड़ी की आवश्यकता थी। इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि घड़ी बनाने का कार्य उसको सिखलायें। इसी प्रकार और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसके अलावा जब तक वह जेल में रहे उसे कोई ऐसा कार्य सिखाया जाय जिससे वहां से निकलने के बाद वह कोई कार्य कर सके और अपराध न करे।

इस प्रकार से और भी वर्ग के लोग जेलों में भेजे जाते हैं। व्यापारी वर्ग के लोग, किसान लोग और सेवकगणों में से भेजे जाते हैं। उनके जेलों में भेजे जाने से घर पर कठिनाइयां भी होती हैं। एक किसान वर्ग कम से कम ऐसा है कि उसके लिये कुछ समय जेल से छुट्टी देना अत्यन्त आवश्यक है। एक समय ऐसा रहता है जैसे काश्त करने का और दूसरे जब खेती पक जाती है तो उसे काटने का। मानलीजिये किसी घर में एक ही आदमी है वह किसी अपराध में या किसी राजनीतिक झंझट में जेल भेज दिया गया तो घर पर जितनी खेती है वह सब की सब नष्ट हो जायगी। इससे देश की कोई उन्नति नहीं होगी। यदि कोई भी हानि पहुंचती है तो वह राज्य को पहुंचती है। उसकी हानि नहीं है। इसके लिये मैं एक सुझाव श्रीमान् जी के समक्ष पेश करना चाहता हूं। कम से कम वर्ष में दो बार उसको छुट्टी दे दी जाय जिससे वह अपने घर पर पहुंच कर बीज बोने या खेती बारी करने या खेती के काटने का काम कर सके।

अब आपके सामने एक वर्ग और रह जाता है वह बच्चों का। वह ऐसा है कि इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यह चाहते हैं कि उनके विचार ऊंचे बनाये जायं और ऐसा कार्य न दिया जाय जिससे उनके मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाय, हमें उनको बढ़ाना है। हमें उनके साथ वह व्यवहार करना है जिससे वह आगे चल कर अपने देश के होनहार युवक बनें। हमें अब उस पर यह विचार नहीं करना है कि जेलों में पहुंच कर वह एक घृणितवर्ग माना जाय। परन्तु हमें उनसे यह भी आशा करनी चाहिये कि उनमें से कोई भी बच्चा या कोई मनुष्य हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है और हम बड़ी बड़ी आशायें उनसे कर सकते हैं। अतएव परम आवश्यक है कि इस प्रकार के जितने सुझाव हैं वह लिये जायं। मेरे समाजवादी भाई ने अभी जिक्र किया था कि बंदी जेल वार्डरों को बीड़ी के लिये पैसा तो देते हैं लेकिन वे उनको बीड़ी नहीं देते हैं। इसके संबंध में मैं यह विचार रखना चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज क़ैदी के पास नहीं पहुंचने देनी चाहिये। इससे तो हमारे देश में और अधिक नैतिक पतन तथा अवनति होती चली जायगी। बीड़ी पीना या सिगरेट पीना या कोई भी ऐसा कार्य करना अनुचित बात है। जो जेल के नियम हैं उनका सख़्ती के साथ पालन होना चाहिये।

जो खाना मिलता है वह बहुत सादा और सफ़ाई के साथ दिया जाता है और पाखाने इत्यादि की भी पूरी सफाई की जाती है। जब जेल में आप गये थे तो उस समय में और इस समय में बड़ा अन्तर है। मैं समझता हूं कि सन् १९३२ के बाद काफी सुधार हो गये हैं। अब तो जेलों में जाने का अवसर ही नहीं है। लेकिन पहले कम से कम दसगुनी उन्नति तो हो गई है। फिर इस तरह से वर्णन करना, कहीं पाखाने का, कहीं और चीज का, मैं अनुचित समझता हूं और यह ठीक नहीं है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उमाशंकर मिश्र (ज़िला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सर्व प्रथम अपने सम्मुख पूज्य बापू को देख कर मुझे यह याद आता है कि मानव में सर्व प्रथम कैसे मानवता आये। सर्वप्रथम मैं पूज्य बापू को व उनके हृदय में विराजमान 'रघुपति राघव राजा राम' को कोटिशः धन्यवाद देता हूं जिनकी कृपा से मैं इस सदन में आ कर यहां उपस्थित हुआ हूं। दूसरे माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन कर्णधारों ने आजादी मिलने के

[श्री उमाशंकर मिश्र]

पश्चात् अपने इस भारतवर्ष में कंटकमय रास्ते पर चलते हुये अपनी आजादी को कायम रखा और शासन को हाथ में लेकर सुव्यवस्थित रूप से उसका संचालन किया। इसके लिये मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज के मानव को मानस का रोग लगाहुआ है। पूज्य गोस्वामी जी ने अपने राम चरित्र मानस में लिखा है—

मानस रोग कछुक मैं गाये।
हैं सबके लखि बिरलन पाये।।

आज विश्व के मानव को मानस का रोग लगा हुआ है। हर एक आदमी दूसरे के अवगुणों को देखने की कोशिश करता है और अवगुण निकाल कर सामने रखता है। इस संबंध में पूज्य कबीर जी ने बड़ा सुन्दर लिखा है—

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय,
जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।

आज इस विश्व का मानव अगर अपने अवगुणों की ओर देखे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व उन्नति की ओर जाय और समाज सुन्दर बन जाय। इस संबंध में पूज्य गोस्वामी जी ने यह कहा है—

जो साई दुख पर छिद्र दुरावा।
वन्दनीय जेहि जग जश दावा।।

वह वन्दना का पात्र है जो दूसरे के अवगुणों को इस तरह से निकाल कर रखे जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, बाद में दोनों फेंक दिये जाते हैं। इस तरह अगर हम सब अपने अपने तमोगुणी अवगुण को सत्गुणी कांटे से निकाल कर बाहर कर दें तो धन्यवाद के पात्र होंगे। जैसा मैंने पहले बापू जी के संबंध में कहा वह हमारे भारतवर्ष के बड़े सन्तों में से थे। एक सन्त ने कहा है:—

तीन सजावत देश को, सती संत अरु शूर।
तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर।।

हमारे देश को संत समाज ने ऊंचा किया है। हमारे पूज्य बापू जी ने देश को सजाया, सन्तों ने सजाया, सती और शूरों नें सजाया, लेकिन देश को कलंकित किया कपटी, कायर और क्रूर मनुष्यों ने। आज विश्व के मानव को यह मानस का रोग लगा हुआ है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि व्यक्तित्व से समाज सुधरता है। राजनीतिक आजादी मिल गई है लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नतिशील होने के लिये यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने को सम्भाले। इसके लिये एक कवि ने कहा है—

मानुस तेरा गुण बड़ा, मास न आये काज।
हाड़ न आभरण बन सके, त्वचा न बाजन बाज।।

जिस मनुष्य में मानवता का सुन्दर गुण नहीं है उसे अपने को मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है।

जेल विभाग के संबंध में विषय यहां चल रहा था और पुलिस के संबंध में। इस संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में किसी तरह से कोई उपाय किया जाय जिससे हमारा देश उन्नतिशील हो।

यही भारतवर्ष एक समय में शिखर पर था और दुनियां के लोग यहां शिक्षा लेने आते थे और अपने-अपने देश में जा कर प्रचार करते थे। पूज्य गोस्वामी जी के सुन्दर शब्द याद आते हैं––

यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगत भलो।
तेरी कुमति कायर कल्प वल्ली चहति है विषफल फली।।

जिस तरह कि कल्प वृक्ष में अमृत के फल लगने चाहिये थे न लग कर विष बेल लग रही है। क्योंकि यदि मानव मानवता को त्याग कर सफल होना चाहे तो यह नहीं हो सकता। जब तक मानव अपने में मानवता के गुणों को उत्पन्न नहीं करता और मानवता का अपने में विकास नहीं करता उस समय तक वह कोई वास्तविक उन्नति अपने में नहीं ला सकता। चाहे जेल की बात हो या पुलिस की हो मानव को अपने को पहले ठीक करना होगा। कहा भी है, मुझे याद आता है और मैं कहूंगा कि केवल वक्तव्य से या भाषणों से कुछ नहीं हो सकता। परम पूज्य गोस्वामी जी ने कहा है कि––

कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक।

कहने का आशय यह है कि सर्वप्रथम तो सत्य बात का कहना कठिन है और उसके बाद उसका समझना कठिन है और उसके उपरान्त उस को कार्यरूप में और अमल में लाना कठिन है। इसलिये जो लोग अमल करना नहीं चाहते, केवल भाषण से ही सफलता चाहते हैं वह भ्रम में हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने श्री रामायण, गीता आदि अच्छे-अच्छे ग्रन्थ हैं, उनमें हर प्रकार की शिक्षा है परन्तु उस शिक्षा के अनुसार चलने के लिये हमें सही साधन करना पड़ेगा। केवल उपदेश मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। यदि हम ठीक तरह से उन पुराने सिद्धांतों पर जो हमें बड़े बड़े ग्रन्थों में मिलते हैं चलें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह भारतवर्ष वैसा ही हो सकता है जैसा किसी जमाने में था।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (ज़िला गोंडा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल दो बातों की ओर आकृष्ट करूंगा। मुझे स्वयं कुछ अनुभव है गो मैं कभी जेल में तो नहीं रहा परन्तु वहां जाने का मुझे अक्सर मौक़ा मिलता है। मैं तीन चार साल से गोंड़ा जेल का निरीक्षण करता हूं और अपराध निरोधक कमेटी में रहने की हैसियत से वहां मैं आता जाता हूं। यूं तो जेल में अब बहुत कुछ अच्छाई हो गई है और लंगेरा साहब जो जेलर थे और सुपरिण्टेंडेण्ट साहब चतुर्वेदी जी हैं उनका यह तरीक़ा रहा है कि जो भोजन क़ैदियों को बनता है उसमें से वह एक दो लुक़मा खा कर देख लेते हैं और तब वह क़ैदियों को दिया जाता है और वहां क़ैदी अब बहुत अच्छी तरह से रखे जाते हैं और कोई शिकायत वहां नहीं है। सब से बड़ी आवश्यकता जेल में इस बात की है कि मारल टीचिंग (नैतिक शिक्षा) और करेक्टर बिल्डिंग (चरित्र-निर्माण) का ज्ञान कराया जाय क्योंकि वह कुछ दिमाग़ी ख़राबी होने के कारण ही जुर्म करते हैं और जेल में जाते हैं और दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो जुर्म करते हैं लेकिन अपनी पोज़ीशन या दबाव के कारण वह जेल नहीं भेजे जाते हैं लेकिन गरीबों के खिलाफ़ मामले चल जाते हैं और वह जेल भेज दिये जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किस तरह से अच्छे नागरिक की तरह से वे अपना जीवन बिता सकते हैं, इस बात की शिक्षा उनको दी जाय। मैं इस संबंध में महात्मा गांधी जी के ही कुछ शब्द पढ़ कर सुनाऊंगा। सन् १९१६ ई० में उनका एक भाषण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था। एकोनामिक प्रोग्रेस (आर्थिक उन्नति) के बारे में उन्होंने कुछ कहा था। उन्होंने सब से बड़ी चीज़ यह लिखी थी कि––

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

"I would have our leaders to teach us to be morally supreme in the world.

[मैं चाहता हूं कि हमारे नेता गण हमको संसार में नैतिक रूप से सर्वोच्च होना सिखायें ।]

यही चीज यदि मेरी ओर से कही जाती तो लोगों को हंसी आ जाती । इसलिए महात्मा गांधी जी के शब्द आपके सामने रखे जिससे हंसी न आवे !

"Under the British aegis we have learnt much. But it is my firm belief that if we are not careful we shall introduce all the vices that she has been a prey to owing to the disease of materialism. We can profit by that connection only if we keep our civilisation and out morals straight, that is, if instead of boasting of the glorious past we express the ancient glory in our own lives and let our lives bear witness to our past then we shall benefit her and ourselves. If we copy her because she provides us with rulers both they and we shall suffer degradation. We need not be afraid of ideals or of reducing them to practice even to the uttermost. Ours will only then be a truly spiritual mission when we shall show more truth than gold, greater fearlessness than pomp of power and wealth, greater charity than love of self. If we will clean our houses, our places and temples of the attributes of wealth and show in them the attribute of morality, one can offer battle to any combination of hostile forces without having to carry the burden of heavy militia. Let us first seek the Kingdom of God and his righteousness and the irrevocable promise is that everything will be added unto us. This is our real economics. May you and I treasure them and enforce them in our daily life.

[ब्रिटेन वालों की अभिभावकता में हमने बहुत कुछ सीखा है । किन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम लोग सावधानी न बर्तें तो हम में वे सब अवगुण व्याप्त हो जायेंगे जो कि ब्रिटेन में भौतिकवाद रूपी रोग के कारण हैं। उस संबंध से हम तभी लाभ उठा सकते हैं जब कि हम अपनी सभ्यता और नैतिकता को ठीक रक्खें, अर्थात् अपने यशस्वी भूतकाल की डींग मारने के बदले हम प्राचीन नैतिक यश को अपने जीवन में अभि-व्यक्त करें और हमारा जीवन ही हमारे भूत काल का साक्षी हो । इससे हमारा और ब्रिटेन का, दोनों का ही लाभ होगा । यदि हम ब्रिटेन का अनुकरण केवल इस कारण से करें कि उससे हमको शासक मिलते हैं तो हमारा और उनका, दोनों का ही, अधःपतन होगा। हमको आदर्शों से या उनको पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने से डरना नहीं चाहिये । हमारा जीवन वास्तव में आध्यात्मिक कर्तव्य तभी हो सकता है जब कि हम धन की अपेक्षा सत्यपरायणता अधिक दिखावें, शक्ति और सम्पत्ति के प्रदर्शन की अपेक्षा निर्भयता अधिक दिखावें और आत्मपरायणता की अपेक्षा परोपकार अधिक दिखावें । यदि हम अपने निवासस्थानों को परिष्कृत रक्खेंगे अपने महलों को तथा सम्पन्नता के तत्वों से युक्त अपने मन्दिरों को परिष्कृत रख के उनमें नैतिकता का तत्व दिखला सकेंगे तो विशाल जनसेना का भार वहन किये बिना ही शत्रु शक्तियों के समूह विरुद्ध युद्ध कर सकेंगे । हम पहले ईश्वरीय राज्य तथा ईश्वर को न्यायनिष्ठा की खोज कर लें । यह अमिट प्रतिश्रुति है कि हमको सब कुछ मिलेगा। यही हमारी वास्तविक अर्थ-व्यवस्था है । ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और हम इन चीजों का संचय करें और अपने दैनिक-जीवन में इनका उपयोग करें।]

मैं जब कभी आपके सामने आपकी सेवा के लिये खड़ा होता हूं तो मेरी आप से यही पुकार रहती है कि हमारा भविष्य, हमारी संस्कृति, हमारी पुरानी राजनीति और सभ्यता के ऊपर निर्भर रहता है । जब हम अपना मारेल कैरेक्टर (नैतिक चरित्र) ठीक करेंगे तब ही हमारा कल्याण हो सकता है ।

श्री बंशीदास धनगर (ज़िला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जेलों के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जेल में जो पाखाने साफ करने की प्रथा है वह इस प्रकार की है कि एक तो सब जेलों में कैदी की हैसियत से जो मेहतर जाति के लोग होते हैं उनसे पाखाने साफ कराये जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर ऐसे क़ैदी नहीं हैं तो बाहर के मेहतरों से पाखाना साफ कराया जाता है। मैं समझता हूं कि अगर यह चीज़ इसी हिसाब से है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि पाखाना साफ करना सभी क़ैदियों के लिये आवश्यक कर दिया जाय। जब कि हमारी सरकार यह दावा करती है कि किसी जाति के लिये किसी खास चीज का प्रतिबंध नहीं है तो यह भेदभाव का बर्ताव करना क्यों जरूरी समझा जाता है जो कि मेहतर वहां पर जाते हैं उन बेचारों से ही वह काम लिया जाता है। यदि ऐसा जरूरी है तो पाखाने का काम ही क्योंकि सब से ज्यादा छुआछूत की बीमारी है तो उसको दूर करने के लिये, जैसे उसने छुआछूत का कानून बनाया है उसी प्रकार हमारी जेलों में यह आवश्यक कर दिया जाय कि जितने क़ैदी जायं उन सब के लिये यह जरूरी हो कि वे पाखाने उठाने का काम करें।

दूसरा छुआछूत दूर करने का एक तरीका यह भी है कि जेलों में रोटी करने का काम भी सब के लिये आवश्यक कर दिया जाय। कैदियों में से ही दो-दो, चार-चार कैदियों की टोली बना कर खाना बनाना सब के लिये आवश्यक कर दिया जाय। इस प्रकार हमारी समझ में छुआछूत का रोग बहुत अंश में दूर हो सकता है। कम से कम सरकारी संस्थाओं में जेलों में जाकर तो यह चीज हो ही जाना चाहिये ताकि यह छुआछूत की बीमारी न रहे।

इसके अलावा यह दूसरी चीज है कि जब हम किसी भी सूरत में श्रेणी या वर्गवाद पसंद नहीं करते हैं तो यह क्या जरूरत है कि एसे जमाने में भी हम 'बी' क्लास, 'सी' क्लास जैसी श्रेणियां कायम करते ही रहें। इस श्रेणी के मामले को जरूर खत्म कर देना चाहिये क्योंकि जब कैदी की हैसियत से उसने सजा पायी है तो मैं समझता हूं कि अपराध के हिसाब से जो जज ने फैसला किया था कि उसका ऐसा अपराध था तो न्याय की दृष्टि से ऐसा भेद क्यों किया जाता है कि अमुक व्यक्ति बी क्लास में हो और अमुक व्यक्ति 'सी' क्लास में हो। यह तो मैं समझता हूं कि जब राजनीतिक लोग गये थे तो उन लोगों ने अनधिकार चेष्टा करके ऐसी चीज पैदा कर दी कि उनके लिये 'ए' क्लास भी हो, 'बी' क्लास भी हो और 'सी' क्लास भी हो। मैं समझता हूं कि अब 'ए' क्लास का विधान नहीं रह गया है और शायद है भी तो वह राजनीतिक कैदियों के लिये ही है और कैदियों के लिये सिर्फ 'बी' और 'सी' क्लास है। मैं तो समझता हूं कि किसी कैदी के लिये 'ए' 'बी' 'सी' होना, या किसी भी तरह से श्रेणी करना यह हमारी सरकार के लिये और खासकर उस सरकार के लिये जो कि ऐसे किसी तरह के भेदभाव को पसन्द नहीं करती है, मुनासिब नहीं मालूम पड़ता है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर यह खयाल रखा जाय कि जो जिस हैसियत का कैदी हो उसको वैसा ही काम दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बड़े अन्याय की बात होगी। हमें इस तरह के भेदभाव की कतई जरूरत नहीं है।

चौथी बात रिश्वत की है। रिश्वत अब भी वहां चलती है। वहां पर कैदियों को रिश्वत के बल पर सहूलियत मिलती है। हमारी सरकार को ऐसी चीज जरूर बन्द करना चाहिये। 'बी' क्लास के एक कैदी को जो अपना भोजन बनाता है उसको करीब डेढ़ सेर लकड़ी मिलती है जो मैं समझता हूं कि बहुत ही कम है और जब कि राजनीतिक कैदियों का प्रबंध सरकार का ही है। जब ये लोग जेल में थे तो उस वक्त इन लोगों ने तिकड़म से उस लकड़ी को उपलब्ध करने की कोशिश की इसलिये आज जब कि उनकी राजसत्ता है और वे ही जेल के प्रबंधक हैं तो उनको चाहिये कि वे ऐसी चीजें अवश्य ठीक कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्याय महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं उन सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा जिनका वादा कटमोशन्स के द्वारा किया गया है। और मैं आपको विश्वास

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दिलाता हूं कि जो बातें यहां कही गयी हैं उनसे मुझको काफी लाभ हुआ। कुछ तो ऐसी बातें कही गयीं है जिनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था या ध्यान देने का मुझे मौका नहीं मिला था और कुछ बातें ऐसी कही गयीं जिनकी तरफ डिपार्टमेन्ट की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। कुछ काम अब शुरू किया गया है। जैसा कि यहां कहा गया कि जेल स्टाफ (कर्मचारी लोगों) में चेंज (परिवर्तन) होना चाहिये, ऐसे लोग लिये जायं जो साइकालाजी (मनोविज्ञान) का विशेष ज्ञान रखते हों, तो माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि हमने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि जो अधिकारी लिये जायं वे इंटरमिडिएट तो हों ही, इससे कम क्वालिफिकेशन (योग्यता) के नहीं होंगे। दूसरे हम इस कोशिश में हैं कि ऐसे लोगों को जेलर के पदों पर रखा जाय जो साइकलाजी या क्रिमिनलाजी (अपराध विज्ञान) में ट्रेंड (प्रशिक्षित) हों। हमने यह भी शुरू कर दिया है कि कम से कम जो मुख्य जेल हैं उनमें जो होलटाइम सुपरिन्टेन्डेंट हों वे विशेष रूप से शिक्षा पाये हों। यह हमारे लिये प्रोत्साहन की बातें है और यहां के माननीय सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे। और भी कई बात हैं जो हमारे दिमाग मे आयी हैं, जिनकी तरफ यहां ध्यान दिलाया गया। इससे हमें बल मिलता है।

एक भाषण ऐसा हुआ जो मेरी ठीक-ठीक समझ मे नहीं आया। अगर में गल्ती नहीं कर रहा हूं समझने में तो जैसे श्री बिष्ट जी ने कुछ ऐसा कहा कि जेल में इस बात की कोशिश की जा रही है कि बहुत आराम दिया जाय, बहुत सुख दिया जाय, घर के जैसा सुख दिया जाय। उनका ऐसा खयाल है कि अगर यह गलत रास्ता रहा तो थोड़े दिनों मे इतनी होड़ मच जायगी कि जेलों में लोग भागे दौड़े आयेंगे और वहां जगह नहीं मिलेगी। अगर यह बात उन्होंने मजाक में कही हो तो खैर मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर सीरियसली (गंभीरता पूर्वक) यह बात कही गयी तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात वही शख्स कह सकता है जिसको कभी जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं सचमुच जेल में रहना सौभाग्य समझता हूं क्योंकि वह बड़ा अभागा है जो विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने में जेलों से अलग रहा है। ऐसी हालत में कोई इस प्रकार का प्रस्ताव भी नहीं है कि जेलों मे ऐसा सुख दिया जाय जैसा घर में होता है और अगर कोई ऐसा प्रबन्ध करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। हममें से वे लोग जो 'ए०' क्लास मे रहे हों वे जानते हैं कि खाने पीने का आराम ही था, कपड़ा भी अपना पहन सकते थे, पढ़ने लिखने की भी सुविधा थी। मगर कितने ऐसे आदमी थे जो 'ए०' क्लास का सुख देखकर दौड़े आये, सच बात तो यह है कि जो बहुत नीचे स्तर का आदमी होगा, उसको छोड़कर जो अच्छी बुद्धि वाला आदमी होगा, वह रोटी, कपड़ा खाना, पीना, आदि को बहुत छोटी चीजें समझता है। बन्दी रहना, यह एक ऐसी चीज है जिसका अनुमान वे कर नहीं सकते जिनको जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने सिर्फ किसी दोस्त से सुन लिया कि जेल में गये थे और उनको क्या-क्या तकलीफ हुई थी। ऐसी बात नहीं है किजेल इतनी सहल हो सके जितनी कि वह सोच रहे हैं। हमारे एक भाई ने यह तो नहीं कहा कि जेल में सुधार न किये जायं लेकिन उनका सुझाव यह था कि दंड नीति बहुत कड़ी होनी चाहिये और उन्होंने इस सिलसिले में प्राचीन दंड नीति का जिक्र किया। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि उन्होंने प्राचीन शास्त्रों को पढ़ा होगा तो जहां प्राचीन स्मृतियों में दड शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं है कि वह सजा के लिये ही हुआ हो। वह 'ला' शब्द के लिये प्रयोग हुआ है।

जैसे हम आज कहते हैं कि बिना (विधि) के समाज नहीं रह सकता, उसी तरह से वह कहते हैं कि बिना दंड के राज्य नहीं रह सकता। अगर दंड का अर्थ केवल सजा ही लिया जाय तो मैं समझता हूं कि कोई इस बात से सहमत नहीं होगा। आजकल कलियुग है। आजकल पुरानी सजायें कैसे लागू की जा सकती हैं, मैं नहीं समझता। मनु और याज्ञवल्क्य दोनों ने दिव्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। दिव्य का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिये कि किसी आदमी पर शक हो गया कि उसने चोरी की है लेकिन ठीक-ठीक पता नहीं चलता है तो उसका तरीका यह है कि उसका हाथ लेकर आग में डाल दिया जाय। अगर अपराधी

है तो जल जायगा और अगर निर्दोष है तो नहीं जलेगा। आजकल तो मैं समझता हूं कि यहां पर इतने लोग बैठे हुये हैं। एक आध कोई महातपस्वी हों उनको छोड़कर, कम से कम अगर मैंने चोरी न की हो और मेरा हाथ आग में डाल दिया जाय तो मेरा तो हाथ जल जायगा। किसी का भी डाला जायगा तो जल जायगा। इसलिये कम से कम आजकल के समय में प्राचीन ग्रंथों में दिये हुये तरीकों को इस्तेमाल करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। सब बातों को देख कर जो सुधार करने आवश्यक हैं उन को हम करने की कोशिश करेंगे।

खाने-पीने की बाबत जिक्र किया गया। किसी जेल में हमारे कुछ मित्रों ने देखा कि अब भी हालत वैसी ही खराब है जैसी पहले किसी समय में थी। सड़ी गली तरकारी दी जाती है इत्यादि, इत्यादि। अगर पहले से मुकाबिला किया जाय तो हमारी जेलों की हालत पहले से बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कहीं नहीं है तो बड़े दुःख की बात है, बड़ी लज्जा की बात है, वह सरकार के किसी आदेश द्वारा ऐसा नहीं है। वह वहां के अधिकारियों की वजह से ही हो सकता है। किसी आदमी को कैद में रखें किसी कारण से और उस आदमी के लिये जो भी खाना निर्धारित कर दें, रोटी दाल जो भी हो, लेकिन उस आदमी को सड़ा-गला खाना मिले, किसी भी सभ्य समाज का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ है तो बड़ी लज्जा की बात है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कहीं होगा तो इसका सुधार हो जायगा।

कई बातें ऐसी कही गयीं जिनके ऊपर मैं विचार करूंगा परन्तु एक आध बातें ऐसी हैं जिनके बारे में जहां तक मुझे सोच का अवसर मिला है मैं समझता हूं कि उनको चलाने में कठिनाई है। एक मित्र ने कहा कि १५ या २० कैदियों का एक एक मेस बना दिया जाय। मैं समझता हूं कि कई कारणों से इसका चलाना बहुत कठिन मालूम होता है। संभव है कि यह हो सके लेकिन इस समय अनेक दिक्कतें देख पड़ती हैं। अभी एक मित्र ने कहा कि एक बात यह कर दी जाय कि हर कैदी के लिए जो पैखाने हैं उनकी सफाई करना अनिवार्य कर दिया जाय और हर कैदी को खाना बनाना पड़े। मैं समझता हूं कि यह सुधार चलाना कठिन है। जेल के द्वारा गवर्नमेण्ट कुछ न कुछ सामाजिक सुधार कर सकती है लेकिन कोई भी गवर्नमेण्ट समाज की जो व्यवस्था है उससे कई सौ कोस आगे चली जाय ऐसा हो नहीं सकता है। इस किस्म के सुधारों के लिये जहां तक मैं समझता हूं अभी अनुकूल वातावरण नहीं है। इसलिये ये ऐसे सुझाव हैं जिन पर अमल करना मेरे लिये मुश्किल होगा लेकिन और सुझावों के लिये मैं समझता हूं कि कम से कम विचार करने की काफी सामग्री है।

जहां तक जेल में अखबारों और पुस्तकों की सप्लाई का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि पढ़े-लिखे आदमियों को जेल मे अखबार न मिलने से या ठीक तरह से न मिलने स और किताबों के न मिलने से कैसी दिक्कत होती है। हमको इस बात का अनुभव है कि जब हमको जेल मे अखबार नहीं मिलते थे या उनपर काली स्याही पोत दी जाती थी तो हम क्या क्या तरीका अख्तियार करते थे। हम उस काली स्याही को साफ करने की कोशिश किया करते थे ताकि देख सकें कि उसके अन्दर क्या लिखा हुआ है। इसमें कभी सफल होते थे और कभी नहीं सफल होते थे। मैंने जेल में किसी काम के लिये तिकड़म नहीं किया, लकिन मैंने एक एक अखबार के लिये एक एक दो दो रुपया खर्च किया है। मैं यह मानता हूं कि मैंने ऐसा किया है लेकिन जो किसी विदेशी शासन में हुआ है वह अपने शासन में भी हो यह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं यह समझता हूं कि अखबारों की रोकथाम करने से कोई खास फायदा नहीं है, जो पढ़े लिखे आदमी हो कर जेलों में जाते हैं, उनसे अगर अखबार में कोई चीज छिपा दी जाय, तो जो उसमे लिखा होगा उससे कहीं ज्यादा अनुमान वे लगा लेंगे। तो मेरी समझ में इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। कोई पुस्तक ऐसी हो सकती है जो जेल के अन्दर जाने योग्य न हो लेकिन मैं समझता हूं कि और पुस्तकों को जेल के अन्दर जाने देने में कोई दिक्कत नहीं पैदा करनी चाहिये। बहुत से जेलर ऐसे होते हैं जो यह समझ ही नहीं पाते हैं कि किसी किताब के अन्दर क्या है। इस

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लिये जहां तक पुस्तकों की बात है मैं समझता हूं कि यह ऐसा सुधार है जो कठिन सुधार नहीं है और जो आसानी से हो सकता है। मैं फिर सभी माननीय सदस्यों को उन सुझावों के लिये जो ने उन्होंने यहां पर रखे हैं धन्यवाद देता हूं।

एक बात और है जो अप्रासंगिक है लेकिन उसका यहां पर जिक्र हुआ। श्री जगन्नाथमल्ल ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को नीच समझता हूं। मैं ऐसा समझता हूं या नहीं, इस सम्बंध में वे अपनी पार्टी के नेताओं से बात कर मैं सामाजवादी पार्टी को नीच नहीं समझता। मैं मौका पड़ने पर उनके यहां उसी प्रकार जाता हूं जिस प्रकार कोई आदमी अपने घर वाले के यहां जाता है। तो यह भ्रम किसी को नहीं होना चाहिये कि मैं उन्हें नीच समझता हूं। मैं फिर सब मित्रों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिन मित्रों अपने कटमोशन्स पेश किये हैं वे उनपर वोट लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस प्रकार का बहस मुबाहिसा हुआ उसको देखने के बाद मुझ को एक कहावत याद आई।

कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा,
भानुमती ने कुनबा जोड़ा।

यह कहावत ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुये माननीय सदस्यों पर अप्लाई (लागू) होती है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते जाते हैं कि जिन को जेल की सजा होती है वह समाज में फैली हुई अव्यवस्था की वजह से होती है। समाज में ऐसी अव्यवस्था और विषमता फैली हुई है जिसकी वजह से वे अपराध करते हैं।

लिहाजा जेल में जाने से उनका सुधार किया जाना चाहिये, यह राय हमारे गृह मंत्री देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी सदस्यों में से एक साहब यह कहते हैं कि जेल बारात का जनवासा नहीं है जो तरह तरह की सहूलियतें उनको वहां दी जायं। दूसरे साहब यह कहते हैं कि समाज के जितने शैतान हैं उनको जेल में भेजा जाता है। एक दूसरे साहब यह कहते हैं कि स्टेटस के मुताबिक वहां लेबर देना चाहिये। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुये उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मंत्री दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप तीसरी तरफ जा रहे हैं और अन्य सदस्यगण चौथी तरफ जा रहे हैं। आपका जो मैनीफेस्टो है उसमें आप यह कहते जाते हैं कि हम एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो वर्गविहीन और वर्णविहीन हो और दूसरी तरफ जेलों में आप स्टेटस की बात कहते हैं कि स्टेटस के मुताबिक लेबर देंगे और फिर भी आप यह कहते हैं कि हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट है। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि जो समाज के शैतान होते हैं उनको जेल में भेजा जाता है और वहां पर शैतानियत से उनके साथ पेश आना चाहिये और अगर आप उनको उचित सहूलियतें देंगे तो जेल उनके लिये जनवासा बन जायगी और वे बार बार जेलों में जायेंगे। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी कोई नीति नहीं है और न किसी एक नीति को लेकर आप चल रहे हैं। आपके सदस्य कुछ कहते हैं और आप यहां पर कुछ कहते हैं, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कुछ और बात और कही जा रही है, इसलिये आप एक नीति निर्धारित करिये और उस नीति के अनुसार चलने की कोशिश कीजिये। और कम से कम मैं यह भी कहूंगा कि आप अपने जो माननीय सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग दें, उनके लिये एक ट्रेनिंग क्लास खोलें। तब आप समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप ही नहीं, आपके कुछ माननीय सदस्य भी कहते हैं कि हम भी समाजवादी समाज की ओर गवर्नमेंट को ले जा रहे हैं और यहां पर हम वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज की स्थापना करेंगे।

मैं यह कहता हूं कि आपका यह आदर्श केवल नारा है और आप उनको आगे नहीं ले जा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने जेल की बाबत एक भाषण दिया और जेल को स्वर्ग बनाने की बात कही और कहा कि हम वहां सिनेमा भी चलायेंगे और उनसे कुछ ऐसे काम भी लेंगे जिससे उनके पास कुछ पैसा हो जाय ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद उस पैसे के जरिये वे कोई काम धंधा कर सकें और अपनी जीविका कमा सकें, ठीक ऐसी ही बातें चार पांच साल पहले जब आप शिक्षा मंत्री थे शिक्षा के बारे में आपने कही थीं और समाजवादी दर्शन की बातें हमारे सामने रखी थीं। लेकिन पांच साल के बाद हमने देखा कि आप कुछ भी नहीं कर पाये, न शिक्षकों की तनख्वाह ही बढ़ा पाये और उनके कष्ट ज्यों के त्यों बने हुये हैं। तो कहने का मतलब यह है कि माननीय गृह मंत्री, आप कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। मैं तो यह कहता हूं और जैसा कि आपने भी एक पुस्तक में लिखा है कि जब कोई प्रगतिशील विचारधारा का मंत्री होता है और वह प्रतिक्रियावादी विचारधारा के मंत्रियों के बीच में पहुंच जाता है तो वह असहाय हो जाता है। तो आप इस समय एक असहाय अवस्था में हैं। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री आपसे निवेदन करूंगा कि आपके लिये वह उपयुक्त स्थान नहीं है। आपके लिये उपयुक्त स्थान यह है। तभी आप अपनी विचार-धाराओं के अनुसार कार्य कर सकेंगे, क्योंकि जब आप वहां पर बैठते हैं तो आपके कहने और करने में अन्तर हो जाता है और जब आप यहां पर आयेंगे तो मेरा यकीन है कि आप समाज को ज्यादा आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिये आपके लिये उचित स्थान वह नहीं है बल्कि यह है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि डाक्टरी रूल्स के मुताबिक वहां पर खाना दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि नान-आफिशल विजिटस (गैर सरकारी निरीक्षक) के रोस्टर्स (पंजिकाओं) को आप खत्म कर दीजिये और सरप्राइज विजिट्स (आकस्मिक निरीक्षण) करने दीजिये। इस बात का पता लगेगा कि कैसा खाना वहां पर दिया जाता है। मैं पारसाल इटावा जेल में गया था और मैंने जितनी बातें कही हैं वे अपने निजी अनुभव की बातें कहीं हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डाक्टरी रूल्स के मुताबिक तो आप खाना देते हैं लेकिन वैसा खाना कर्मचारियों का भ्रष्टाचार उनको मिलने नहीं देता है। इसलिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

एक सदस्य ने कहा कि जो जेल है वह बरात का जनवासा हो जायगा। इसके लिये यूगोस्लाविया में जो सोशलिस्ट पार्टी का डेपुटेशन गया था और वहां की जेलों की जो हालत उसने बतायी उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

"वहां कैदियों के लिये बड़ा अच्छा प्रबंध था। उनके लिये खेल, थियेटर और कारखानों का प्रबंध था। श्री अंसारी एक विशेष जेल से बहुत प्रभावित हुये जहां गर्भिणी स्त्रियों को प्रसव से तीन मास पहले ले जाया जाता है। जेलों में बच्चों के लिये विशेष प्रबंध है। इस जेल में बाहर सड़क पर खुलने वाली खिडकियां हैं जिनमें छडें नहीं लगी हैं किन्तु अभी तक कोई कैदी भागा नहीं।"

यह ऐसे राज्य की बात कहता हूं जहां का राज्य लोप होने जा रहा है। जहां की पार्टी लोप होने जा रही है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जेलों में क़ैदी इसलिये नहीं भेजे जाते हैं कि हम उनसे बदला लें या जिन्होंने समाज में जुर्म किया है इसलिये उनको उसकी सजा दें। कुछ साथियों ने तो यहां तक कहा कि वह भ्रष्टाचारी हैं इसलिये वह दंड के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि न्याय की भी तो ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। अगर आप ठीक न्याय नहीं देंगे तो वह जुर्म करने के लिये मजबूर हो जायेंगे।

आज भ्रष्टाचार तो पूरे समाज में फैल गया है। गवर्नमेंट में ही नहीं है, पुलिस में ही नहीं है, कोर्ट्स में ही नहीं है बल्कि पूरे समाज में फैल चुका है। अगर इस भ्रष्टाचार का कोई हल नहीं निकालेंगे और इसको ज्यादा बढ़ने दिया गया तो चोरी होगी डकैती होगी और चोर-बाजारी होगी। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये समाज को एक नये ढंग से बसाना पड़ेगा।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

अगर आप लोग हर एक की आमदनी को मुकर्रर कर दें तभी आपका समाज ठीक ढंग से चल सकता है ।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य क्या अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह---जी नहीं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५ जेल (लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियां) के अन्तर्गत १,१३,०८,७०० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक २९---पुलिस

गृह मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २९-पुलिस, के अंतर्गत ७,११,४१००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं इस मौके पर भी उसी मार्ग का अवलम्बन करना चाहता हूं जिसका अनुसरण मैंने जेल के बजट को पेश करते वक्त दिया था, यानी यह कि कोई लम्बा व्याख्यान नहीं दूं और बजट के भीतर जो बहुत सी बातें हैं उनको तो माननीय सदस्यों ने पढ़ ही लिया होगा। इसलिये उनके संबंध में विस्तार से नहीं कहूंगा। इस अनुदान में और उस अनुदान में बहुत फर्क है। उसके कट में मोशन तो सुझाव देने के संबंध में था। लेकिन यह जो पुलिस के संबंध में अनुदान है उसमें सुधार की बात बहुत कम आयी है। लिहाजा कुछ डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उसी रास्ते पर चलता हूं।

जहां तक बन पड़ता है हम पुलिस के संबंध में किफायतशारी करना चाहते हैं। यदि वह रुपया जो सचमुच अनप्रोडक्टिव (अनुत्पादक) तरीक़े से खर्च होता है स्कूलों पर, अस्पतालों पर और सड़कों पर खर्च हो सके तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं समझता हूं कि इतना बड़ा वह ७ करोड़ का बजट है उसमें थोड़ी सी किफायत तो कोई भी कर सकता है। इस समय कोई बहुत बड़ी बचत इस बजट के भीतर नहीं की जा सकती है। इसलिये मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि पुलिस का खर्चा ज्यादा है। वाकई है, एब्सोल्यूट (पूर्ण) और पौजीटिव (निरपेक्ष) तरीके से देखा जाय तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो परिस्थिति है उसको देखते हुए मेरी समझ में कोई कमी नहीं की जा सकती है और इस गवर्नमेंट को देखते हुये ही नहीं बल्कि दूसरी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कमी करने की हिम्मत नहीं कर सकती है। इसके कारण हैं। एक तो देश की भीतरी परिस्थिति है। यह सही है कि हमारे सौभाग्य से वह सूरत नहीं है जो दो तीन बरस पहले थी जब कि देश का विभाजन हुआ था। देश भर में कम्युनल रायट्स (साम्प्रदायिक दंगे) हो रहे थे, वह चीज नहीं है। १९५० में पूर्वी बंगाल में क्या हुआ उसके फलस्वरूप कुछ थोड़ा सा वैमनस्य हमारे उत्तर प्रदेश मे आगया और कुछ पश्चिमी जिलों में तनातनी हो गयी। लेकिन वह चीज अब नहीं है। यह आशाजनक बात है। लेकिन कई बातें अब भी ऐसी हैं जिनको देखते हुये भीतरी परिस्थिति ऐसी शान्त नहीं है कि पुलिस पर कुछ ज्यादा कमी की जा सके।

यह सौभाग्य की बात है कि पहली जुलाई को जमींदारी उन्मूलन का दिवस मनाया गया, किसी प्रकार का झगड़ा कहीं नहीं हुआ। लेकिन पुरानी तनातनी किसानों और जमींदारों में चली आती है, आपस में वैमनस्य चला आता है, अभी १५ दिन में दो झगड़े हुये। एक गोंडा में और दूसरा बनारस में। गोंडा और

बनारस में जो झगड़ा हुआ वह अखबारों में आया। दोनों अदालत के सामने जायंगे। गोंडा में कुछ पेड़ थे। जमींदार कहते थे कि हमारे हैं। मैं नहीं जानता कि किस के थे। पेड़ काटे गये। फिर जब जमींदार के आदमी उसे उठाने आये तो कुछ गांव के आदमियों ने कहा कि लकड़ी नहीं ले जा सकते हो। इस पर झगड़ा हो गया। जमींदार के आदमी जहां तक मालूम होता है कम संख्या में थे। पास ही नदी बह रही थी। उन्होंने समझा कि कूद कर पार कर जायंगे लेकिन वे लोग बह गये और डूब गये। इसी तरह से बनारस में झगड़ा हुआ। ढाई बीघा जमीन पर झगड़ा हुआ। काश्तकार और जमींदारों के आदमियों में यह झगड़ा हुआ और दोनों तरफ के आदमी मारे गये। इससे साबित होता है कि पुरानी गुस्से और वैर विरोध की परम्परा चली आती है। संभव है आगे यह न हो, लेकिन यह बात न भूलनी चाहिये कि हमारे यहां और किस्म के भी झगड़े हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनको उन झगड़ों को बढ़ाने में मजा आता है। पहले भी झगड़े हो जाया करते थे। एक आदमी इधर का और एक उधर का, आपस में मार पीट हो गई। बिरादरी के झगड़े खास कर होते हैं। उनको बड़ा रूप भी दिया जाता है। कोई ब्राह्मण हुआ और कोई ठाकुर हुआ जिसे ऊंची जाति वाले लोग कहते हैं और दूसरे लोग ऐसे हुये जिनको हरिजन या शोषित कहा जाता है। आपस में झगड़ा हो गया। वह झगड़ा व्यक्तिगत हो कर रह जाता है, एक गांव का हो कर रह जाता है और बाद में उसको बड़ा रूप दे दिया जाता है। अखबारों के जरिये लम्बा चौड़ा प्रचार हो जाता है कि ऊंची और दलित जातियों में झगड़ा हो गया। वह वैमनस्य पहले छोटी सी जगह में होता है लेकिन बाद में बड़े जोरों से बढ़ा दिया जाता है। करने वालों की नियत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता शायद अच्छी नियत रहती हो, लेकिन जो परिस्थिति आज है उसे देखते हुये यह मालूम होता है कि झगड़ों की परिधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह मैं नहीं कहता कि हर जगह पुलिस ने झगड़ों की रोकथाम कर ली लेकिन इसके साथ ही साथ कोई आदमी ईमानदारी के साथ यह नहीं कह सकता कि पुलिस हटा दी जाय तो यह झगड़े और भयंकर रूप धारण नहीं कर लेंगे। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भीतरी परिस्थिति आज भी खराब है।

एक बात और है जिसका आमतौर से जिक्र किया जाता है और मैं समझता हूं कि बहुत हद तक वह ठीक है। जहां तक कि बड़े बड़े क्राइम्स (अपराध) हैं उनको रोकने में पुलिस को काफी सहायता मिली है। मिसाल के तौर पर मैं, ज्यादा नहीं, पिछले तीन चार बरसों के फीगर्स (आंकड़े) देता हूं मर्डर (हत्या) और राइट्स (दंगे) के। १९४९ में १६३५, १९५० में १६५०४ और १९५१ में १५६९ खून हुये। बल्वे १९४९ में ३६८३, १९५० में ३७३८ और १९५१ में ३३८२ हुये। इस तरह से क्राइम में कमी हुई।

एक बात मानता हूं कि जनरल लालेसनेस (सामान्य अराजकता) की भावना जब से आजादी हुई तब से जरूर बढ़ी हुई है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे क्राइम्स के रेकार्ड (अभिलेख) में नहीं आती हैं, लेकिन कहना चाहिये अंग्रेजी के शब्दों में कि क्राइम अगेन्स्ट प्रापर्टी (सम्पत्ति विषयक अपराध) तो नहीं बल्कि क्राइम अगेन्स्ट परसन (व्यक्तिविषयक अपराध) बढ़ा है। लोगों को दूसरे की जान के बारे में जितना खयाल होना चाहिये और जैसा व्यवहार होना चाहिये उस में वृद्धि हुई है। जरा-जरा सी बात पर दूसरों को मारना-पीटना उसकी जान ले लेना यह चीज कुछ आज कल आसान सी बात मालूम होने लगी है। स्वराज्य होने के बाद और एक ट्रान्जिशन पीरियड (संक्रमणावधि) होने के कारण या इसलिये कि यह एक परिवर्तन का सा जमाना है इस सब का परिणाम यह हुआ है कि लोगों में जान का कुछ खयाल नहीं रहा है। ऐसा जरूर हुआ है और मैं इसको निश्चित समझता हूं। लोगों के अन्दर दूसरे के शरीर के प्रति जैसी पवित्र भावना होनी चाहिये कि किसी को आघात न पहुंचाया जाय वह चीज कम हुई है। छोटी-छोटी बातों में, स्कूल और कालिजों तक में जरा-जरा सी बातों में, शहरों में और गांवों तक में यह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

चीज इस समय प्रत्यक्ष है और इन तमाम चीजों के रहते हुये आज आसानी के साथ कोई नहीं कह सकता है कि पुलिस के खर्च में कोई खास कमी कर दी जाय।

हमारे चारों तरफ की जो राजनीतिक परिस्थिति है उससे भी हमारा संबंध है और उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। नैपाल हमारा पड़ोसी राज्य है और नैपाल के संबंध में आप बहुत सी बातें जानते भी हैं। आज के अखबार में भी आपने देखा होगा कि वहां अब फिर सरकार में कुछ परिवर्तन करने की बात सोची जा रही है और अखबार में कुछ ज्यादा ही सूचना वहां की हमारे पास आती है। उस से मालूम होता है कि वहां की हालत काफी नाजुक है और नहीं कहा जा सकता है कि वहां किस वक्त क्या हो जायगा और वहां की गवर्नमेंट कौन सम्हाल सकेगा। किसी समय भी कहीं भी उपद्रव का संदेह हो सकता है। हमारे जो मित्र गोरखपुर, गोंडा, बहराइच और बस्ती के रहने वाले हैं उनको अधिक मालूम होगा। नैपाल में जो बातें होती हैं उस स्थिति का प्रभाव हमारे इन जिलों में भी पड़ता है। कोई अच्छी भारी सरहद हमारे उनके बीच में नहीं है और केवल जंगल ही सरहद पर है जिसमें आना-जाना आसान है और खबरों का आना-जाना भी कठिन नहीं है। उस सरहद का प्रबन्ध करना पड़ता है और उसके लिये हमें विशेष रूप से पुलिस की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ तिब्बत की तरफ का भी हमें खास तौर से खयाल रखना पड़ता है। वहां से हमारा बड़ा नाजुक संबंध है। क्या संबंध हमारा तिब्बत से है कहना कठिन है, लेकिन कर्जन के जमाने में जब यहां से फौज भेजी गयी थी उस वक्त वहां से हमारी क्या ट्रीटी (संधि) हुई थी वह साफ़ नहीं है। अब वहां चीन की सरकार आ गयी है अब कैसे संबंध वहां से हमारे क़ायम रह सकेंगे इसमें हमें संदेह है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तिब्बत का और हमारा कुछ हिस्से पर थोड़ा झगड़ा सा है जिसको वहां की सरकार कहती है हमारा है और हम समझते हैं कि वह हमारा है। उसका भी निपटारा करना है। बहुत से तिब्बत के भोटिया ऐसे हैं जो वर्ष के कुछ हिस्से में यहां रहते हैं और कुछ हिस्से में तिब्बत में रहते हैं और व्यापार किया करते हैं। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनका व्यापार कैसे रहे। इसके लिये भी हमें पुलिस की जरूरत होती है और उस पर खर्च करना पड़ता है। हमारे पड़ोस में कई राज्य राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश आदि ऐसे हैं जो नये राज्य हैं और जो स्टेट्स के मर्जर (विलय) के बाद अभी नये ही बने हैं। वहां की भी अभी अजीब हालत है। आप देखें कि वहां जो लोग सुपरिंटेंडेंट हैं उनको शायद हम अपने यहां सब इंस्पेक्टर बनाना भी पसन्द न करेंगे। अभी चूंकि वह नयी स्टेट हैं इसलिये वहां की व्यवस्था अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये। उन प्रदेशों से हमारे जो इलाक़े मिलते हैं उनमें भी खासतौर से हमें पुलिस का प्रबंध करना पड़ता है। इन तमाम कारणों से अभी पुलिस के खर्च को कम करना सम्भव नहीं है और अगर सरकार उसको कम करने की कोशिश करेगी तो वह आज की हालत में एक क्रिमिनल (अपराधयुक्त) काम करेगी और अगर क्राइम्स बढ़ेंगे तो वह इसकी जिम्मेदार होगी।

अगर आप गौर से देखें तो कोई बहुत ज्यादा खर्च आज पुलिस पर नहीं है। हमारे यहां करीब ६ करोड़ की आबादी है और ५८ हजार पुलिस के आदमी हैं। इसके मानी यह हुये कि १ हजार आदमी के पीछे या २ वर्ग मील के पीछे एक सिपाही है। इंग्लैंड में ६०० आदमी के पीछे एक सिपाही है। उनके यहां इस तरह के झगड़े तो नहीं हैं जैसे सरहद के हमारे यहां हैं। मद्रास में एक कांस्टेबिल के ऊपर १३२७ बम्बई में १५१८, मध्य प्रदेश में १११८, बिहार में ९४७ पश्चिमी बंगाल में १३७५ पंजाब में २३५० और उत्तर प्रदेश में ११२५ रुपये सालाना खर्च किया जाता है। बिहार और मध्यप्रदेश को छोड़ कर सब प्रान्तों में हमसे ज्यादा खर्च किया जाता है। सब बातों को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि हम पुलिस पर बहुत ज्यादा या बहुत अनुचित रूप से खर्च कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिये।

आपने देखा होगा कि १ लाख ७४ हजार रुपये की रक़म है फ़ायर फ़ाइटिंग (आग बुझाने की) मशीनों के लिये है। कई जगह आग बुझाने के इक्विपमेंट्स (उपकरण) ख़राब हो गये

हैं उनके बदलने के लिये यह रक़म है। हिन्दी टाइप राइटर्स के लिये २०,००० रुपया रखा गया है। इसका जिक्र मैंने इसलिये किया कि हम पुलिस में भी हिन्दी को आगे बढ़ा रहे हैं।

घूम फिर कर यह बात भी कही जायगी कि पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है। कल एक साहब ने 'अत्याचार' भी कहा था। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अत्याचार होना भी आवश्यक है। दोनों मिले-जुले हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसी ग़लत बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी इसी प्रदेश में रहता हूं। सम्भव है आपके सामने चीजें ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से आती हों मगर अप्रत्यक्षरूप से मुझे भी पता चलता रहता है। इसे दूर करने के उपाय भी, जहां तक होता है, हम करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि पिछले तीन-चार साल में कितने आदमियों को अदालतों की मार्फत और विभाग द्वारा सजायें मिली हैं। ऐब निकालना तो आसान है ही परन्तु हम सब का प्रयत्न यह होना चाहिये कि हमारी पुलिस जितनी अच्छी हो सके हो और हम सब यह चाहते भी हैं।

कई बातों में हम अपनी पुलिस पर गर्व भी कर सकते हैं। हमारी पुलिस ने ऐसे काम किये हैं जोकि और जगहों पर फ़ौजों से लिये जाते हैं। हमारी पुलिस की मांग दूर दूर की स्टेट्स से आती हैं। इससे प्रकट होता है कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग और शिक्षा कितनी अच्छी है। यह तो कहना ग़लत होगा कि पुलिस में सभी के सभी चोर या भ्रष्टाचारी हैं। बहुत ईमानदार अच्छे लोग भी हैं और जहां तक भ्रष्टाचारियों की बात है यदि ऐसे लोगों की संख्या अधिक है तो यह भी संभव नहीं है उन सब को एकदम निकाल बाहर किया जाय। हमारा संविधान खुद इस बात की इजाज़त नहीं देता। उसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को निकालने का एक तरीक़ा है और उसमें अच्छा ख़ासा समय लग जाता है। आज अगर पुलिस वालों में बुराइयां हैं तो यह भी उचित नहीं होगा कि कितने ही हजार आदमियों को, जो ट्रेनिंग पाये हुये हैं, उनको निकाल दिया जाय और समाज में छोड़ दिया जाय जिसका नतीजा यह होगा कि वे बुरे आदमियों की संख्या को बढ़ावेंगे। कोई भी आदमी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि हमारे ट्रन्ड आदमी, आर्गेनाइज्ड आदमी बाहर निकाल दिये जायं जो बाहर जा कर चोर और डकैत बनें और उनकी संख्या में वृद्धि हो। पुलिस के आदमी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आये हैं वे उसी दुनियां के लोग हैं जिस दुनिया के हम और आप हैं। हमारे और आप के ही आदमी पुलिस में होते हैं। जब तक हमारे घरों में रहते हैं, कुछ बुराई नहीं करते। तब तक तो वे अच्छे होते हैं और जब वे पुलिस में चले जाते हैं तो वे बुरे हो जाते हैं।

अभी जेल के संबंध में जो बहस हो रही थी उसके सिलसिले में किसी साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार केवल जेल ही में नहीं है, केवल पुलिस में नहीं, केवल पी० डब्ल्यू० डी० में नहीं, बल्कि हमारे समाज के प्रत्येक अंग में यह चीज फैली हुई है। जो यह बात उन्होंने कही वह बड़े तत्व की बात है। जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सचमुच यह चीज हमारे समाज में फैली हुई है। अभी की बात है। हम कुछ लोग थे, सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री राजनारायण जी भी मेरे पास आये हुये थे। उस समय दो एक मित्रों से बातें हुईं, भ्रष्टाचार के मुताल्लिक भी बात चली। उसमें यह चर्चा थी कि यह प्राब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम (प्रशासनात्मक समस्या) नहीं बल्कि सोशल प्राब्लम है। जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं उनके लड़के-लड़कियों की शादी होती है, उनमें हम सब लोग शरीक होते हैं। घर और बाहर वाले सब लोग उनके इस धन में हिस्सा बंटाने में गुरेज नहीं करते। इसके मानी यह है कि हम में सोशल कांशसनैस (सामाजिक जागृति) नहीं रही है। अब सच यह है कि यह चीज समाज के हर स्तर में फैल गयी है। यह जानते हुये कि यह आदमी बुरा है हम उसके विषय में आंख बंद कर लेते हैं। हमें उसके साथ अपना संबंध रखने में किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होती। भ्रष्टाचारी के साथ संबंध स्थापित करने में किसी को कोई बुराई नहीं दिखाई देती। जब ऐसी बात है तो बताइये उस

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

समाज का क्या हो ? समाज उन आदमियों को जो रिश्वती हैं, सताने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं दंड दे सकता है । यह रोग इतना व्यापक हो गया है कि कोई गवर्नमेंट या पार्टी इस काम को नहीं कर सकती । १०० आदमियों में से ४-६ आदमी अगर भ्रष्टाचारी हों तो उन्हें दंड दिया जा सकता है लेकिन जिस समाज में १०० में से ९५ आदमी वैसे हों तो कैसे उनको दंड दिया जा सकता है ? मैं कहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में आप जो कुछ कहेंगे उसको मैं शिरोधार्य करने के लिये तैयार हूं और जो भी उसमें मानने योग्य बात होगी उसको मैं मान लूंगा । लेकिन पुलिस के आदमी समाज के बाहर नहीं हैं । समाज का जो स्तर है, सरकारी नौकर उससे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते । यह काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती । यह दूसरे लोग कर सकते हैं, समाज के नेता कर सकते हैं, इसलिये इस काम में उन लोगों से सहायता ली जानी चाहिये तभी हम इस बात में सफल हो सकते हैं । मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़े पर जितना करना संभव होगा और उसके बारे में आपके जो सुझाव होंगे वे हमारी आंखों पर हैं लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि सारे के सारे आदमियों को निकाल बाहर किया जाय ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे माननीय गृह मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसमें सौ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय के अनुदान में कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है वह बहुत ही अहम और नाजुक विषय है । इस पर मैं कई दिनों से विचार कर रहा था कि क्या कहूं क्या न कहूं, माननीय गृह मंत्री का विचार है कि समाज में काफी बुराइयां हैं जब तक वे बुराइयां दूर न होंगी तब तक और बुराइयां दूर नहीं की जा सकतीं । इसके साथ ही साथ समाज में विषम आर्थिक परिस्थितियां हैं । इन दो चीजों के रहते हुये कोई सुधार संभव नहीं हो सकता । ऐसा उनका विचार है । हम अपने प्रदेश में पुलिस पर जो खर्च कर रहे हैं वह जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और प्रदेशों की पुलिस के खर्चे से कम है । लेकिन कभी-कभी हम लोग यह सोचने लगते हैं कि यह खर्चा व्यर्थ ही हो रहा है । पुलिस का महकमा बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है । देश की रक्षा का भार पुलिस के ऊपर है, सम्पूर्ण नागरिकों की जान-माल की हिफाजत उसको करनी पड़ती है । लेकिन हम देखते हैं कि ऊंचे दर्जे के जो आफीसरान हैं उन्होंने भारत की नयी प्राप्त की हुई आजादी की प्रेरणा से कुछ अपने अन्दर समावेश करने का प्रयत्न किया है, लेकिन अधिकांश पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं मालूम होता है । जब हम उसको देखते हैं तो एक अजीब नकशा ही हमारे सामने आता है और सारे प्रान्त के ऊंचे अधिकारियों का नियंत्रण पुलिस विभाग के नीचे के कर्मचारियों के ऊपर से उठता जा रहा है । हम समझते हैं कि सामंतशाही जमींदारी के रूप में खत्म हो गयी है, लेकिन वह एक नवीन रूप में हमारे सामने आ रही है ।

प्रदेश के अधिकांश थानों के थानेदार फियुडल लार्ड्स होकर मनमानी कर रहे हैं । यह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम होगा । जिस समय सन् ३६ और सन् ४६ में हमारे प्रदेश में कांग्रेसी मंत्रिमंडल आया था तो देश के पूंजीपति और पुलिस वाले घबड़ाये हुये थे कि कहीं हमें फिर अंग्रेजी जमाने की बातों की पुनरावृत्ति करने का मौका न मिले लेकिन उस समय जो बुनियादी गलती मंत्रिमंडल की तरफ से की गयी वह यह है कि जिन पुलिस वालों ने सन् ४२ के आंदोलन में कायदे कानून का उल्लंघन करके हमारी मां बहनों की इज्जत तक लूटने का साहस किया, जिन्होंने कायदे कानून के बाहर जाकर लोगों को मारा पीटा तथा तरह तरह से सताये लोगों के घर लूटे, बरबाद किये, जगह जगह ऐसी भी मिसालें मिलीं और मैं जानता हूं कि बहुत से थानेदारों ने अपने इलाके में मार्शल ला की तरह हुकूमत जारी कर दी थी । सन् १९४२ के आंदोलन में बहुत से थानेदारों की हालत यह थी कि उन्होंने सैकड़ों और हजारों रुपये लोगों से घूस में लिये । लेकिन क्या मैं गृह मंत्री जी

से जान सकता हूं कि एक भी उदाहरण वे बतला सकते हैं कि किसी भी पुलिस वाले को इसके लिये सजा दी गई हो ? ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ आपने कोई भी कार्यवाही नहीं की। मुझे तो इस बात से बड़ा अफसोस होता है।

मैं यह सोचता हूं कि जिस तरह से अंग्रेज अपने स्टेटस को मेन्टेन (हैसियत कायम) रखने के लिये पुलिस वालों की मदद लेते थे उसी तरह से आप भी चूंकि पूंजीवादी परम्परा की सरकार चला रहे हैं इसलिये समझते हैं कि आपको स्टेटस को कायम रखना है इसलिये पुलिस चाहे जनता पर अत्याचार ही क्यों न करे, उसको उसी तरह से बने रहने देना चाहते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पुलिस वालों के साथ ही साथ जनता में भी आपकी साख नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े उपस्थित किये और उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि हमारे सूबे में डकैतियों वगैरह की संख्या बहुत कम हो गयी है। कुछ आंकड़े तो मैंने सन् १९५०-५१ की रिपोर्ट से ही लिये हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सन् १९४५ में डकैतियों की संख्या ४९१ थी जब कि आपका मुबारक कदम यहां नहीं था, और सन् १९४९ में वही संख्या १३६६ और १९५० में ८७९ हो गई। राहजनी की संख्या सन् १९४५ में ३२१ सन् १९४९ में ७९२ और सन् १९५० में ५७९ हो गयी। जो हमारे भूतपूर्व मंत्री थे उन्होंने एक सख्त किस्म का सरक्यूलर (परिपत्र) भेजा कि हमारे प्रदेश मे जुर्म कम होने चाहिये। जुर्म कम करने का मतलब पुलिस वालों ने कुछ दूसरा ही समझ लिया, उन्होंने आपके मनोभावों को नहीं समझा। ऐसे तमाम मामले छिपाये जाने लगे जो बड़ी बड़ी डकैती के केस थे, मामूली चोरी के मामले लिखे जाने लगे और इस तरह से देहातों में पुलिस वालों ने एक तरह से अराजकता फैला दी। पुलिस की शरारत की वजह से हजारों निरपराध आदमियों को सजा मिलती हैं। मैं आपसे वादविवाद नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालना अपना फर्ज समझता हूं। अलीगढ़ के एम० एस० त्यागी नामक एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के खिलाफ शिकायत होती है कि वह विधवाश्रम खोलवाकर स्त्रियों के व्यापार का संगठन कराते हैं। मामला सी० आई० डी० द्वारा एक ट्रिब्यूनल के सामने भेजा जाता है जिसमें अलीगढ़ के कई एम० एल० ए० और एम० एल० सी० ट्रिब्यूनल के सामने श्री त्यागी की सफाई के लिये जाते हैं और प्रयत्न करते हैं कि उसे सजा न होने पाये। परन्तु ट्रिब्यूनल ने सफाइयों को नहीं मानती और श्री त्यागी को सजा दे देती है। अभी-अभी १२ जुलाई के एक मामले की ओर मैं गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिकन्दराराऊ में म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला था, उसी दिन पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया यह कह कर कि वह पाकिस्तान जाने वाला है। ठीक १२ जुलाई को ही उनको इलहाम हुआ कि यह आदमी पाकिस्तान जाने वाला है। गुंडे बुलाये जाते हैं और रास्ते मे फर्जी झगड़े कराये जाते हैं और दो अन्य मेम्बरों के नाम भी वारंट निकाल दिया जाता है।

इसके अलावा फैजाबाद जिले के बसखारी थाने में ३ नवम्बर १९५१ को रफीकगंज के लक्ष्मण बनियां के यहां २२ हजार की डकैती हुई लेकिन आजतक उसकी तफतीस नहीं हो सकी है। पुलिस ने रिपोर्ट में कोई मामूली दफा लिख दिया है। ऐसा इस लिये किया गया एक कांग्रेसी उस डकैती में शामिल थे। उनका चरित्र फैजाबाद के जो माननीय सदस्य इस विधान सभा में हैं भली भांति जानते हैं। वह कांग्रेस से अलग कर दिये गये थे क्योंकि एक मर्तबा कांग्रेस की मुखालिफत की थी और अब फिर कांग्रेस में शामिल हो गये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सिकन्दरा राऊ की जहां तक बात है, सोशलिस्ट पार्टी के नेता जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ गलत इत्तला मिली है। अगर आप कहें तो मैं बतला सकता हूं।

सोशलिस्ट पार्टी के नेता जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि वहां पर कोई साहब गिरफ्तार किये गये तो मैंने उनसे कहा कि आप भी खबर करिये और मैं भी खबर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]
करता हूं। मालूम हुआ कि वहां कोई चेयरमैन साहब के खिलाफ वोट आफ नो कांफीडेंस (अविश्वास का प्रस्ताव) आने वाला था। दो दल थे। दोनों में झगड़ा हुआ। लेकिन खासतौर से इस वजह से कि वोट आफ नो कांफीडेंस न आने पाये, पुलिस ने वहां किसी को गिरफ्तार नहीं किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जितना माननीय मंत्री जी ने ले लिया है वह तो मेरे समय में शामिल नहीं होगा ?

मैं नहीं जानता माननीय गृह मंत्री को यह इत्तिला कहां से मिली है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गृह मंत्री जी चलें तो मैं साबित करूंगा कि एक साहब गिरफ्तार किये जाते हैं और एस० डी० ओ० के सामने ले जाये जाते हैं और एस० डी० ओ० उनको ग्यारह बजे छोड़ते हैं और दो आदमी जो थे उनको फंसाने के लिये फर्जी मार-पीट करवा दी गयी और वह गिरफ्तार किये गये इसलिये कि वे नो कांफीडेंस मोशन में भाग लेने के लिये न आ सकें।

अगर आपको पुलिस का कारनामा देखना है तो गोरखपुर के गोलीकांड की गूंज आपने सुनी होगी। मेरे पास ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। लेकिन समयाभाव के कारण नहीं रख सकता।

बांदा जिले के तिदवा थाने में कोई थानेदार साहब हैं उन्होंने तो वहां गदर ही मचा रखा है। वहां पर कई मरतबा कोशिश की गयी कि उनको हटाया जाय, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बांदा ऐसा जिला है जहां पर इस किस्म के बहुत जरायम होते हैं, जरायम को खतम करने के बजाय कहीं वह हरिजनों की बस्ती में घुस गये और यह झूठा अपराध लगाकर कि तुमने यह जुर्म किया है चार सौ, पांच सौ रुपया दो, नहीं तो बन्द कर दूंगा, मनमाना धन वसूल कर लेते हैं।

अभी प्रतापगढ़ में हमारे सोशलिस्ट पार्टी के प्रधान नेता श्री चन्द्रिका सिंह को पुलिस वालों ने एक फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया। किसी गांव में कोई झगड़ा था। वे वहां जांच करने गये थे। उनको गिरफ्तार करके जिला हेडक्वार्टर में छोड़ दिया गया। गोंडा की कोतवाली के बारे में अभी हमारे पास एक प्रार्थना-पत्र आया है कि वहां की पुलिस व्यभिचार के अड्डों की परवरिश कर रही है और इस तरह की कितनी ही शिकायतें मेरे पास मौजूद हैं।

अन्त में मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पुलिस की हालत आज ऐसी है कि अगर इस बिगड़ती हुई हालत को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिये अच्छा होगा कि सुधार के लिये माननीय गृह मंत्री लखनऊ डिवीजन को लें और उचित प्रबंध और सरप्राइज विजिट आदि से पुलिस की हालत सुधारने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो। एक डिवीजन को आदर्श बनाने पर दूसरे डिवीजन भी इससे सबक लेंगे। तीसरे अगर जांच पड़ताल खुफिया पुलिस के द्वारा ज्यादातर करवायी जाय तो ज्यादा अच्छा हो। वैसे विभागीय अधिकारी ही उसकी जांच करते हैं, जिनके विभाग का वह केस होता है, जिसका नतीजा कुछ नहीं होता है और मामले दबा दिये जाते हैं।

इंगलैंड की बात कही गयी। इंगलैंड में पुलिस का खर्चा पूरे बजट का १८ प्रतिशत है और हमारे यहां १२ और १४ प्रतिशत है और शिक्षा पर इंगलैंड में २८ प्रतिशत खर्च किया जाता है क्योंकि इंग्लैंड में पुलिस का कन्ट्रोल वहां की लोकल वाडीज को बहुत कुछ दे दिया गया है। और बातें दुबारा मौका मिलने पर कहूंगा।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी पक्ष की ओर से बजाय इसके कि कोई सुझाव पेश किये जायं जिससे पुलिस का

सुधार कर सकें, सिर्फ शिकायतें की गयीं। साथ ही साथ ऐसी बातें कही गयीं जिनमें विरोधाभास है जहां तक पुलिस विभाग के खर्च की बात है यदि मैं आप को बताऊं तो साफ-साफ जाहिर हो जायगा कि हमारी पुलिस का खर्चा १९४० से लेकर आज तक बराबर कम ही होता रहा है। सन् १९४६-४७ में १४·३ था। १९४७-४८ में १६·७ था। सन् १९४८-४९ में १५·७ रहा, सन् १९४९-५० में १४·२ रहा, सन् १९५०-५१ में १४·२ रहा, सन् १९५१-५२ में ११·९ रहा, और इस वर्ष जहां तक मैं ने बजट को देखा है वह १०·७ के करीब आता है। इस तौर पर अगर हम देखें और बढ़ती हुई अपने राज्य की आबादी को देखें, तो हम यह कहेंगे कि हमारे प्रांत के पुलिस बजट में एक सब्स-टेंशल (तात्विक) रकम बढ़ायी जानी चाहिये क्योंकि आज हम देखते हैं कि दो दो सौ गांव एक एक थाने में लगे हुये हैं और उनमें १० या १५ कांस्टेबिल रहते हैं अगर एक कांस्टेबिल को जांच के लिये जाने की जरूरत हो या चौकसी करने के लिये जाने की जरूरत हो, तो उसके पास चाहे जितने गांव रख दिये जायं तब भी एसेंशल (आवश्यक) है कि चाहे दस गांवों में ही उसको जाना हो, उसके लिये यह नामुमकिन है कि वह इस गांव में ठीक तरह से चौकसी कर सके। इस लिये हमारे प्रांत के लिए यह सब से बड़ी आवश्यकता है कि पुलिस का बजट बढ़ाया जाय।

यह शिकायतें की जाती हैं कि बदअमनी की वारदातें बढ़ रही हैं, चोरियां और डकैतियां बढ़ रही हैं, लेकिन हर शख्स यह भी कहता है कि पुलिस का बजट कम हो जाय। इंगलैंड से हमारे देश की बराबरी की जाती है। आप इंगलैंड के पुलिस बजट से हमारे राज्य के पुलिस बजट से और इंगलैंड के पुलिस फोर्स से और हमारे राज्य के पुलिस फोर्स से बराबरी करें, तो साफ साफ मालूम हो जायगा कि इंगलैंड का पुलिस फोर्स करीब ६७ हजार है और हमारे राज्य का पुलिस फोर्स करीब ५५ हजार है। इस तरह से अगर हम देखें तो उनसे हमारी संख्या बहुत कम है। आज हम एक ट्रांजीशन पीरयड (संक्रमणकाल) से गुजर रहे हैं। जब कभी किसी देश में रेवेल्यूशन (क्रांति) हुआ है, तो इसमें शक नहीं है कि जरायम बढ़ गये हैं, और वही हालत इस वक्त यहां है। यहां जमींदारों का एक बहुत बड़ा फोर्स था, जिन की एक बड़ी शक्ति देहात में थी। उनकी जमींदारियों पर सरकार ने कब्जा किया है। यह बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है लेकिन यह आशंका है कि उनकी शक्ति देहात में न रहने से कहीं झगड़े पैदा न हो जायं। इसलिये उनके असंतोष के कारण जो झगड़े पैदा होने की संभावना है, उस को रोकने के लिये पुलिस फोर्स का बढ़ाना आवश्यक है। मैं फिर यह कहूंगा कि हमारे सूबे में पुलिस के खर्चे में जरूर वृद्धि होनी चाहिये अगर हम यह चाहते हैं कि आये दिन के जो झगड़े हैं, डकैतियों हैं और जो जुर्म बढ़ रहे हैं उनमें कमी हो जाय।

इसके साथ-साथ पुलिस में कुछ छोटे मुलाजिम हैं जिन से चौकसी का बहुत बड़ा काम हमें मिला करता है और वे हैं हमारे गांवों में फैले हुये चौकीदार हैं जिनका क्षेत्र इतना है कि अगर वे सही तौर पर अपना काम करें तो शायद वे बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारे राज्य की पुलिस के हैं, लेकिन अगर हम उनकी तनख्वाह पर विचार करें तो वे जितनी तनख्वाह पाते हैं वह नगण्य है। तीन रुपया कुछ आना उनको तनख्वाह मिलती है जबकि १५ रोज में एक बार उनको पुलिस थाने पर आना पड़ता है, और अगर कोई मामला हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिये पुलिस थाने पर आना पड़ता है। आप सोचें कि इन चौकीदारों की तनख्वाह कितनी कम है। अभी हाल में जो पुलिस रिआर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पब्लिश (प्रकाशित) हुई है उसमें यह कहा गया है कि इन चौकीदारों को विलेज कांस्टेबिल फोर्स की तरह बना दिया जाय और इनका वेतन कम से कम १५ रुपये कर दिया जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन अभागे चौकीदारों का वेतन, जिन की संख्या थोड़ी नहीं है और जिनसे बहुत बड़ा काम लिया जाता है, किसी तरह से बढ़ा दिया जाय ताकि

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

उनके वेतन में कमी के कारण जो जरायम बढ़ रहे हैं उनमें कमी हो जाय और इनकी दशा भी ठीक हो जाय ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजी शासन से जो हमें सबसे बड़े महत्व की चीज संघटन के रूप में मिली वह पुलिस है, जिसका शासन में बड़ा महत्व था, हर एक काम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इस पुलिस के जरिये से बराबर होता आया है। आज जो हमारी यह सरकार स्थापित है उसने भी पुलिस को बड़ा भारी महत्व दिया है और बहुत से जिम्मेदारी के काम उसके सुपुर्द करे हैं । मैं चाहता हूं कि पुलिस के कम से कम चार विभाग कर दिये जाय जिसमें आज जो सबसे बड़ा कार्य रक्षा और व्यवस्था का कार्य उसके सुपुर्द है वह तो रहना ही चाहिये लेकिन जहां तक न्याय का सबंध है, जैसे प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर्स वगैरह, उनका स्थान दूसरे अलग विभागों के सुपुर्द होना चाहिये । छोटी छोटी जांच और रिपोर्टों के बारे मे भी मैं यह चाहता हूं कि उनकी रिपोर्ट गांव पंचायत में लिखी जाया करे या अगर पुलिस में ही लिखी जाय तो उसकी जांच जो पंचायती अदालतें बनी है वे करें। इन दो में से एक काम जरूर होना चाहिये ताकि पुलिस का कार्य कुछ हलका हो और जनतंत्र के दूसरे भाग अपनी जिम्मेदारी अनुभव करें । जहां तक इस बजट का ताल्लुक है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो पुलिस का बजट रखा गया है वह काफी बड़ा है। ७,११,४१,००० रुपये का बजट है यानी कुल आय का आठवां हिस्सा पुलिस पर खर्च होता है। वैसे तो मेरा कटौती का प्रस्ताव है लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि विभाग ऐसा है कि जिसमें अगर रुपया ज्यादा खर्च हो और निम्नवर्ग की तनख्वाहें अगर बढ़ाई जायं तो ज्यादा लाभकारी और संतोषजनक हो सकता है।

सन् १८६० में जब मलिका विक्टोरिया की सरकार की ओर से एक कमीशन मुकर्रर हुआ था तो उसने अपनी यह रिपोर्ट दी थी कि एक कांस्टेबिल की तनख्वाह कम से कम इतनी होनी चाहिये कि जितनी एक साधारण मजदूर की होती है। आज साधारण मजदूर की तनख्वाह करीब करीब ८० रुपये औसत पड़ जाती है चाहे वह रोजाना मजदूरी की शक्ल में हो चाहे तनख्वाह की शक्ल में हो। मेरा भी सुझाव है कि इनकी तनख्वाहें अवश्य बढ़ायी जाय क्योंकि इनको आज केवल ३५ रुपये मिलते हैं, इससे भी घूसखोरी कम हो सकती है। घूसखोरी के बढ़ने के दो तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो कांस्टेबिल आपके हैं वे अधिकतर अशिक्षित हैं। अगर पढ़े लिखे आदमी रखे जायं तो उनका स्तर ऊंचा हो सकता है जिससे घूसखोरी में भी कुछ कमी होगी। दूसरा कारण यह है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं और उनके मकान इतने छोटे हैं कि एक एक मकान में १५-१५, २०-२० कांस्टेबुल रहते हैं। इसके अलावा आप उनसे काम चौबीसों घंटे लेते हैं, वे घर से दूर रहते हैं और छुट्टी बहुत कम मिलती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें तो आप सोचते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैंने अभी लगभग ३०० मील की पैदल यात्रा अपने क्षेत्र की देहात में कि वहां अधिकतर शिकायतें घूसखोरी के बारे में लोगों से मिलीं। आज पुलिस के छोटे अधिकारियों को तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं। अगर थोड़ी सी तनख्वाहें इनकी और बढ़ायी जायं, रहने सहने की सुविधा दी जाय और काम भी कुछ कम दिया जाय और जितना काम दिया जाय उसकी जिम्मेदारी पूरी हो तो काम ठीक तरह से चल सकता है।

अभी एक साहब ने कहा कि संघटन ढीला हो रहा है, यह ठीक है कि नीचे का संघटन तथा अनुशासन ढीला हो रहा है। यह तरीका बहुत ही गलत है कि अगर किसी थानेदार या अन्य अधिकारी के खिलाफ शिकायत की जाती है तो वह शिकायत उसी के पास फिर जांच को पहुंच जाती है। इस वजह से लोग शिकायत करते भी डरते

हैं और कभी कभी तो शिकायतें वापस भी ले लेते हैं और सुधार के स्थान पर और उलटा बिगाड़ हो रहा है ।

सी० आई० डी० पुलिस का जहां तक ताल्लुक है उसके तीन विभाग हैं। एक तो सी० आई० डी० का अपराध निरोधक विभाग होता है, दूसरी प्रांविशल सी० आई० डी० और तीसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सी० आई० डी० होती है। मेरा सुझाव यह है कि जो सेंटर की सी० आई० डी० है उसको कम किया जाय और सारी सी० आई० डी० एक अलग विभाग के रूप में हमारे होम मिनिस्टर के मातहत रहे। अगर ऐसा हो तो ज्यादा अच्छाई से काम हो सकता है।

प्रांतीय रक्षा दल, जब हिन्दोस्तान पाकिस्तान बंटे थे उसके बाद उसका संघटन आरम्भ हुआ था। जब हमारे देश में उपद्रव शुरू हुये थे उस समय उसने काफी अच्छा काम किया, काफी लोगों को ट्रेनिंग मिली और रचनात्मक तथा निर्माण संबंधी कार्य कर समाज का स्तर ऊंचा उठाया। आज इस दल को लोक सेना का रूप देना चाहिये और हर गांव में गवर्नमेंट यह कोशिश करे कि ग्राम रक्षक दल कायम करे और पंचायतों को इसका प्रोत्साहन दिया जाय तो ठीक तरह से काम आगे बढ़ सकता है।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं लायसेंस के ऊपर। इस वक्त लायसेंस के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है। आजकल देहातों में बिना लायसेंसों के बन्दूकें फैली हुई हैं। मुझे ऐसा अंदाजा है कि अकेले हाथरस चुनाव क्षेत्र में बिना लायसेंस के कम से कम एक हजार बन्दूकें हैं। मैंने इसके बारे में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा जिला मैजिस्ट्रेट से भी कहा है। अगर पूरे तौर से जांच की जाय तो उन्हें हासिल किया जा सकता है। पुलिस निरीक्षण में जरा सख्ती की जरूरत है। पुलिस का संघटन अवश्य अच्छा बन सकता है। शिक्षित लोगों को ही इसमें प्राथमिकता दी जाय तो ज्यादा कामयाबी हो सकती है। उक्त सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं पुलिस के अनुदान पर कुछ निवेदन करूं मैं माननीय मंत्री जी और सदस्यों के फायदे के लिये यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि पुलिस के बजट में कमी की जाय। परन्तु इसके साथ मैं इतना और निवेदन करूंगा कि जब टैक्स पेयर (कर दाता) रुपया देने को तैयार है तो उसको यह भी अधिकार है कि वह सरकार से मांग करे और उनके प्रतिनिधि आपके द्वारा मांग करें कि जितना रुपया वह देता है उसका पूरा-पूरा फायदा उसे मिलना चाहिये।

श्रीमन्, जैसा कि इधर के लोग कहते हैं कि पुलिस का बजट अधिक है, वैसे ही उधर से भी लोग यहां की पुलिस पर और विलायत की पुलिस के खर्चे का कम्पैरिजन (तुलना) किया करते हैं। हम आशा करते हैं कि जो माननीय सदस्यगण वहां तशरीफ ले जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां की पुलिस कैसा काम करती है। किस तरह से वह जनता की सेवा करती है। वहां की पुलिस जनता की सेवक है, रक्षक है, भक्षक नहीं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का एक किताब की ओर ध्यान दिलाऊंगा। उसका नाम है 'ब्रिटिश पुलिस एंड डेमोक्रेटिक आइडियल' बाई चार्ल्स रीथ। इसमें बतलाया गया है कि वहां की पुलिस किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, और उसके क्या कार्य हैं। ऐसे तो उन सिद्धांतों की बहुत लम्बी-चौड़ी सूची है। इसलिये समय के अभाव से मैं केवल दो तीन सिद्धांतों को ही माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी के सामने आपके द्वारा उपस्थित करूंगा ।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

वहां की पुलिस का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि वहां हर एक यह जानता है और मानता है कि पुलिस की ताकत डंडों में, लाठियों में, पिस्तौल और बन्दूकों में नहीं है बल्कि पुलिस की ताकत जनता के दिल में उसकी इज्जत और जनता का सहयोग है। इसके साथ ही साथ हर एक पुलिस का व्यक्ति और हर एक आफिसर यह जानता है और यह मानता है और इसी सिद्धांत पर वह चलता है कि पुलिस की एफीशियेन्सी (कार्यक्षमता) की कसौटी यह नहीं है कि क्राइम्स किस तरह से दबाये जायं बल्कि असली कसौटी यह है कि क्राइम्स (अपराध) समाज में हों ही न। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस आइडियल (आदर्श) को हमारी पुलिस हरगिज नहीं पहुंच सकती है जब तक कि उसको जनता का सहयोग उसके काम में प्राप्त नहीं होगा। श्रीमन् कहा जाता है कि हमारा समाज भ्रष्ट है, कहा जाता है कि हमारे घर से ही पुलिस के लोग निकलते हैं और हमारे भाई बंधु हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारा समाज भ्रष्ट है, लेकिन देखना यह चाहिये कि पुलिस को समाज का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं है।

श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारा समाज इतना भ्रष्ट है कि किसी गांव में कत्ल हो और पुलिस वहां इन्क्वायरी (जांच) करने जाय तो समाज के लोग उस कत्ल को छिपाने लगेंगे ? हरगिज नहीं। छिपाना इसलिए चाहते हैं कि पुलिस जब इन्क्वायरी करने जाती है तो उसे सफेदपोशों और जो खाते पीते लोग हैं उनको दबाने और उनसे रुपया ऐंठने का अच्छा मौका मिलता है। हर एक आदमी यह समझता है कि इस मामले में चुप रहो तो अच्छा है। मैं भी इंस्टेन्सेज (उदाहरण) दे सकता हूं लेकिन मैं यह फील (अनुभव) करता हूं कि यह पार्लियामेंटरी ट्रेडीशंस (संसदीय परिपाटी) के खिलाफ बात होगी और यह कायरता होगी क्योंकि वह पुलिस आफिसर यहां पर जवाब नहीं दे सकता। मैं आशा करता हूं कि पुलिस मंत्री अपने पास मुझे आने देंगे और उन केसेज को तब मैं उनके सामने रखूंगा और उनसे यह कहूंगा कि मेरी कांस्टीटुएंसी दूर नहीं है, गांव के अन्दर घूमने से मुझे विश्वास है कि मंत्री जी को रोमांच हो जायगा। उनका हृदय पत्थर का नहीं, उनका दिल भी मांस और पिंड का लोथड़ा है। वह जान जायेंगे कि जब एक कांस्टीट्युएंसी में ऐसा हो सकता है तो और जगह भी इससे मिलती-जुलती बातें होंगी। मुझे दुख है, समय का अभाव है वर्ना माननीय मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देता।

सारा समय आलोचनाओं में ही व्यतीत हो गया। लेकिन एक सुझाव यह रखूंगा कि हमारे यहां अगर पुलिस आफिसर के खिलाफ कोई बात हुई और सच निकली तो उसको सजा में तबादला कर दिया जाता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि तबादला कोई सजा नहीं है। वह तो एक जिले से दूसरे जिले में चला गया या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो "ही कैन फाइंड फ्रेश फील्ड्स ऐंड पास्चर्स न्यू" (उसको और नये-नये शिकार मिल सकते हैं)।

दूसरी चीज जो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा वह यह है कि पुलिस आफिसर्स के तबादले में एम० एल० एज० लोगों का हस्तक्षेप होता है। इसे आपको न मानना चाहिये। जहां कहीं तबादला हुआ उसे रोकने के लिये मोटरें बाराबंकी से लखनऊ और सीतापुर से लखनऊ दौड़ने लगीं। हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि हम तबादला रोकें, बल्कि होना यह चाहिए कि अगर ठीक शिकायतें हैं तो तबादला करा दें। समय का अभाव है। वर्ना बहुत सी और बातें कहता। माननीय पुलिस मंत्री स्वयं बहुत सी बातों को जानते हैं और सुझाव तो इस समय नहीं रख सकता लेकिन अगर मौका मिला तो स्वयं उपस्थित हो कर सुझाव रखूंगा।

श्री विष्णु शरण दुब्लिश (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे सूबे की पुलिस का सवाल है पिछले ५-६ साल में ला ऐंड आर्डर को सुधारने में उन्होंने जितना काम किया है वह सराहनीय है। आप इस बात को सोचिये, जिस वक्त भारत की बागडोर अपने हाथ में आई उस वक्त देश की पुलिस की क्या हालत थी। जितने अंग्रेज आफिसर्स थे वे यहां से चले गये थे, उसके बाद कितने ही मुस्लिम आफिसर्स यहां से पाकिस्तान चले गये। बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर-जनरल ने जिनको मैं बगैर बधाई दिये नहीं रह सकता,

इस विभाग को रिआर्गेनाइज करके सम्भाला। कैसी मुश्किल हालत ४७-४८ में पैदा हो गई थी, उसका मुकाबिला किया। ला एंड आर्डर (शांति और व्यवस्था) को कंट्रोल करने में वह सफलीभूत रहे। इससे कोई आदमी इंकार नहीं कर सकता कि सेक्यूरिटी (सुरक्षा) की हालत भी हमारे प्रांतमें पहले से ज्यादा खराब नहीं है। हां, एक बात जरूर है, जो मंत्री जी से भी छिपी नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि उसको दूर करने में मंत्री जी की भी वही इच्छा है, पुलिस के डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों की भी वही इच्छा है और सबकी वही इच्छा है कि नीचे के रैंक (दर्जों) में करप्शन न रहे। लेकिन पुलिस के नीचे रैंक्स में अभी तक करप्शन मौजूद है। जहां तक ऊपर के रैंक्स का संबंध है और जहां तक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तक के ओहदों के आदमियों का तालुक है उनमें से शायद कोई दो चार भले ही ऐसे हों बाकी वह लोग आमतौर पर आनेस्ट (ईमानदार) और इन्टग्रिटी (ईमानदारी) के लोग हैं और वह लोग विभाग की हालत को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। जहां तक उनसे नीचे डी० एस० पी० का संबंध है उन में भी मैं कह सकता हूं कि ७५ फीसदी लोग ईमानदार जरूर हैं। हां, जहां तक नीचे का तबका है सबइंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर वगैरह का और उनसे नीचे के लोगों का उनमें अभी तक ५० फीसदी से ज्यादा करप्शन है। जितने पुराने अच्छे सबइंस्पेक्टर वगैरा थे वह तो तरक्की करके ऊपर के ओहदों पर चले गये जिनका बदकिस्मती से खराब रिकार्ड था वही कुछ रह गये हैं बाकी ज्यादातर ४०—५० फीसदी की तादाद नये आदमियों की है जो कालेज के लड़कों में से नये भर्ती हो कर आये हैं। इस तरह से अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो विभाग का काम आसानी से चल नहीं सकता है।

मेरे जिले में मुख्तलिफ सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस आये डी और हर एक से मेरी करप्शन को दूर करने के बारे में बात चीत भी हुई। असिल में एक ट्रेडेशन (परिपाटी) सी चली आती है जिस पर पुलिस के मुहकमे का काम चलता है। उनकी राय थी कि आज के हालात में हमें पहिली प्रायरिटी (प्राथमिकता) प्रिवैन्शन आफ क्राइम्स (अपराध-निरोध) को देन चाहिये और दूसरी इनवेस्टीगेशन (अनुसंधान) को और तीसरी और आखिरी प्रायरिटी करप्शन को देना चाहिये और जो ढर्रा डिपार्टमेंट का चला आता है उसी पर वह भी सोच सकते थे। एक दूसरे सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस आये उन्होंने करप्शन को दूर करने की कोशिश की। एक आध सबइंस्पेक्टर को बरखास्त कराया और जरा सख्ती की लेकिन इस तमाम का नतीजा यह हुआ कि काम नहीं चला और वहां के स्टाफ के लोगों ने ईमानदारी के साथ इनवेस्टीगेशन करना बन्द कर दिया और डकैतियां बढ़ गईं। रिश्वत तो जरूर घट गयी लेकिन जुर्म बढ़ गये और इनवेस्टीगेशन होना ही मुश्किल हो गया। इसके अलावा अपना कांस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक होने के कारण दूसरे तरीके हम एडाप्ट (ग्रहण) भी नहीं कर सकते। इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि हमारे, जो ऊपर के अफसर हैं वह डिपार्टमेंट के ट्रेडीशंस को बदलें और हम लोग पब्लिक में अपने हक और जिम्मेदारी को पहचानने की शिक्षा दें।

हमारे यहां एक क्राइम प्रिवैन्शन (अपराध निरोधक) का सिस्टम निकला है और वह यह है कि हर गाँव में डिफेंस कमेटियां (रक्षा समितियां) बनाई जा रही हैं जो काफी कामयाब साबित हो रही हैं। एक तरीका यह भी है कि वहां वक्तन फवतन पुलिस अफसरों को बुलाते हैं और चूंकि सिवा कांग्रेस के और कोई पार्टी नहीं है इसलिये उन में से भी लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। इस से भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन यह भ्रष्टाचार रोकने का कार्य इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ही सरकार का वह विभाग है जिसका प्रत्येक व्यक्ति, जिस समय भी और जहां पर भी हो, सरकार का प्रतीक होता है। बिना जाने पहचाने और बिना जानबूझ किये कोई भी मनुष्य यदि किसी आपत्ति के समय अपनी रक्षा की आशा करता है तो वह पुलिस के आदमी के द्वारा ही करता है, वह चाहे एक साधारण चौकीदार हो और चाहे इन्सपेक्टर जनरल पुलिस हो। तो जब वह सरकार

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

का एक ऐसा आवश्यक अंग है तो इसके बारे में जरूर गम्भीरतापूर्वक विचार करना ही आवश्यक है। आज हमारे प्रदेश में जो पुलिस की दशा है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किये और जो बातें वास्तविकता पर आधारित हैं उन्हें भी उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि हकीकतों से आज इंकारन हीं किया जा सकता। लेकिन, इतना ही तो पर्याप्त नहीं है, हमें तो उपाय भी करने हैं, केवल यह कहना कि यदि समाज दूषित है तो शासन भी दूषित ही होगा और यदि समाज अच्छा है तो शासन भी अच्छा होगा, मैं कदापि पर्याप्त नहीं मानता। किसी भी एक जिले से सारे प्रदेश की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिये मैं. रामपुर का उदाहरण देता हूं। रामपुर जो पहले रियासत थी अब उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वहां की जनता को यह देखने का अवसर मिला कि प्रदेशीय शासन में जाने के बाद जो वहां की पुलिस है उसके अन्दर पहले से क्या बेहतरी आयी। मैं मंत्री जी से खेद के साथ विनम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज रामपुर की साधारण जनता इस बात को कहती है कि जो पहले प्रबंध था उसमें किसी तरह की बेहतरी नहीं आई है। घर घर में शराब टूटती है, बाजारों में जुआ होता है और देहात के अन्दर पुलिस के छोटे कर्मचारी खुला भ्रष्टाचार करते हैं। जनता इसके बढ़ने से कराह रही है। परसों ही मेरे क्षेत्र से मेरे पास एक पत्र आया है जिसमें मुझे ललकारा गया है कि यहां बैठ कर २०० रूपया महीना और १० रुपया रोज लेकर ही हमारा फर्ज पूरा नहीं हो जाता है। हमारी इलैक्टोरेट (निर्वाचक गण) हमसे कुछ और भी आशा करती हैं। यह उस क्षेत्र की बात है जहां आदर्श थाना है और पिछली बार बजट की साधारण बहस के अवसर पर भी वहां का जिक्र किया था। एक औरत को उसका भाई उसके पति के यहां भेजना नहीं चाहता था। पति उसे वहां से ले आया, थानेदार साहब ने उस तक पहुंच की और उससे ३०० रूपये ठहराये। उसका मैजिस्ट्रेट के यहां बयान कराया कि वह पति के साथ जाना चाहती है लेकिन रुपया आने तक वह किसी जमानती के पास रखी गई। रुपया नहीं आया और तीन दिन से वह एक दूसरे आदमी की जमानत में है। जो उसका पति है उसे डरा दिया गया है कि अगर कोई आवाज निकाली तो पुलिस वाले तुम्हें ठीक कर देंगे। एक या दो नहीं, बहुत सी मिसालें हैं। मैंने उस दिन जिक्र किया था शहर में कोतवाली के पीछे ही चोरी होने का, जिसकी कि ३ दिन तक कोई तफ़-तीश भी नहीं की गई। शहर के अन्दर शराब बनती हुई लगभग ४० ड्रम सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने एक स्थान से खुद पकड़े और बहुत सा सामान भी पकड़ा लेकिन उसके बाद भी उसी जगह शराब टूटती रही। यह पुलिस के करप्शन (भ्रष्टाचार) का दूसरा सबूत है। इन सब बातों का कुछ हल भी होना चाहिये।

मैं अपनी बुद्धि के अनुसार माननीय मंत्री को सुझाव देनाच ाहता हूं कि हर जिले में आपके कुछ न कुछ तपे हुये आदमी हैं उन पर आपको विश्वास करना चाहिये। शासन तथा पुलिस के रोजमर्रा के कामों में किसी का भी हस्तक्षेप कदापि नहीं होना चाहिये और साथ ही इस बात को भी देखना चाहिये कि बहुत से पुलिस वाले अपना उल्लू सीधा करने के लिये राजनीतिक संस्थाओं तथा दलबन्दियों की आड़ भी लिया करते हैं। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार एक कार्य करके यदि एक दल की खुशामद करते हैं तो उसी के विरुद्ध दूसरा कार्य दूसरे दल से भयभीत हो कर करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि वह अपना कर्त्तव्य ईमानदारी के साथ स्वतंत्रतापूर्वक करें।

इस प्रस्तुत बजट में यह भी जिक्र है कि मर्ज्ड (विलीन) रियासतों में पहले से पुलिस की संख्या टेहरी, बनारस और रामपुर में, कम कर दी गयी है और उससे और अधिक कम नहीं की जा सकती क्यों कि काम नहीं चलता, लेकिन रामपुर में मैं देखता हूं कि इस कमी करने का प्रभाव उल्टा ही पड़ रहा है। पुलिस रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भी रामपुर में पुलिस की संख्या नहीं रखी गई है और इसी कमी की बात बताकर वहां के पुलिस अधिकारी अपने काम में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। अतः कृपया माननीय गृह मंत्री जी शीघ्र ही इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के मुताल्लिक जब कि हमारे पुलिस मंत्री जी ने ही यह मान लिया कि पुलिस के बीच भ्रष्टाचार मौजूद है, कमजोरी है तो बार-बार अलग-अलग उदाहरण देकर उसी बात को दुहराना उचित नहीं है । हमें सोचना यह है कि सरकार इस पुलिस डिपार्टमेंट को दुरुस्त करने में कहां तक सफल हुई है । जहां तक इस बात का ताल्लुक है यह जाहिर है कि अभी तक कोई खास सुधार बावजूद कोशिशों के, इसमें नहीं हुआ है । लेकिन चूंकि अब यह डिपार्टमेंट एक वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और निपुण व्यक्ति के हाथ में आ गया है तो हमें यह आशा होनी चाहिये कि पार्टी बाजी और दल-गत राजनीतिके विचारों से ऊपर उठ कर पुलिस का कार्य होगा और जनता को जो पुलिस से परेशानी है वह दूर करने का प्रयत्न किया जायगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भ्रष्टाचार के बारे में माननीय पुलिस मंत्री ने कहा कि यह एक सोशल प्राब्लम (सामाजिक समस्या) हो गई है इसलिये कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इसके दूर करने के लिये सब पार्टियों का सहयोग अनिवार्य है । मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि दुर्भाग्य से हम लोग विरोधी बेंचों पर बैठे हुये हैं । विरोधी पक्ष में होने के फलस्वरूप हम लोग मुजरिमों से अलग करार नहीं दिये जाते । तो मैं आशा करता हूं कि यदि हम सहयोग दें तब भी लिया नहीं जायेगा । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि दलगत भावना से पुलिस का कोई काम नहीं होना चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विलीन की हुई रियासतों के विषय में रामपुर के माननीय सदस्य ने कुछ कहा । कम से कम इस विभाग के मुताल्लिक सरकार ने एक निश्चित नीति को धारण की और सरकार इस नतीजे पर आयी कि जितनी पुलिस इन विलीन हुई रियासतों में रखी गयी है वह वहां के लिये आवश्यक है । टेहरी के बारे में मैं अच्छी तरह से माननीय पुलिस मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि वहां पर जो संख्या मौजूद है उसका ग़लत अन्दाजा लगाया गया है । मेरा सुझाव है कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रखने की जरूरत नहीं है । इसके लिये कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं ।

हमारे यहां किसी किस्म के दंगे होने की कोई आशंका नहीं है । खयाल किया जाता है कि तिब्बत के जिले के बार्डर (सीमा) पर होने से वहां कम्युनिस्टों का खतरा है । यह ठीक है कि तिब्बत के बार्डर पर सरकार ने पुलिस चौकी खोल दी । वहां पुलिस वाले रहें इससे मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन इस सिलसिले में मैं बतला देना चाहता हूं कि जब तक वहां कम्युनिकेशंस (यातायात) का अच्छी तरह से इन्तजामन हो तब तक पुलिस चौकियां किसी काम की साबित नहीं होंगी । अगर वहां किसी किस्म की कभी गड़बड़ी हुई तो पुलिस वालों की तो हड्डी भी वहां नहीं मिलेगी जब तक कि सरकार के पास खबर पहुंचती है । इसलिये इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खयाल से भी वहां पर रोड़ कंस्ट्रक्शन (सड़क निर्माण) वगैरह का इन्तजाम होना अत्यन्त आवश्यक है ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज कर दूं कि टिहरी में लोग छोटे छोटे झगड़ों को अपने घरों पर ही पंचायत के द्वारा तय कर लेते हैं । जो छोटी छोटी चोरियां होती हैं वह भी काबिल समाअत पंचायती अदालत हैं । मेरे खयाल में पुलिस मंत्री जी अगर वहां के रेकार्ड मंगा कर देखने की कोशिश करें तो उनको मालूम हो जायगा कि वहां अपराधों की संख्या बहुत ही कम है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में अन्य पहाड़ी प्रदेशों के मुताबिक अगर हमारे जिले में भी पुलिस पावर पटवारियों को दी जाय तो पुलिस की बहुत कम आवश्यकता रह जायगी । वक्तन फ़वक्तन देहरादून से टेलीफोन कर के आर्म्ड फोर्स (हथियार बंद पुलिस) जरूरत के वक्त मंगाई जा सकती है । आज पुलिस वालों के वहां इस तादाद में मौजूद रहने से वहां की जनता के दिल में अविश्वास का भाव उत्पन्न हो गया है । चुनाव के बाद जो टिहरी में पुलिस का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में मैंमाननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे एक इनक्वायरी कमेटी बिठावें जिसमें मंत्री जी के सामने खुलासा सारी बातें आ जायं ।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं अपने मंत्री जी का ध्यान इस पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सन् १९४२ के बाद इस देश का शासन हमारे देश वासियों के हाथ में आया। लेकिन देश में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखता हूं कि नीचे से ऊपर तक जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वे अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि अब तो अपना राज्य है। आये दिन सुनाई पड़ता है कि पुलिस में रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि उसका कारण यह है कि आज पुलिस की तनख्वाह बहुत ही कम है। उसकी तनख्वाह ३० रुपये है जिसमें उसे २४ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। उसे महज लाठी लेकर निकलना पड़ता है। जब कि चोर डाकू उसे छूरे मार सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस ओर विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिये कि कम से कम अपनी पुलिस को ऐसे अस्त्र-शस्त्र दें जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। इस बात की बहुत शिकायत की जाती है कि पुलिस करप्ट [भ्रष्ट] है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम भी हैं। मैं पुलिस मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारा मोरेल कैरेक्टर (नैतिक चरित्र) ऊंचा होना चाहिये। पुलिस का अच्छा या बुरा होना शासन पर बहुत ज्यादा मुनहसर करता है। थानेदार की तनख्वाह १२० रु० है, इसी में उसे घोड़ा भी रखना पड़ता है। उसके लिये चना देना पड़ता है। फिर वह चोरी करने के लिये मजबूर हो जाता है।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि जितने यहां पर मेम्बर बैठे हुये हैं वे सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स (जनता के प्रतिनिधि) हैं। जब वे अपने गांवों में जांय तो वहां एक एक सोसायटी काइम करें और पुलिस के मुकाबिले में अपनी वालंटियर कोर्स तैयार करें जो पुलिस को सहयोग दे। इससे पुलिस वालों को भी मदद मिलेगी और हम भी अपने कर्तव्य को कर सकेंगे। कर्तव्य और अधिकार दो चीजें हैं। हर आदमी अपने अधिकार की तरफ देखता है, कर्तव्य की ओर नहीं देखता। अगर हम अपना कर्तव्य करें तो कोई वजह नहीं है कि यह दिक्कतें समाप्त न हो जायं।

मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की तरफ दिलाता हूं। मैं उस जिले में बसता हूं जो नैपाल की तराई की सीमा पर है जहां पर कम्युनिस्टों का अड्डा है। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती हमारे बार्डर के जिले हैं। वहां हमारे पास थानों में सिर्फ बारह-बारह कांस्टेबिल हैं। अगर चाहें तो उनको थोड़े से आदमी लूट ले जायं। तराई के इलाके में बस्ती और देवरिया जिले हैं। जो हम पर बीत रही है वह हम ही जानते हैं। आजकल हम यूंही भूखों मर रहे हैं। हमारे यहां के लोग बजरी पर जिन्दगी बसर कर रहे हैं जहां पर फर्स्ट क्लास गोरिया चावल खाते थे। हमें बजरी खाकर दिन बिताने पड़ते हैं यह बिल्कुल सही है।

दूसरी बात यह है कि हमारी पुलिस में जो सब-इंस्पेक्टर था वह सन् १९४२ के बाद सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस हो गया और जो सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस था वह आई० जी० हो गया। इस गड़बड़ी में छोटे आदमी ऊपर पहुंच गये और बेस्ट (उत्तम) आदमी रह गये। तो यह गड़बड़ी न होनी चाहिये।

हमारी पुलिस पर खर्चा कम है। अगर आप पुलिस को ठीक से खाना, कपड़ा और अपनी जिन्दगी बसर करने के लिये उनको उचित वेतन नहीं देंगे तो वह आपका काम ठीक से कैसे कर सकते हैं? इंग्लैण्ड में पुलिस को यह राइट (अधिकार) है कि चौराहे पर बादशाह की भी मोटर रोक सकती है। लेकिन हमारे यहां अगर किसी मिनिस्टर की मोटर कोई पुलिस वाला रोक दे तो लेने के देने पड़ जायं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---ऐसा नहीं है।

श्री शिव नारायण--आगरे के निवासी पूर्व मंत्री श्री पालीवाल जी ने कांस्टेबिल को एक चांटा मारा था। यह बात गलत नहीं है। पुलिस की धांधली भी हम बता दें। हमारे यहां बस्ती में जामडीह गांव के किनारे किरमता देवी नाम की औरत को ठीक कोतवाली के पीछे गोली उसके पैर में मारी गयी प्रश्न भी पूछा गया, लेकिन उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। पुलिस सो रही है।

श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन और माननीय गृह मंत्री का ध्यान प्रान्तीय रक्षा दल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, प्रान्तीय रक्षा दल पुलिस विभाग में नहीं है। अब वह प्लानिंग डिपार्टमेंट में चला गया है।

उपाध्यक्ष--प्रान्तीय रक्षा दल पर इस वक्त आप नहीं बोल सकते हैं। इस समय आप पुलिस पर ही बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--प्रान्तीय रक्षा दल का नाम इसमें भी है। क्या प्रान्तीय रक्षा दल के दो टुकड़े कर दिये गये हैं?

श्री राम प्रसाद नौटियाल--मुझे प्रान्तीय रक्षा दल के संबंध में ही बोलना है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों को शंका हो गयी है कि इस अनुदान में भी प्रान्तीय रक्षा दल का नाम है। उसका कारण यह है कि वे देखेंगे कि इसमे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चार महीने का बजट जो वोट-आन-एकाउन्ट (लेखानुदान) हुआ था उसमें जो रक़म मंजूर हो गयी थी वही लिखी हुई मिलेगी। बाकी सब रक़म प्लानिंग डिपार्टमेंट में लिखी है

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, समय इतना कम है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कहां से शुरू करूं और कब उसका अन्त होगा। इसलिये संक्षेप मे थोड़ी-थोड़ी बातें कह करके माननीय सदस्यों के ध्यान को आकर्षित कराना चाहूंगा। पुलिस के संबंध में तरह-तरह की बातें कही गयी हैं। कोई ऐसी बात मैं नहीं कह सकता और न मेरे पास कोई ऐसी लुग़त तैयार की गयी है जिसमें से कोई विशेष बात कहकर मैं इस प्रदेश के निवासियों को कुछ लाभ पहुंचा सकूं। पुलिस की निन्दा की गयी है मैं अपनी तरफ़ से निन्दा नहीं करना चाहता। मैं ऐसे जिले से यहां आकर प्रतिनिधित्व करता हूं जो नैपाल के बिलकुल बार्डर (सीमा) पर है। अभी पुलिस मंत्री महोदय न कहा है कि उन्हें आशंका है कि यहां शांतिमय व्यवस्था कायम करने में कुछ अड़चनें पड़ें, वह इसलिये कि नैपाल में अराजकता फैली हुई है। इस बात को मैं कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वहां से कम्युनिस्टों का आक्रमण होने वाला है। यह बात ग़लत है और लग़ो है। मैं नैपाल के बार्डर पर रहता हूं और आज १५,१६,१८ वर्ष से प्रतिनिधित्व करता चला आ रहा हूं। लिहाजा मैं वहां के कम्युनिस्टों के रगो रेशा से वाकिफकार हूं। नैपाल की शासन-व्यवस्था में कुछ कमी है। जो वहां के रहने वाले हैं उनमें और जो वहां के शासन के प्रवर्तक हैं उनमें मेल नहीं है। लिहाजा वहां असन्तोष और अराजकता फैली हुई है। इसके कारण जो दस गज़ा है, जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं, यानी नैपाल और हमारी टेरीटरी (राज्य क्षेत्र) के बीच में जो भूमि है, उस पर वहां के और हमारे यहां के निवासी आते जाते रहते हैं। नैपाल की तराई की प्रतिक्रिया हमारी ओर भी हो सकती है। नहीं मालूम कितने छोटे मोटे नैपाल राज के किसान अपना घर बार छोड़ कर उस बार्डर के समीपस्थ क्षेत्रमें

[श्री रामकुमार शास्त्री]

पहुंचते हैं। यह भी सुनते हैं कि नैपाल राज्य में काफी लोग मार डाले गये, कत्ल कर दिये गये और इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि किस प्रकार की उन्होंने ज्यादती की है। ऐसी परिस्थिति में जब इस प्रकार की आरजकता वहां फैली है, संभव है कि हमारे बार्डर पर वही संक्रामक रोग फैले। जो पुलिस की शक्ति वहां पर रखी गयी है वह जरूरत से बहुत कम है। मैं यहां पर तारीफ करूंगा अपने बस्ती ज़िले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेंन्ट की जिनका नाम राणा हरनाम सिंह है और जो हाल ही में मुज़फ्फरनगर से आये हैं। हो सकता है कि हमारे यहां सब-इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबिल्स की कम व वेश वही शिकायत हो जो और जिलों में है, लेकिन हमारे यहां जो खूबियां हैं उनको मैं जरूर इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। अभी अभी एक रिपोर्ट इस सदन के सामने बांटी गयी है। उसमें दिया हुआ है कि मानपुर गांव में किस तरह से श्री लाखन सिंह का राम मुहम्मद सिंह ने जो अपने को फारवर्ड ब्लाक का अनुयायी शायद कहता था मर्डर किया कत्ल कर दिया।

बड़ी खूबी के साथ राणा हरनाम सिंह ने जो विषमता वहां फैली हुई थी उसको सम्हाला और कातिलों पर मुकदमा चलवाया जिन्हें फांसी की सजा दी गई है।

इसके साथ ही साथ जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा, मैं उदाहरण के स्वरूप में उसे देना चाहता हूं कि स्कूलों और कालेजों में डिसिप्लिन (अनुशासन) और हमारा संयम बिगड़ता जा रहा है। उसका जीता-जागता नमूना मैं आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। रतन सिंह हाई स्कूल, बांसी में श्री भगतनारायण सक्सेना जो खेल के टीचर थे और बहुत पुराने अध्यापक थे और जिन्होंने हम लोगों को भी शिक्षा दी थी उनका बहुत बुरे तरीके से कहा जाता है कि वहां के कुछ विद्यार्थियों ने और-और अन्य लोगों ने मिल कर क़त्ल किया। बांसी की पुलिस ने राणा हरनाम सिंह की देख-रेख में अपनी जान को जोखिम में डाल कर उस क़ातिल को पकड़ा। तो इन खूबियों का मैं इसलिये जिक्र करता हूं कि हम लोग खसूसन ऐसे सरहद पर रहते हैं जहां पर कई ज़िले मिलते हैं, गोरखपुर, आज़मगढ़, देवरिया, गोंडा और बस्ती, और वहां का वायुमंडल ऐसा है कि अगर हम उनकी खूबियों को नज़रअन्दाज करके केवल उनकी बुराइयों का ही जिक्र करें तो हम अपना हित नहीं कर सकते। इस वास्ते मैं उनकी कार्य कुशलता का जिक्र करता हूं और चाहता हूं कि थोड़ा बहुत रुपया जिस पर आलोचना लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आलोचना करने के लिये तैयार नहीं हूं, पुलिस मंत्री किसी और मद से निकाल कर इस विभाग में खर्च करें जिससे यहां की शासन व्यवस्था शान्तिमय रख सकें। मैं उनकी मदद उनका समर्थन करके करूंगा। माननीय सदस्य आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि इस मद में जहां तक हो सके वृद्धि करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

इतना ही मुझे कहना है। लेकिन साथ ही साथ मैंने इस उपस्थित कटौती में पुनःसंगठन होने की बात कही है। पुराने जमाने से जो हमारी पुलिस की व्यवस्था बनायी गयी है उसमें शायद फर्क नहीं किया गया है। तीन-चार पुलिस स्टेशंस हैं और मवाज़ियात उनसे जो सम्बद्ध हैं मगर कहीं अलग स्टेशन का बीच में कोई एक गांव चिपका हुआ है। मेरे बस्ती जिले में रुदौली और मेंहदावल बांसी पुलिस स्टेशंस के अन्दर हैं और बीच में एक गांव लटका हुआ है जिसके देखने से मालूम होता है कि शायद पुराने ज़माने से जो गांव जहां चिपका दिया गया वहीं पर पड़ा हुआ है, जैसे जोलह पुरवा थाना बांसी उसे मेंहदावल में होना चाहिये, तो इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा और पुनःसंगठन करना होगा तब जाकर ये छोटी-मोटी शिकायतें दुरुस्त होकर पूरी हो सकेंगी और हमारे यहां की शासनव्यवस्था ऊंचे दर्जे पर पहुंच सकेगी।

श्री कमला सिंह (ज़िला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक पुलिस के मुलाजिमीन का ताल्लुक़ है इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने जितने सिपाही और जितने सब-इन्सपेक्टरान हैं उनकी तनख्वाहों का जिक्र किया है। हर एक आदमी यह जानता है कि एक सिपाही से जितना काम लिया जाता है उससे यह उम्मीद की जाय कि ३० रुपये देकर उससे

ईमानदारी से काम ले लें तो यह बहुत ही असम्भव सा मालूम होता है। वैसे ही एक थानेदार से भी १२० रुपये में आप उम्मीद करें कि वह ईमानदारी से काम करेगा तो यह असंभव है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस पुलिस के मुहकमे की तरफ निगाह डालें तो जितनी पुलिस की बुराई है या जितना पुलिस में करप्शन है उसके लिये यह कहूंगा कि सुपरिंटेंडेंट से ले कर डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल और इन्सपैक्टर जनरल तक के लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। हर जगह यही देखा गया है। यह भी देखा गया है कि जौनपुर,और आजमगढ़ जिले में बहुत करप्शन बढ़ा हुआ था जातीयता और दलबन्दी बहुत जोरों से जारी थी। लेकिन वहां पर महेशचन्द्र शर्मा और आजमगढ़ में चैतन्य स्वरूप जैसे व्यक्ति ने जा कर बहुत कुछ काम किया। इन दोनों ने बड़ी मेहनत की और रात में जा जा कर तमाम थानों की डायरी देखी और यह देखा कि थानेदार कितने मुकद्दमों की इन्क्वायरी कर रहा है और उन डायरीज में इंट्रीज (प्राविष्टियां) हैं या नहीं और गवाहों के नाम दर्ज हैं या नहीं। अगर नहीं होता था तो ऐक्शन लेते थे। बहुत से ऐसे थाने हैं जहां पर देखा गया है कि पुलिस सो रही है और केस डायरी साफ पड़ी हुई है, लेकिन आफिसरान ने उनको चेक किया और ऐक्शन लिया जिसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस का पुराना रवैया खत्म हुआ और जब तक यह लोग इन जिलों में रहे किसी तरह की दिक्कत जनता के सामने नहीं आई। लेकिन इनके जाने के बाद फिर वही दिक्कतें जनता के सामने आने लगीं और पुलिस का भी वही पुराना रवैया हो गया और जो करप्शन चला आ रहा था वह फिर से शुरू हो गया।

दूसरी चीज पुलिस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका जो प्रौसीक्यूशन ब्रांच (अभियोजन शाखा) है उसको सैपरेट (प्रथक) करने की जरूरत है। सरकार ने जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को तो अलहदा किया लेकिन इसको अलग अलग करने की कोशिश नहीं की।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अलग कर दिया गया है।

श्री कमला सिंह—प्रौसीक्यूशन ब्रांच में देखा जाता है कि तीन तरह के कोर्ट इन्सपेक्टरान होते हैं। (१) एस० पी० ओ० होते हैं जिनका ग्रेड १२० रुपये है और दूसरे एस० पी० ओ० हैं जिनको २०० रुपये दिये जाते हैं। अगर इनकी तरफ देखा जाय तो जिनको तनख्वाह १०० रुपये से लेकर १२० रुपये मिलते हैं उनके लिये कभी भी किसी तरह का अलाउन्स (भत्ता) नहीं रखा गया है, हालांकि उनके तबादले एक जिले से दूसरे जिले में किये जाते हैं। यह बड़े अफसोस की चीज है कि यही एस० पी० ओ० जो एल० एल० बी० लिये जाते हैं उनको १२० रुपये तनख्वाह दी जाती है और दूसरों को २०० रुपये तनख्वाह दी जाती है? समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा फर्क क्यों रखा गया है।

अब यह देखा जाता है कि सन् १९५१ ई० में ए० पी० पी० का सेलेक्शन हुआ उनकी पेज (तनख्वाह) के मुताल्लिक़ यह रखा गया था कि जब इनका जिलों में पोस्टिंग होगा तो उनको पूरी तनख्वाह दी जायगी लेकिन उनकी सिफारिश के बावजूद भी उनको जून, १९५१ से मार्च, १९५२ तक की आज तक तनख्वाह नहीं दी गई। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हमारे मुलाजिमीन तनख्वाह नहीं पायेंगे तो कैसे उनसे काम लिया जा सकता है।

पुलिस में सब से ज्यादा बुराई जो हम देखते हैं वह कब्जे के ऊपर होती है। उनकी वजह से देहात में बल्वे वगैरा हुआ करते हैं। अगर लोग जायं तो देखेंगे कि कब्जा किसी काश्तकार का है तो पटवारी दूसरे का लिख देता है। ऐसी हालत में जब काश्तकार का खेत काटने के लिये दूसरा आदमी जाता है तो वह अपनी जीविका के लिये अपना अनाज बचाने के लिये मौके पर जाता है और वहां पर बल्वा हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाय तो पुलिस उसी का चालान करती है जिसका इंदराज पटवारी के कागजात में नहीं है हालांकि उसका कब्जा है। यह ऐसी बुराई है जिसकी वजह से पुलिस में और अदालतों में गलतफहमी हुआ करती है, बल्वे हुआ करते हैं जिसमें दिक्कतें सामने आती हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जहां तक कब्जे का ताल्लुक़ है हर तरह से ध्यान देगी।

[श्री कमला सिंह]

अब पुलिस के मुताल्लिक यह देखा गया है कि आजकल वह खेतों पर कब्जा दिला रही है ऐसे काश्तकारों को जिनका कभी भी कब्जा नहीं हुआ। नतीजा यह होता है कि जब आदमी वहां जाते हैं तो बल्वा होता है और पुलिस ५०६ में झूठी रिपोर्ट लिखकर १५१ जाब्ता में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यह कभी भी ख्याल नहीं किया जाता कि वाकई कब्जा किसका है। नतीजा यह होता है कि हर गांव में अराजकता और विद्रोह फैल रहा है खास कर जहां तक केसेज (मुकद्दमें) का सवाल है और आइडेन्टिफिकेशन (शिनाख्त) का सवाल है। होता यह है कि घर में नकब लगती है ताजीरात हिन्द की धारा ४५७ में रपट लिखी जाती है। ऐसी रपटें जिनमें मुलजिमान का नाम नहीं लिखाया जाता सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस उन सब इन्स्पेक्टरान की तारीफ करते हैं जो माल बरामद कराकर शिनाख्त करा देते हैं लेकिन देखने की कोशिश नहीं की जाती कि माल किसका है? गवाहान को माल या मुलजिम को दिखा कर नाजायज फायदा तो नहीं उठाया गया है अथवा चोरी में वाकई हाथ किसका रहा है? इन प्रकार झूठे मुकद्दमात के चालान होने से भी अराजकता फैल रही है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग का बजट सदन के सम्मुख उपस्थित है वह विभाग गत वर्षों में हमारे प्रान्त के एक सुयोग्य, निष्पक्ष और देश के रत्न श्री लालबहादुर शास्त्री के अधीन रहा तो इसके संबंध में यह कहना कि इसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ ज्यादती होगी। स्वतंत्रता के बाद पुलिस विभाग में उतना सुधार तो नहीं हुआ जितने सुधार की आवश्यकता थी या पुलिस विभाग का जो कर्त्तव्य है उसके पालन करने में हमारे प्रांत की पुलिस ने उसे पूरे तरीके से निभाया है। यह तो मैं भी नहीं कहूंगा, परन्तु इतना अवश्य है कि पुलिस के ऊंचे दर्जे के अफसरान में और पुलिस विभाग से संबंधित दूसरे लोगों में काफी सुधार हुआ है। भविष्य में भी आशा है कि चूंकि अब हमारे प्रांत के पुराने अनुभवी और ऊंचे राज्य मंत्री के हाथ में यह विभाग दिया गया है इसलिये इस विभाग में उन्नति होगी। इस विभाग का मुख्य कर्त्तव्य यह है कि वह जालिम और अत्याचारी लोगों के जुल्म से कमजोर, पीड़ित और दलित समाज की रक्षा करे।

इस कर्त्तव्य के पालन करने में हमारे प्रांत का पुलिस विभाग कहां तक सफल रहा है इसके संबंध में मैं अपने जिले के अनुभव से संबंधित थोड़े से विचार प्रकट करूंगा। मैंने यह देखा है कि जिले में जब तक सुयोग और अच्छा पुलिस कप्तान रहा जिले की पुलिस का काम अच्छे ढंग से चलता रहा और उन लोगों को आराम मिला, उनकी बात सुनी गई जिनके लिये सचमुच पुलिस को रखा जाता है, लेकिन ज्योंही कोई गड़बड़ और भ्रष्टाचारी किस्म का कप्तान पहुंचा उसके पहुंचते ही पुलिस का ढांचा ऊपर से नीचे तक बिगड़ गया और तमाम ज़िले में अव्यवस्थित और बे लगाम पुलिस हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्हें विशेष रूप से अपने प्रांत के कप्तानों पर अंकुश रखें। अगर किसी शिकायत पर वह पूरे तौर से ऐक्शन नहीं ले सकते तो जनता की जो ओपीनियन है या जनता के प्रतिनिधियों का उनके संबंध में जो ज्ञान है उसके मुताबिक उनकी उन्नति और अवनति का ख्याल रखा करें। अगर मैं अपने ज़िले मुरादाबाद की घटनाओं का जिक्र करने लगूं तो उसमें बहुत समय लग जायगा। मैं केवल मोटी मोटी बातें माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये माननीय मंत्री महोदय, तक पहुंचाना आवश्यक समझता हूं। गांव में जो चौकीदार पुलिस विभाग की तरफ से नियुक्त हैं उनको ५ रुपया वेतन मिलना एक हंसी सी मालूम होती है। इसके अतिरिक्त नीचे के कांस्टेबिल थानेदार को लीजिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी तनख्वाहें कम हैं और मैं तो चाहूंगा कि सरकार को इसमें एक आमूल परिवर्तन करना चाहिये। हमारे जो आफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहें बहुत काफी है। आज समाज की यह मांग है कि आर्थिक समानता होनी चाहिये और समाज में जो आर्थिक विषमता है उसको मिटाना आवश्यक है। आज जनता का यह आक्षेप है कि हमारी सरकार आर्थिक विषमता को मिटाने में असमर्थ रही है। उसे ऊंचे

आफिसर्स की तनख्वाहें घटा कर नीचे के कर्मचारियों की तनख्वाहें अवश्य बढ़ानी चाहियें लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा, जैसा कि मेरे दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है कि तनख्वाह कम होना ही भ्रष्टाचार का कारण है, यह ठीक नहीं है। जिन आफिसर्स की तनख्वाहें ज्यादा हैं उनमें भी ऐसे लोग देखे गये हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं। जिनका वेतन कम है उसमें भी कुछ ईमानदार होते हैं चाहे जैसे भी वह अपना जीवन बितायें लेकिन वह पाप को पाप ही समझते हैं।

इस के साथ साथ मैं कुछ सुझाव भी माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाना आवश्यक समझता हूं। अव्वल यह कि पुलिस अफसर जब गांवों में जायं तो वह एक निष्पक्ष स्थान पर जा कर तहकीकात किया करें। आम तौर पर मैंने अपने जिले मुरादाबाद में देखा है कि जिस शख्स के खिलाफ तहकीकात होती है उसी के मकान पर पहुंच कर इन्चार्ज साहब तहकीकात करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हरिजनों के उत्थान में भी पुलिस का हाथ होना चाहिये। इस सरकार ने हरिजनों के लिये सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट (सामाजिक असामर्थ्य निवारण अधिनियम) बनाया है। उसको एक अर्सा हुआ लेकिन अभी तक उसको अमल में लाने के लिये पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे ही नाम के इस सदन में और भी सदस्य हैं और अक्सर यह भ्रम होता है कि जो नाम पुकारा जाता है वह किस जिले के सदस्य का है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाम के बाद यदि जिले का नाम भी पुकारा जाया करे तो विशेष सुविधा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने जिले की १२ लाख जनता की ओर से पुलिस मंत्री महोदय तथा अपने प्रदेश के पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्यों कि मेरे जिले में ५, ६ वर्ष से एक कुख्यात डाकू ने जो आतंक फैलाया हुआ था उसको कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से उस जिले की और आसपास की जनता सुख की नींद सोती है। मैं जानता हूं कि जिन व्यक्तियों का यह काम था उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख कर यह काम किया है और उसका मुकाबला किया है। उसको गिरफ्तार करने के पहले जिस प्रकार उसके गिरोह को समाप्त किया वह एक सराहनीय काम है और उसकी मिसाल मैंने हिन्दुस्तान में नहीं देखी। पुलिस का अधिकारी डाकुओं के गिरोह में शामिल हो कर चार पांच रात्रि उनके साथ रह कर उसको पकड़ता है और उनमें से बहुत से डाकुओं को गोली से मार कर समाप्त करता है। इस प्रकार के काम की हमें सराहना करना चाहिये। मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार विरोधी दल के सदस्यगण पुलिस विभाग या अन्य विभाग के पीछे डंडा ले कर घूमा करते हैं वह हम नहीं कर सकते। मैं कोई पुलिस विभाग की वकालत के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं जानता हूं और मानता हूं कि इस विभाग में कुछ ऐसे भाई हैं जिन के संबंध में कुछ गड़बड़....

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं पूछना चाहता हूं कि "पीछे डंडा लेकर घूमना" क्या पार्लियामेंट्री लैंगुएज (संसदीय भाषा) है?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं मानता हूं और जानता हूं कि पुलिस विभाग में कुछ निम्नश्रेणी के अधिकारी अच्छे नहीं हैं लेकिन हमारा यह कह देना कि यह विभाग ही खराब है और सभी अधिकारी नीचे से ऊपर तक इस योग्य हैं जो जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं यह बिलकुल गलत है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि बहुत से सदस्यों ने दूसरे मुल्कों के पुलिस विभाग के भी संबंध में कहा है। हम मानते हैं कि कुछ दूसरे देशों की पुलिस बहुत उच्च श्रेणी की है। हमें अपनी कमजोरियां देखनी चाहिये। अभी हम अपनी

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

पुलिस को उस हद तक नहीं पहुंचा सके हैं जिस हद तक अमेरिका और इंगलैंड की पुलिस पहुंच गई है। हमें समय की आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि हमारी पुलिस भी उच्च श्रेणी की हो जायगी।

कुछ सदस्यों ने बहुत सी बातें जरायम के बढ़ने के बारे में कहीं। यह स्वाभाविक है। जब दूसरा युद्ध समाप्त हुआ तो हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में जरायम की अधिकता हुई। विश्लेषण करके उसका कारण यह निकाला गया कि युद्ध के बाद हर मुल्क में एक ऐसी हवा आती है और हमारा भारत भी उससे बरी नहीं रह सकता था। मैं विरोधी दल के सदस्यों से और खास कर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एक मित्र ने यह कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी और सरकार की जो पुलिस है उनमें कोई फर्क नहीं मिलता है। मैंने उनसे पूछा कि आपने उनमें क्या साम्य देखा। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य लाल टोपी पहनते हैं और पुलिस के सिपाही और सब-इंस्पैक्टर आदि लाल पगड़ी बांधते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा हो यदि सोशलिस्ट पार्टी पुलिस विभाग में भर्ती हो जाय और कुछ सेवा का काम करे। भारत में जिस समय सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उस समय दामोदरस्वरूप जी सेठ ने एक लेख संघर्ष अखबार में निकाला था। मैं उसका सारा हवाला तो नहीं दे सकता क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं यहां देखता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी वाले यहां आकर या अन्य स्थानों में सरकार की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हम सरकार को हटाकर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं। यदि इन लोगों के हृदय में जनता की सेवा का भाव है तो आज मौका है कि वह सेवा कर सकते हैं। यह मैं आपके द्वारा सुझाव देना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि वह उसे स्वीकार करते हुये पुलिस का साथ देंगे और उस विभाग में जाकर जनता की सेवा करेंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुज़फ्फरनगर)---ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद! मैं प्रार्थना करता हूं कि वह हमें बुद्धि और बल दे कि हम अपना शासन ठीक रूप में खुद चलाने के योग्य हों।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने पुलिस का अनुदान है। उसके संबंध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे पूज्य बापूजी ने कहा था कि हमें पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में हम वह परिस्थिति लाना और देखना चाहते हैं जिससे सबको सुख और आनन्द मिले। किन्तु यह बात नहीं हो सकी। हम अपने प्रबन्ध को स्वयं नहीं कर सके। इसी कारण पुलिस की आवश्यकता हुई। आज सूबे में क्या सारे देश में इसकी आवश्यकता है। आज ऐसे जुर्म होते हैं जिनको हम दिन ब दिन देखते हैं और अपने घरों में इसकी शिकायत करते हैं। आज चोरी के मामले बढ़े, आज डकैती बढ़ी, दूसरे किस्म के जरायम बढ़े, आज सट्टे बाज़ बढ़े, जुआरी बढ़े। अब उनकी रोकथाम के लिये आवश्यकता है पुलिस की। अब यह प्रबन्ध कैसे किया जाय, किस ढंग से हो? इसमें करप्शन (भ्रष्टाचार) की बात भी बहुत पैदा हो गई है। जब हमारे देश में बेरोजगार बहुत से मौजूद हैं और जब आदमी खाली होता है तो उसके दिमाग में नाना प्रकार की बातें आती हैं इसलिये आवश्यकता है कि सब लोगों को काम दिया जाय ताकि ऐसा कोई बुरा काम करने का अवसर ही उनको प्राप्त न हो। अब जो चीजें कि पुलिस के द्वारा इस सूबे में हो रही हैं क्या उनको हम भूल सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उनको कैसे दूर किया जाय। यह सब मानते हैं कि पुलिस के सुधार की आवश्यकता है। पुलिस कहती है कि हमारे इख़राजात इस प्रकार के हैं कि इन इख़राजात में पूरे तरीके से इंतज़ाम नहीं कर सकते। हमारी और आपकी जो स्थिति है उसी में रह कर वे ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। जनता को टीका टिप्पणी करने का मौका न दें। हमें यह सोचना है कि हमें कैसे अपना इंतजाम करना है। मैं अपने माननीय मंत्री से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं इसकी तरफ ध्यान दें कि किसी में अगर जरा सा भी दोष

हो तो जो दोषी हो उसको सजा दी जाय और पूरे डिपार्टमेंट के लोगों पर जिनका उससे ताल्लुक़ हो निगाह रखी जाय और मौके मौके पर जाकर उसकी तहकीकात की जाय। डिपार्टमेंट का सुधार तभी हो सकता है जबकि हम कण्ट्रोल रखेंगे, जबकि हम अपनी पूरी ताकत उसके लिये लगायेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाये कि गांव गांव में सुरक्षा समितियां बनाई जायं और जहां इस किस्म की शिकायतें मिलें वहां मंत्री महोदय और जनता से संपर्क रख कर उनका निराकरण करें। हम देखें कि क्या क्या और कहां कहां शिकायतें हैं और वे कैसे दूर की जा सकती हैं।

मैं ये बातें इसलिये रख रहा हूं कि पुलिस हमारा आधार है पुलिस से ही देश की रक्षा होती है। आज पुलिस अपनी उस जिम्मेदारी को भूल गई है जो कि उसे महसूस करना चाहिए थी। सुधार तभी हो सकता है जब कि हम कंट्रोल रखेंगे, जबकि हम अपनी पूरी ताकत उसके लिये लगायेंगे। जो वाकआत होते हैं उनका ग़रीब आदमियों पर बहुत असर पड़ता है। गरीब आदमियों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। पुलिस वाले बड़े आदमियों से मिल जाते हैं उनको छिपा देते हैं और दूसरे आदमियों और बातों को सामने रख देते हैं। इस प्रकार से हमारे यहां बदअमनी बढ़ती जाती है और लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सख्ती के साथ इसको चलाने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगोंका आधा काम तो माननीय मंत्री ने ही हल्का कर दिया, यह कबूल करके कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। इसलिये उसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा न जाकर कुछ सुझाव आज इस भवन के सामने रखूंगा। सुझाव रखने के पहिले एक आध बात जो हमारे माननीय भाइयों ने कही हैं उनके विषय में कहना चाहता हूं। हमारे माननीय भगवती प्रसाद शुक्ल जी ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी वालों को पुलिस में भर्ती हो जाना चाहिये। सो अगर हम पुलिस में भर्ती हो गये तो उनकी ठेकेदारी कहां से चलेगी और इस भवन में तो हम पुलिस का ही काम कर रहे हैं। हम यहां बतलाना चाहते हैं इस सदन के सामने कि ये ही लोग पुलिस वालों से थानों में जाकर क्या काम करवाते हैं और अगर कहीं हम वहां हो गये तो फिर इनका बेड़ा ही, शायद अनपार्लियामेंट्री (असंसदीय) हो जाय इसलिये मैं नहीं कहना चाहता, इन बेचारों का वहां जाना ही बन्द हो जायगा। इसलिये हमें पुलिस में न भर्ती करायें तो बहुत अच्छा रहे।

अब रहा सवाल यह कि पुलिस का कैसे रिफार्म (सुधार) हो। हमारे एक भाई ने हाल ही में मुझसे कहा कि भाई आजकल डकैतियां बहुत कम हो रही हैं, कारण क्या है? तो दूसरे साहब बोले कि आजकल जो प्रान्त की पुलिस है वह एलेक्शन में लगी हुई है इसलिये डकैतियां कम होती है। तो उसी सिद्धांत को अगर हम सामने लें तो मैं आपको सुझाव देता हूं और वह बड़ा ही क्रांतिकारी सुझाव है और उस चीज को आपको अपने प्रांत में शुरू करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि वे एक जिले को नमूना बनावें। आपने जिले जिले में जगह जगह जो आदर्श थाने कायम किये हुये हैं, इससे काम नहीं बनने वाला है। एक जिले से सारी पुलिस को हटा लिया जाय और सब लोग मिल कर चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हों, इंडिपेंटेंट हों या अन्य किसी भी पार्टी के हों, मिल कर उस जिले में एक ऐसी हवा पैदा करें, लोगों को समझावें कि देखो, तुम पुलिस की ज्यादती की बात करते हो, पुलिस के जुल्मों की बात करते हो, हमने आज तुम्हारे जिले से पुलिस को बिलकुल हटा लिया है, अब इस जिले के अन्दर आगे न कोई चोरी होनी चाहिये, न कोई डकैती होनी चाहिये, न कोई भ्रष्टाचार होना चाहिये। पुलिस को वहां से हटाने के साथ ही साथ हम यह भी करेंगे कि उस जिले के अन्दर जितने बेकार लोग हैं उन सबको काम में लगावेंगे, उन्हें खाना देंगे। दुनिया भर में चोरी, डकैती या और बातें जो करते हैं वे सब आर्थिक कारणों से ही करते हैं। अगर बेकारी दूर हो जाय, गरीबी दूर हो जाय तो मुझे, विश्वास है कि जिले के अन्दर पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने यहां की बात मैं आपसे कहूं कि

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मेरे यहां कुमायूं डिवीजन में पुलिस बहुत ही कम है। हमारे यहां चोरियां नहीं होती हैं, डकैतियां नहीं होती हैं। जितनी कम पुलिस हो उतनी ही ज्यादा प्रदेश की भलाई होगी। अगर तिब्बत और नैपाल के बहाने हमारे यहां पुलिस रखी जायगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार इस प्रांत में हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हमारे यहां कुमायूं के अन्दर होने लगेगा। वहां पर विशेष पुलिस रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वहां पुलिस रखने का मतलब यह हो कि और पार्टीज के लोगों को दबावें, इनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर करें और उनके काम में गड़बड़ी पैदा करें, यदि यह नीति हो तो वहां पुलिस का रहना ठीक है और उसके लिये तो पुलिस को रखना ही होगा। लेकिन अगर पहले यह ख़याल रखा जाय कि लोगों की गरीबी दूर हो जाय, बेकारी दूर हो जाये, भ्रष्टाचार कम हो जाय, तो मेरे ख़याल में वहां पुलिस के रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

हमारे कुमायूं की पुलिस की लोग मिसाल देते हैं। हमारे यहां की पुलिस बहुत अच्छी है, वह करप्ट (भ्रष्ट) भी नहीं है। वह लोगों से बहुत लम्बी चौड़ी बात भी नहीं करती है, लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम है। हमारे यहां के लोग दूसरे सूबों में भी काम करते हैं। इसलिये मैं आपको सुझाव देता हूं कि अगर हम सब मिल कर पुलिस से सहयोग करें तो पुलिस की ज्यादती हमारे बीच से मिट जायगी। एक भाई ने यह भी कहा कि यह तो ट्रांजीशन पीरियड (संक्रमण काल) है। क्या यह ट्रांजीशन पीरियड जन्म भर रहेगा ? पांच साल, दस साल कब कब तक रहेगा आखिर इसकी कोई हद भी है ? इसको आपको हटाना होगा। प्रान्त से करप्शन निकालना होगा। पुलिस के करप्शन के बारे में ज्यादा कहना बेकार है। उन्हीं बातों को दोहराना अच्छा नहीं लगता।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप विरोधी दल को अपना दुश्मन न समझें। हमारा सहयोग लीजिये। हम जानते हैं कि पुलिस के कहां कहां अड्डे हैं, कैसे जुआ खिलाते हैं, किस तरह से दूसरी चीजें करवाते हैं। पुलिस के नीचे लेवेल (स्तर) में करप्शन नहीं है, ऊंचे लेवल में करप्शन नहीं है, बीच के लेवेल में, यानी थानेदारों में करप्शन है। अगर उसको मिटाने के लिये प्रयत्न किया गया तो आपके विभाग का करप्शन मिट जायगा। यही मेरा सुझाव है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस विभाग के संबंध में अनुदान माननीय गृह मंत्री ने इस माननीय सदन के सामने पेश किया और उसके संबंध में अपना भाषण किया उसके लिये मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने विभाग की कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि जितना पैसा पुलिस पर खर्च होता है उतना नहीं होना चाहिये, पर चूंकि ट्रांजीशन पीरियड (संक्रमण काल) है उसके अन्दर कुछ ऐसी शक्तियां आमतौर पर पैदा हो जाती हैं और सर उठाती है उनको दबाने के लिये, तथा ऐबनार्मल कंडीशंस (असाधारण दशाओं) को कंट्रोल (नियंत्रण) में लाने के लिये पुलिस फोर्स बढ़ाना ही पड़ता है। यह सही है कि हमारे सूबे में औरहमारे देश में स्वतंत्रता के बाद कुछ जरायम बढ़े जिसका कारण माननीय गृह मंत्रीजी ने भी बताया। एक तो साम्प्रदायिकता जिसके कारण हमारा देश का विभाजन हुआ बढ़ी। हमारे देश में हिन्दुओं मुसलमानों के दंगे हुये। उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया वर्त्तमान स्थिति में नैपाल बार्डर पर कुछ अराजकता फैली है। उधर राजस्थान आदि की भी स्थिति अच्छी नहीं है। यह मानते हुये भी मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारी पुलिस की जितनी एफीशियेन्सी (दक्षता) होनी चाहिये थी उतनी नहीं है। स्वतंत्रता के बाद बहुत से विभागों में तब्दीलियां हुई। मेरा तो अपना यह ख्याल है कि पुलिस विभाग में कोई साइकोलाजिकल (मनोवैज्ञानिक) तब्दीली विशेष रूप में नहीं दिखायी देती

है। जहां तक पुलिस के उन अधिकारियों ने जिन्होंने डाकुओं के गैंग्स (गिरोहों) को पकड़ा जैसा कि रिपोर्ट में जिक्र है वह काबिले तारीफ है और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि घूसखोरी जैसे पहले थी वह अब भी है। जब तक कि कोई आदमी रुपया न दे उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यही वजह है कि जो फीगर्स (आंकड़े) जरायम के पेश किये गये हैं मैं यह समझता हूं कि वे ठीक नहीं हैं क्योंकि जहां लोगों की चार शिकायतें जाती हैं तो एक लिखी जाती है।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि हमारी पुलिस अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज ने इसको एक खास मतलब के लिये ट्रेंड (प्रशिक्षित) किया था आज हम उसी पुलिस से दूसरे सर्कम्स्टेंसेज (परिस्थिति) में, दूसरे सेट अप (व्यवस्था) में दूसरा काम लेना चाहते हैं। इसलिये हमारी कठिनाई और भी अधिक है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पुलिस की ट्रेनिंग के अन्दर बेसिक चेंजेज [मौलिक परिवर्तन] होनी चाहिये। पुलिस की साइकालोजी (मनोविज्ञान) में मेंटल (मानसिक) तब्दीली करनी चाहिये। पुलिस को महसूस करना चाहिये कि यह वेलफेयर स्टेट है पुलिस स्टेट नहीं है, पुलिस को जनता का सेवक हो कर के ही इस काम को आगे बढ़ाना है।

दूसरी चीज जो मैं महसूस करता हूं जिस का संबंध आपके अनुदान और विभाग से नहीं है वह यह है कि यह जो जरायम ट्राई [सुनवाई] करने का तरीका है यह डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) है। हम देखते हैं कि डकैती होती है, कत्ल होता है। तीन दिन के बाद इन डकैतों या कातिलों की जमानत हो जाती है जिस का परिणाम यह होता है कि पुलिस को सबूत पेश करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यह भी अर्ज करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार के सामने यह चीज रखें कि इस सिलसिले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (दण्ड विधि संग्रह) में तब्दीली करनी आवश्यक हो गयी है।

तीसरी बात जो हमारे सामने कही गयी है वह यह थी कि पुलिस को जनता का सहयोग नहीं मिलता है। मेरा अपना विश्वास ऐसा है कि अब तक पुलिस के कुछ अड्डे थे, जब कभी कोई घटना हो जाती थी, तो वे गांव में जाते थे और वहां जमींदार साहब की ड्योढ़ी पर ठहरते थे और वहीं से अपनी तफ्तीश शुरू करते थे। मैं समझता हूं कि ये जो पुलिस के एजेंट थे, जिन की सत्ता अब खत्म सी हो गयी है, पुलिस को उनका साथ छोड़कर जन साधारण के सम्पर्क में अधिक से अधिक आने की चेष्टा करनी चाहिये। जहां तक दंड देने का संबंध है, यदि किसी आफिसर की आप शिकायत करें तो यह साबित करना कि वह दोषी है एक बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। दूसरे तबादिला कर देना कोई दंड नहीं है। इस सिलसिले में मैं यह चाहूंगा कि जो भी कर्मचारी पुलिस विभाग के दोषी ठहराये जायं, उनको काफी पनिशमेंट (दंड) दिया जाय ताकि दूसरों के लिये वह एक मिसाल बन जायं।

अन्त में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, हमारी जो पुलिस है वह उतनी आदर्श नहीं है जितनी कि इंगलैंड की मेटरोपोलिटन पुलिस है और इस सिलसिले में हमको बहुत कुछ करना है, तो मैं यह कहूंगा कि जब यह डिटरमिनेशन (संकल्प) है तो शायद आगे आने वाले समय में हम पुलिस के मामले में ज्यादा सुधार कर सकें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२१ जुलाई, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिए २१ जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १६ पर)

खाल उतारने की शिक्षा पाये हुये उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें औजार मुफ्त दिये गये ।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता
१	श्री रतन लाल	श्री खंचेरू मल	गांव व डा० कसेरू, जि० अलीगढ़ ।
२	,, दुर्गा	,, बूंची सिंह जाटव	,,
३	,, बंसाल	,, बिसूरा	,,
४	,, टीका	,, खूबा	,,
५	,, छोटे लाल	,, बरदी सिंह	,,
६	,, शिवचरन लाल	,, बिपती राम जी	बरतरा मो० खैर, जि० अलीगढ़ ।
७	,, जैती प्रसाद	,, बिपती राम जी	,,
८	,, टीका राम	,, रती राम	,,
९	,, विशनू प्रसाद	,, भीखन प्रसाद	,,
१०	,, मंगल सिंह	,, मंजी राम	गांव सालपुर डा० सालपुर, अलीगढ़ ।
११	,, गोवर्धन सिंह	,, श्वमीर सिंह	,,
१२	,, सीताराम	,, गोविन्द राम	कौथला, तहसील इगलास, अलीगढ़ ।
१३	,, कालाराम	,, सौवन सिंह	,,
१४	,, किशन मल	,, पगन लाल	गांव व डा० गिदो, अलीगढ़ ।
१५	,, रतवी प्रसाद	,, दिवाली	,,
१६	,, भीम सेन	,, राजू चन्द	,,
१७	,, श्याम लाल	,, बलदेव	,,
१८	,, बहाली राम	,, जुगुल किशोर	हेरा कलां, अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता
१९	श्री तुला राम	श्री पोपीराम	हेरा कलां अलीगढ़ ।
२०	,, छाछू राम	,, पोपी राम	,,
२१	,, बाबू लाल	,, सीता बथ	गांव चिन्तकाबस, अलीगढ़ ।
२२	,, कहारन सिंह	,, दीतन मल	,,
२३	,, मोहनी सिंह	,, बुद्ध सेन	गांव सुरजियां, अलीगढ़ ।
२४	,, भगवती प्रसाद	,, मुरली धर	गांव कुनेरपुर, डा० कुमारपुर, अलीगढ़ ।
२५	,, उत्तम चन्द	,, बलदेव सिंह	,,
२६	,, करम सिंह	,, रूप राम	,,
२७	,, लोभा राम	,, जय राम	,,
२८	,, गुलाब सिंह	,, रूप राम	,,
२९	,, फोली सिंह	,, रूप राम	,,
३०	,, रामहयात	,, किरला	,,
३१	,, रामजी लाल	,, पुसा राम	,,
३२	,, सोभा राम	,, झोरी सिंह	,,
३३	,, चैत राम	,, कचौरी मल	तहसील इगलास
३४	,, परसादी राम	,, बिच्छा राम	,,
३५	,, बाबू लाल	,, तुलसी राम	मन्दू डा० मन्दू तहसील हाथरस, अलीगढ़ ।
३६	,, शिवदास जाटव	,, सीताराम	,,
३७	,, रोशन लाल	,, धर्मसुख	,,
३८	,, पीताम्बर	,, नौ सुख	,,
३९	,, टीकाराम	,, लीला धर	,,
४०	,, नौसा राम	,, गोविन्द राम	,,

सत्यमेव जयते

'नत्थी ख'

(देखिये २१ जुलाई, १९५२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

१३५८ फसली के लगान और मालगुजारी में दी हुई छूट का विवरण

खरीफ

क्रमांक	जिलों के नाम	लगान की छूट	मालगुजारी की छूट	स्वीकृति की तारीख	क्षति का कारण
१	अलीगढ़	३२,८८४	९,३३८	३-३-५१	अत्यधिक वर्षा तथा पानी भरने से ।
२	आगरा	३,७७३	१,२४२	२०-८-५१	पानी भरने से
३	बनारस	२५,७४३	१८७	४-७-५१	सूखा बाढ़ तथा अत्याधिकवर्षा से ।
४	मिर्जापुर	२,८०,६३९	४४,९८९	२८-६-५१	,,
५	जौनपुर	१,२६,२०८	३९,४९६	७-२-५१	सूखा से
६	गाजीपुर	१,०९,९३७	३३,५५७	१८-४-५१	,,
७	बलिया	१,३८,६४४	३७,०५२	१६-७-५१	बाढ़ तथा अत्याधिक वर्षा से ।
८	गोरखपुर	४,०५,७७३	८२,५०४	६-७-५१	बाढ़ से ।
९	देवरिया	१,३७,०३३	३८,५७७	३१-८-५१	बाढ़ तथा सूखा से ।
१०	बस्ती	५,७०,९७४	१,७९,५३२	१३-२-५१	बाढ़ तथा सूखा से ।
११	आजमगढ़	४,११,७१०	१,०४,८३३	४-४-५१	बाढ़, अत्याधिक वर्षा तथा सूखा से ।
१२	सीतापुर	२२,२१६	६,७४५	३-३-५१	बाढ़ से ।
१३	खीरी	८३,१५८	२४,४१६	२४-१-५१	,,
१४	गोंडा	४,७९,४६०	९८,८०४	२३-६-५१	सूखा से ।
		५,१४,७०८	१,५६,९५३	१३-३-५१	बाढ़ से ।

क्रमांक	जिलों के नाम	लगानकी छूट	मालगूजारी की छूट	स्वीकृति की तारीख	क्षति का कारण
१५	बहराइच	६,५८,६२६	१,७४,८१४	९–३–५१	बाढ़ से।
		७२,६३१	२२,७७०	१३–३–५१	सूखा से।
१६	सुल्तानपुर	२६,९५७	१२,६४०	१७–४–५१	सूखा से।
१७	प्रतापगढ़	१,४१,५६१	५०,१५६	१४–४–५१	,,
१८	बाराबंकी	९६,००३	२४,११९	१२–६–५१	बाढ़ से।
	योग	... ४३,३८,६३८	११,४२,७२४		

कुरुक्षेत्र प्रदेश विश्वविद्यालय

१३५८ फसली के लगान और मालगुजारी में दी गई छूट का विवरण

रबी

क्रमांक	जिलों के नाम	लगान की छूट	मालगुजारी की छूट	स्वीकृति की तारीख	क्षति के कारण
१	देहरादून	४,४४४	३१८	२०-४-५१	ओलों से।
२	मुजफ्फरनगर	३७	१२	३-१०-५१	अग्निकांड से।
३	मेरठ	९३,१२४	३३,७९०	१४-९-५१	ओलों से।
४	बुलन्दशहर	२८,८४७	८,२३५	४-९-५१	,,
५	अलीगढ़	३८,८०२	१२,९६६	२३-७-५१	अत्याधिक वर्षा तथा ओलों से
६	आगरा	४,१८४	१,३९७	३०-८-५१	पानी के इकट्ठा होने से।
७	कानपुर	४,५९२	१,६१०	२०-९-५१	ओलों से।
		६५६	२१२	२०-८-५१	अग्निकांड से।
८	झांसी	४,६७८	१,५१५	१-८-५१	ओलों से।
९	मिर्जापुर	१०८	२९	१२-७-५१	,,
१०	अलमोड़ा	..	८७५	१३-८-५१	टिड्डियों से।
११	टेहरी गढ़वाल	...	१,४४१	२९-१२-५१	तथा ओलों से।
१२	उन्नाव	१८९	७१	८-८-५१	अग्निकांड से।
१३	सीतापुर	६४०	१४२	२४-५-५१	,,
		३३५	९८	४-८-५१	,,
		८१	२०	२-११-५१	,,
१४	बाराबंकी	२३०	७७	१३-८-५१	,,
	योग	१,८०,९४७	६२,८०८		

नत्थी 'ग'

(देखिये २१ जुलाई, १९५२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ व ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

१—मालमंत्री, चेयरमैन।

२—चीफ इंजीनियर, वेस्टर्न कैनाल्स।

३— ,, ,, ,, ईस्टर्न कैनाल्स।

४— ,, ,, ,, डेवलपमेंट।

५—संचालक, कृषि-विभाग।

६—चीफ कंजर्वेटर आफ़ फारेस्ट्स।

७—श्री डी० एल० साह, कंजर्वेटर आफ़ फारेस्ट्स पश्चिमी क्षेत्र।

८—श्री भगवान सहाय, आई० सी० एस०, फूड कमिश्नर।

९—श्री एलबर्ट मेयर, प्लानिंग आफिसर।

१०—श्री० आर० डी० ट्रूजेट, टाउन ऐंड बिलेज प्लानर।

११—श्री के० एन० कौल, प्रोफेसर आफ़ बाटनी एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर।

१२—श्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, बनारस।

१३—श्री राधामोहन सिंह, एम० एल० ए०, बलिया।

१४—श्री गंगा सहाय चौबे, एम० एल० ए०, कानपुर।

१५—माल सचिव।